खण्ड-290, अंक-5
शुक्रवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1893
(30 जुलाई, 1971 ई0)

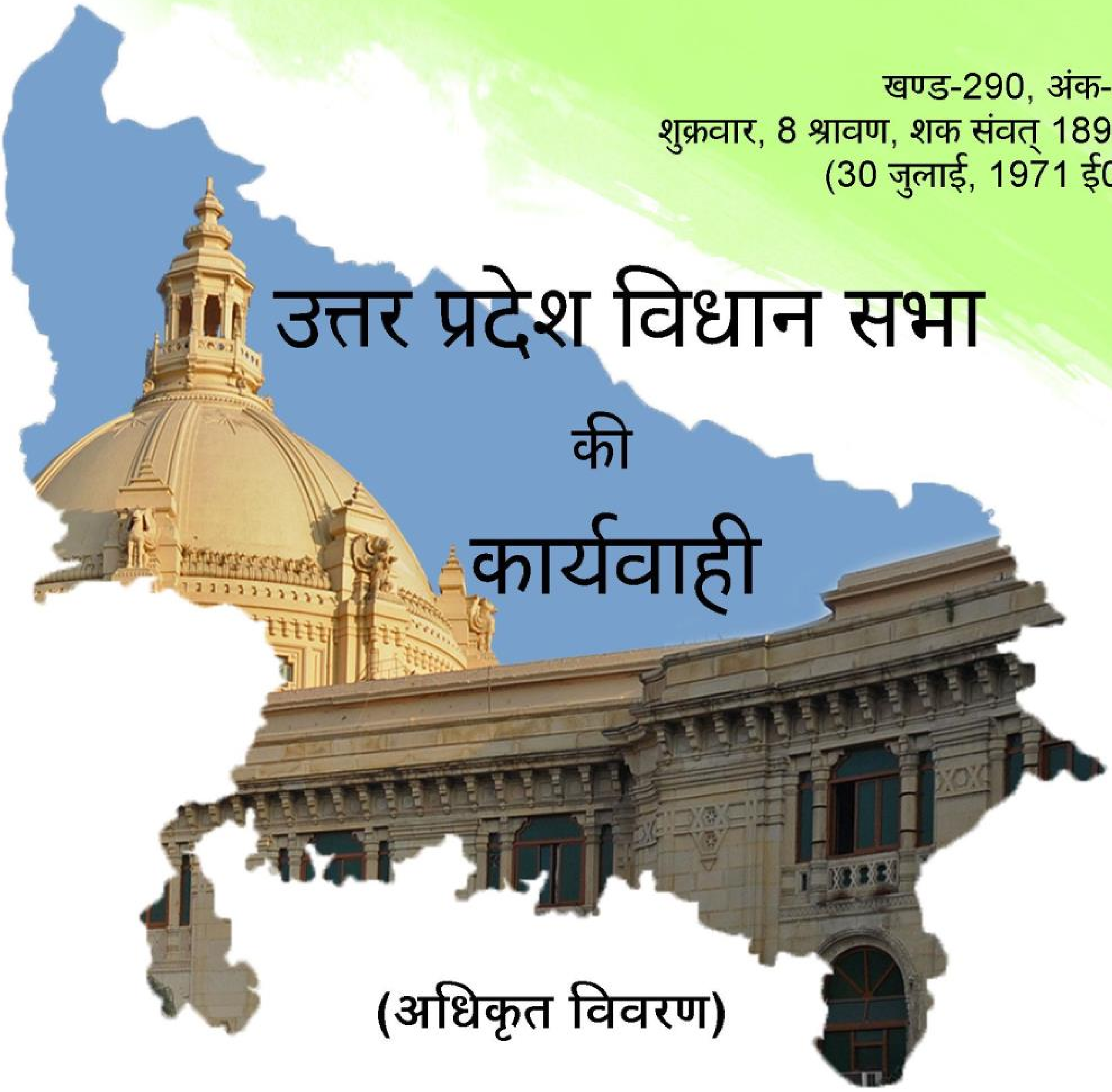

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०१–५०५
प्रश्नोत्तर	५०५–५३०
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	५३०
विविध विषय	५३०–५३१
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० (वापस लेने का प्रस्ताव–स्वीकृत)	५३१
सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	५३१
सूचना राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी	५३१–५३२
मुख्य मंत्री द्वारा कल सदन में कही गयी कुछ बातों के संबंध में श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा स्पष्टीकरण	५३२–५३५
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	५३६
"पायोनियर" तथा "स्वतंत्र भारत" द्वारा सदन की कार्यावाही ठीक से न छापने के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	५३६–५३७
श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के बारे में जानकारी	५३७–५३९
दारूलशफा 'ए' ब्लाक में एक सरकारी कर्मचारी, श्री शुक्ला को विधायक, श्री मंजूर अहमद द्वारा गला दबा कर पीटने की शिकायत	५३९–५४०
जिला परिषद् नैनीताल के लगभग ३,००० अध्यापकों को विगत ६ मास से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य	५४१–५४२
हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के रुके हुए परीक्षा फलों के संबंध में वक्तव्य	५४२–५४५
राज मार्ग २४ पर टैक्सी, ट्रक आदि के लूटे जाने की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य	५४५–५४७
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में सप्ताहिक वक्तव्य	५४७–५५९
१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४–सहकारिता (स्वीकृत)	५५९–५९८
जनसंघ के जिला संगठन मंत्री को चारबाग स्टेशन पर पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना को स्वीकार करने की मांग (अस्वीकृत)	५९८–६०२
विष्णु प्रताप शुगर मिल लिमिटेड, खड्डा जिला देवरिया पर मजदूरों का बकाया तथा प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने के मूल्य के रूप में करोड़ों रुपया बकाया होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६०२–६१५
नत्थियां	६१६–६२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३७९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजीमसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह ,श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महोरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन,श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्दन मौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चितानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३० जुलाई, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

[१६-७-७१ का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के संबंध में प्रगति तथा धन वितरण का आधार

**१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९७१ से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को समय-समय पर क्या आदेश भेजे और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आदेश जिला अधिकारियों को भेजे और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई और किस आधार पर धन का वितरण किया जा रहा है ? क्या सरकार इन सब आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राजमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

वांछित शासनादेशों की †प्रतियां संलग्न हैं।

---

†छापी नहीं गई।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १६ जुलाई को इस सदन में पेश हो चुका है। अब इससे सम्बन्धित जो शासनादेश हैं उनकी प्रतिलिपि भी इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसके हिसाब से यह मिर्जापुर वाराणसी, इलाहाबाद में ही है, आया वह साढ़े १२ लाख रुपया हर जिले के लिये है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आपका प्रश्न है उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इसके बारे में जितने शासनादेश हैं वह माननीय मंत्रीजी रख दें। अब प्रश्न क्या है यह मैं नहीं समझ पाया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उस दिन कोई प्रश्न नहीं किया गया था। जितने सरकार के आदेश हैं वह हर जिले से सम्बन्धित हैं, इसमें सिर्फ दो-तीन जिलों का जिक्र किया गया है। तो मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या प्रगति हुई है, क्या स्कीम बनी थी, पहले क्या थी और अब क्या है, यह बतला दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें प्रश्न के उत्तर में सरकार ने आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आदेश जिला अधिकारियों को भेजे और क्या प्रगति हुई। इस स्कीम के मातहत काम होना चाहिये था। १ अप्रैल, १९७१ का प्रश्न था जवाब ७०-७१ का दिया गया है उससे इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्रश्न से जवाब सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष ने आपके सवालों पर कहा था कि शासनादेश रक्खे जायं, तब यह रक्खे गये हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह जो जवाब दिया है माननीय मंत्री जी ने इसका इससे क्या सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न सोच लीजिये।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्रामीण रोजगार की क्रैश स्कीम के अन्तर्गत, जो १ अप्रैल, १९७१, से लागू होनी थी, उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या प्रगति हुई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह क्रैश प्रोग्राम की योजना जिलों से मंगायी गयी। इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने ठीक नहीं समझा। फिर दुबारा योजना बनायी जा रही है और हमारा विचार है कि २अक्तूबर से सारे जिलों में एक साथ इसको प्रारम्भ कर देंगे। केन्द्रीय सरकार ने योजना में जो परिवर्तन किये हैं उसके हिसाब से योजना तैयार करके हम उसे प्रारम्भ करने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने क्रैश प्रोग्राम की जो योजना भेजी थी उसी के मुताबिक जिले के अन्दर बैठकर योजना बनायी गयी थी तो उस योजना को केन्द्रीय सरकार ने किस आधार पर अस्वीकार किया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिलों में जो योजना तैयार की गयी उसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिन सड़कों को लिया गया था उन सड़कों पर ही मिट्टी का काम करने की बात थी। केन्द्रीय सरकार का कहना यह है कि क्रैश प्रोग्राम की सड़कें बिल्कुल अलग होनी चाहिए और यह काम अलग से दिखाया जाना चाहिए। उन सड़कों को निकाल कर नई सड़कों को लेने की योजना बनायी जा रही है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने जिलों से पूरी योजना आ चुकी है और कहां पर काम शुरू किया गया है ? इस योजना पर पहली अप्रैल से काम शुरू होना था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो योजना पहले बनी थी और जिन सड़कों को उसमें रखा था, केन्द्रीय सरकार ने कहा कि यह पैसा इन पर खर्च करने के लिए नहीं है। इस पैसे से दूसरी सड़कें बनें और उस पैसे के लिए दूसरी योजना बनायें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

पहले जो योजना जिलों से आयी, उसको वापस कर दिया। अब दूसरी योजना बनेगी और दो अक्तूबर से काम शुरू होगा। क्या इस योजना के बाद यह काम किसी विभाग को दिया जायेगा या वैसे ही यह भी समाप्त हो जायेगा। जैसे कि कुछ काम टैस्ट वर्क के और आर०एम०पी० के हुये थे और उनको वैसे ही छोड़ दिया गया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं प्रश्न पूरी तरह सुन नहीं पाया। वे जरा माइक पर दूर से कहें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस योजना के पूरी हो जाने के बाद यह काम किसी विभाग को दिया जायेगा या आर० एम० पी० के अन्तर्गत हुए कामों की तरह छोड़ दिया जायगा ? जो पत्र है उसमें क्या लिखा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिलों में जिलाधाकारी और जिला नियोजन अधिकारी विधायकों के परामर्श से इस तरह की योजना बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण मणि, आपने इस प्रश्न को समझा नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

(व्यवधान)

क्या यह सही है कि चूंकि केन्द्रीय सरकार ने रुपया नहीं भेजा प्रदेशीय सरकार को, इस कारण यह काम शुरू नहीं हो पाया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो योजना तैयार की गयी थी वह फिर २२ जिलों से हमारे पास पहुंच चुकी है और उम्मीद की जाती है कि २ अक्तूबर से काम प्रारम्भ करा देंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

केन्द्रीय सरकार ने जो योजना वापस कर दी, फिर अब जो आपने योजना बनायी है क्या उस पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो नयी योजना बनी है वह केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके ही बनी है और वह केन्द्रीय सरकार को स्वीकार है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या किसी अधिकारी को इसकी देखरेख के लिये नियुक्त किया गया, और वह कौन अधिकारी हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, सचिवालय के एक संयुक्त सचिव इस प्रोग्राम को देखते हैं और जिलों में जिलाधीश देखते हैं। उनके अधीन अन्य अधिकारी भी काम करते हैं।

(श्री बंशीधर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इस पर ढाई घंटे की चर्चा करा दें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं भी चाहता हूं। यह ठीक है। इस पर ५ घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये, वह बाद में देखा जायेगा। अभी उसका समय नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि यह एक चमत्कारिक योजना बना कर भेजी गयी। मान्यवर, प्लानिंग की जो पुस्तक बटी है उसमें है कि जब उत्तर प्रदेश में ७ हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे तब जाकर सन् ८२ में हमारी पर कैपिटा इनकम उतनी होगी जितनी कि देश की प्रति व्यक्ति सन् ७६ ही हो जायेगी। तो जो यह चमत्कारिक योजना भेजी गयी है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो क्या आप भारत सरकार से यह कहेंगे कि यह धन काफी नहीं है और दूसरे मुझे नये कार्यक्रम न लेने दो, जो इन योजनाओं में शुरू हुए ह, उन्हें ही पूरे करने दिया जाय।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि जो देहातों में बेरोजगारी है, उसे कैसे दूर किया जाय और इस उद्देश्य से यह योजना अलग से तैयार की गई थी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है, यह ठीक है कि यह उसी का हिस्सा होगी। लेकिन उस योजना में जो रुपया रखा गया है, वह उसी पर व्यय होगा। यह अलग से बेरोजगारी दूर करने के लिये बानया गया है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पंचायत मंत्रियों की विधान सभा के सामने गिरफ्तारी

**१—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ जुलाई, १९७१ को कितने पंचायत मन्त्री विधान सभा के सामने पकड़े गये ? पुलिस ने क्या पंचायत मन्त्रियों को थानें पर मारा पीटा और इन पंचायत मन्त्रियों की क्या मांग थीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक १२ जुलाई, १९७१ को विधान सभा के सामने ७५९ पंचायत मंत्री गिरफ्तार किये गये। पुलिस द्वारा थाने पर किसी गिरफ्तार पंचायत मंत्री को मारा पीटा नहीं गया। उनकी मांगों का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, इसमें है कि पंचायत मंत्रियों ने कुछ पूरक मांगें की हैं यह बड़ा असंगत उत्तर है। इसमें लिखा है कि १-४-६९ को ७५–११५ का वेतन माना है और फिर आगे लिखा है कि १२०–२२० का वेतन-क्रम माना है तो इनका ऊपर वाला उत्तर सही है या नीचे वाला ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह तो मुख्य मांग है कि १२०–२२० का वेतन क्रम कर दिया जाय, लेकिन जो पिछला है जो सरकार ने निश्चित किया है वह ७५–११५ का है, जो पिछली तारीख से लागू है।

श्री रामगोपास संड—

जब पंचायत मंत्रियों की हड़ताल चल रही थी तो क्या मुख्य मंत्री जी उनके सम्मेलन में गये थे और क्या उनको आश्वासन दे आए थे ? क्या यह आश्वासन दे आए थे कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जायेगा, ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मुख्य मंत्री जी उनकी मीटिंग में गये थे और उन्होंने उनसे यह कहा था कि हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, हमें मौका दीजिये काम करने का और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आपके मांगों पर सहानुभूति से विचार करूंगा और आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। यही थोड़े से आश्वासन दिये थे।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

कृपया मंत्री जी बताएं कि उनकी क्या मांगे हैं और मुख्य मंत्री न उन्हें क्या आश्वासन दिये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पंचायत मंत्री गिरफ्तार करके लखनऊ के विभिन्न थानों में रखें गये थे, तो उन्हें वहां खाना और पानी नहीं दिया गया ? तथा जेलों में कम्बल वगैरह नहीं दिये गये थे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि ऐसी-ऐसी उन्हें तकलीफ दी गई।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धारा १८८ के अन्तर्गत जो पंचायत मंत्री और हमारे दल के विधायक श्री लक्ष्मण स्वरूप का चालान हुआ था, वे मुकदमें सरकार ने वापस ले लिए हैं या उनके विरुद्ध चलाएगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

१८८ के अन्तर्गत जो मुकदमें चलाये गये थे, उनका निर्णय हो चुका है और १४ तारीख को वे रिहा भी कर दिय गय हैं ।

विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत काम करने वाले लिपिकों की सेवाएं

**२—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्य करने वाले लगभग ७०० तकावी ऋण लिपिकों की सेवायें ३१ जुलाई,१९७१ से समाप्त होने जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन लिपिकों के लिये वर्तमान बजट में किये गये प्राविधान के अनुसार उनकी सेवावधि बढ़ाते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जा रही है ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना सामुदायिक विकास प्रायोजना तथा अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋणों के लेखा जोखा रखने के लिये ३१ जुलाई, १९७१ तक ५१ आशिक तथा ५०३ कनिष्ट लिपिक के अतिरिक्त पद स्वीकृत हैं । कार्यभार के आधार पर उपरोक्त पदों की अवधि बढ़ाने के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये फिलहाल उक्त पदों को ३० सितम्बर, १९७१ तक के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

फालतू कर्मचारियों को अन्य पदों में खपाने के मामले पर भी विचार हो रहा है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय पंचायत मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० सितम्बर, १९७१ को सेवा अवधि समाप्त होने के बाद कितने लिपिक फालतू घोषित किये जायंगे और उन के लिये कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिसमें उनको लगाया जा सके और उनकी सेवा समाप्त न हो ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उत्तर में है । एक अंश का जवाब दिया जा सकता है कि फालतू कितने होंगे ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इस बात का निर्णय करने के लिये २ मास का समय बढ़ाया गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर विकास क्षेत्र के द्वारा लगभग २०–२० लाख की लोनिंग हुई है, उसको वसूल कर लेने की सारी व्यवस्था करने के लिये इन कर्मचारियों की सेवायें नितांत आवश्यक हैं, यदि उनको निकाल दिया गया तो वसूली में रुकावट पड़ जायगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवायें समाप्त नहीं करेंगे और यथास्थान काम करने देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इनमें से कुछ कमचारियों को काम करने का अवसर दिया जायगा ।

जिला मथुरा के पुलिस कप्तान आयकर अधिकारी या बिक्रीकर अधिकारी का रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना

**३—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के पुलिस कप्तान, आय कर अधिकारी या बिक्री-कर अधिकारी पिछले तीन माह के अन्दर लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए दिल्ली में गिरफ्तार हुये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि कार्यवाही की है तो उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, डाइरेक्टर सी० बी० आई०, नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार सर्व श्री पी० सी० प्रसाद, पुलिस अधीक्षक मथुरा तथा बी० आर० सन्त, इन्कम टक्स आफिसर, रिकवरी, आगरा दिनांक ११-५-७१ को नई दिल्ली स्थित एक शेड्यूड बैंक से २ लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गये । श्री प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही उन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया गया है । मामले में अभी सी० बी० आई० द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिवप्रसाद आदि किस बैंक से और किस आदमी से और किस बारे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गये, इसकी सूचना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, बैंक का नाम मकटाइल बैंक आफ इंडिया, न्यु देलही । यह केस का टैक्स रिकवरी का, उस बैंक से संबंधित था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस बड़े भारी रिश्वत के मामले में एक बड़ा गैंग था जो कि इनके साथ संलग्न था जिसमें उत्तर प्रदेश के कई और मामलों में जो इनके मातहत काम करते थे वह थे, क्या उनकी जानकारी आपको है या कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

सी० बी० आई० द्वारा जांच हो रही है । इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं है । जो सारे तथ्य हैं सारे प्रकाश में आ जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सरदार भगत सिंह द्वारा गदरपुर जिला नैनीताल की जमीन पर नाजायज कब्जा

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गदरपुर तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल के सरदार भगतसिंह ने जो गदरपुर की सैकड़ों एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और सड़क के साथ-साथ बाजार में आम की जमीन पर नाजायज कब्जा करके जिसकी कीमत

लाखों रुपया है अपनी तथा अपने रिश्तेदारों की दुकानें बना ली हैं ? उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

श्री भगत सिंह का ग्राम अलखदेवी की तीन बीघा भूमि पर १३६६ फसली से तथा उनकी पत्नी श्रीमती सत्यनाम देवी का १० बीघा ७ बिस्वा भूमि पर १३७१ फसली से अनधिकृत कब्जा है। श्री भगत सिंह के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी पर उनकी पत्नी की बेदखली के आदेश १४ सितम्बर, १९६७ को दिये गये थे और इन आदेशों को उनकी अपील पर जिला जज कुमायूं द्वारा ७ नवम्बर, १९६७ को स्थगित कर दिया गया था।

गदरपुर बाजार में ५० फीट लम्बा और ४६ फीट चौड़ा एक प्लाट श्री भगत सिंह के पक्ष में १२ अप्रैल, १९६४ को राजस्व परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस प्लाट के अतिरिक्त बाजार की भूमि पर इनका अनधिकृत कब्जा नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मुझे दिया गया है वह पूर्ण नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दूसरा प्रश्न मुझे दे दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय सदस्य का कहना है कि उत्तर अपूर्ण है इस लिये इसे चलने दिया जाय।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

भगत सिंह के पास कुल नाजायज शक्ल में कितनी जमीन है और क्या कारण है कि उन्होंने लाखादेवी ग्राम की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

प्रदेश में नाजायज कब्जे के बारे में पूछा गया है और उसी का उत्तर दिया गया है। अब यह मेरी समझ में नहीं आया माननीय सदस्य ने जो कहा कि उत्तर पूर्ण नहीं है वह कौन सा उत्तर चाहते थे जो पूर्ण हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव में भगत सिंह ने विभिन्न फर्जी तथा कुछ सही नामों से जमीन ले रखी है और उस पर उसने नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है और उसके पास १४ ट्रक्टर भी मौजूद हैं जिनसे वह उस जमीन को जोतता है ? क्या सरकार उपरोक्त कथन की जांच करके जितनी नाजायज जमीन उसके पास है वह उससे लेकर उचित लोगों में बटवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह बात सही है कि इस आदमी के पास बहुत सी ऐसी जमीन है जिसपर खुद का कब्जा कर रखा है और कुछ पर अपने रिश्तेदारों के नाम से कब्जा कर रखा है और कुछ पर ऐसे लोगों के नाम से कब्जा कर रखा है जिससे यह सन्देह होता है कि कब्जा इसी आदमी का है और नाम दूसरों के वह जमीन है। इसकी जांच हम करायेंगे।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जब सरकार ने यह महसूस किया है कि सैकड़ों एकड़ जमीन है और इस आदमी ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो सरकार बतलायेगी कि कुल कितने एकड़ जमीन इसके पास है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनका जवाब है कि ऐसा अन्देशा सरकार को भी है। उसकी जांच करने के लिये उन्होंने कहा है।

श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या सरकार बतलायेगी कि यह भगत सिंह कौन है कहां का रहने वाला है, कितने दिनों से इस आराजी पर वह काबिज है और कुल कितना रकबा उसके पास है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, ये विस्थापित हैं, यहां पर बहुत दिनों से रह रहे हैं और इनके पिता जी का नाम लड्ढाराम था। उनके पास १९७ बीघा जमीन थी। उसके बाद जब उनको निकाला गया तो वहां पर एक रिसीवर मुकर्रर किया गया। उसमें उन्होंने उस जमीन को विभिन्न आदमियों के नाम बांट दिया। कुछ जमीन अपने नाम, कुछ अपनी पत्नी के नाम और कुछ जमीन अपने भानजे के नाम कर दी। तो यदि वह जमीन नाजायज तरीके से कब्जा होगा तो नाजायज है और यदि जायज कब्जा होगा तो जायज है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस इलाके में बहुत-सी जमीन नाजायज तरीके से कब्जे में हो रही है तो मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिन व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं वे पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निकट के रिश्तेदार हैं और इसीलिये सरकार को उन्हें निकालने में कठिनाई हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि यहां पर बहुत से लोगों ने नाजायज तौर से कब्जा कर रखा है। मुझे तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि ये लोग पंजाब के मुख्य मंत्री के संबंधी हैं और यदि हैं भी तो वह किस तरह से। अतः यह कहना गलत है कि हमें कठिनाई पड़ रही है। कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन का पट्टा किस तारीख को उसने अपने नाम, अपनी बीबी के नाम और अपने भानजे के नाम करवाया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, १० जनवरी, १९७० को उसने हरबंश लाल नामक एक शख्स हैं उनको ६४ बीघा, एक कश्मीरी लाल हैं उनको ६९ बीघा और एक यमुनादेवी हैं उनको ६३ बीघा जमीन उनके नाम करवाया।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गदरपुर के सरदार भगत सिंह पंजाब से कुछ सरदारों को लाकर वहां की सारी तराई वाली जमीन पर कब्जा करने के लिये गिरोह बनाये हुये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिले में हो रही चकबन्दी के सम्बन्ध में ए० सी० ओ० अथवा सी० ओ० के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बांसी और नौगढ़ तहसील में हो रही चकबन्दी के सम्बन्ध में इस वर्ष कितने ए० सी० ओ० अथवा सी० ओ० के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और अब तक उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला बस्ती के तहसील बांसी व नौगढ़ में हो रही चकबन्दी के सम्बन्ध में ए० सी० ओ० तथा सी० ओ० के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई—

तहसील बांसी

अवधि	संख्या शिकायती-पत्र	अधिकारी जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं
१-९-१९६९ से ३०-६-७१ तक	५	३ चकबन्दी अधिकारी
" "	६	५ सहायक चकबन्दी अधिकारी ।

तहसील नौगढ़

अवधि	संख्या शिकायती पत्र	अधिकारी जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं
१-८-७० से ३०-६-१९७१	५	२ चकबन्दी अधिकारी ।
" "	८	६ सहायक चकबन्दी अधिकारी ।

की गयी कार्यवाही के विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६१७ पर)

जनपद देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के नायब तहसीलदार तथा सुपरवाइजर का स्थानान्तरण

*२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के नायब तहसीलदार तथा सुपरवाइजर कानूनगो तीन वर्ष से अधिक से उक्त क्षेत्र में हैं, और इस बीच इन लोगों का कितनी बार स्थानान्तरण हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां । इस बीच संबंधित नायब तहसीलदार का वहां से एक बार व सुपरवाइजर कानूनगो का वहां से दो बार स्थानान्तरण करने के आदेश हुये थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या ३ माननीय वन मंत्री

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर यह बात सही है तो उनसे कह दें कि वे इस जमीन को छोड़ दें....।

श्री उपाध्यक्ष—

जब चर्चा का समय मांगा जायेगा तो कह दिया जायेगा ।

सरदार चंचल सिंह गिल (जिला रामपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दें....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि प्रश्न पूछे जा सकें । अभी १२ बजने में भी देर है और सरदार चंचल सिंह खड़े हुये थे, आपने बोलने का अवसर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वामी का व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो पिछला प्रश्न गया उस पर बहुत से सदस्यों की रुचि थी और सरदार जी खड़े हुये थे, और भी लोग खड़े हुये तो इसकी महत्ता को देखते हुए आधे घंटे की चर्चा इस पर दे दें

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वन का अनुदान पास हो गया होता तो आपको अवसर नहीं मिलता और मैं सोचता लेकिन वह पास नहीं हुआ है उसमें आप बोल सकते हैं देखा जायगा उसके बाद ।

वन मंत्री इस प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पढ़ दें ।

लीसे से गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल को लाभ

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९–७०, १९७०–७१ में लीसे से गढ़वाल कुमाऊं मंडल को अलग-अलग कितना लाभ हुआ और लीसा किस रेट पर बिका ?

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

वित्तीय वर्ष १९६९–७० तथा १९७०–७१ में लीसे से कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मण्डल को निम्नलिखित लाभ हुआ:—

वर्ष	कुमाऊं मण्डल का लाभ (रुपयों में)	गढ़वाल मंडल का लाभ (रुपयों में)
१९६९–७०	९९,४८,२३३	३१,०६,७१९
१९७०–७१	१,०६,९०,१४३	६४,७९,५०१

तथा लीसा निम्नलिखित रेट पर बिका:—

जिस प्रकार बेचा गया	वर्ष १९६९–७० की दर प्रति क्विन्टल (रुपयों में)	वर्ष १९७०–७१ की दर प्रति क्विन्टल (रुपयों में)
१—इंडियन टरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी, बरेली तथा सहकारी समितियों को।	११५–६१ (९४ रु० मूल्य +२१–६१ रु० लाभांश)	१४०.००
२—औद्योगिक इकाइयों को ..	१४७.७३	१९७.९५
३—खुले नीलाम में	१९५.१३	२२१.६०

इसके अतिरिक्त २.६८ रु० प्रति क्विन्टल की दर से जिला परिषदों को अंशदान भी दिया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने लाभांश के बारे में बताया है, यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष ६९–७० और ७०–७१ में लीसा का कुल कितना उत्पादन हुआ और गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को कितना प्रतिशत दिया गया ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, १९६९–७० में कुमायूं और गढ़वाल में वन विभाग—१,३०,६४८ और गढ़वाल मंडल में २,१८,१६१ और पंचायत बनों से ३०,३४५, कुमायूं मंडल में और गढ़वाल मंडल में ४,०५०। १९७०–७१ में १,०८,१६८ कुमायूं में और सरकारी पंचायत से २,७६,६५६, गढ़वाल में २४,८९४ और सिविल पंचायत से ४,११९।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोजिन टरपेंटाइन फैक्टरी जो पब्लिक सेक्टर में है उसे औद्योगिक इकाइयों से जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, सस्ता लीसा क्यों दिया जाता है और यह फर्क क्यों है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, आई० टी० आर०, बरेली को लीसा सस्ता दिया जाता है उसके तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि वह एक पब्लिक लिमिटेड कंसर्न है। दूसरा कारण यह है कि उससे जो माल बनता है वह अन्य इंडस्ट्रियल यूनिट्स की अपेक्षा बेहतर होता है। तीसरा कारण यह है कि उसमें जो माल बनता है, उसकी बिक्री के दामों पर वन विभाग का नियंत्रण रहता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जिन औद्योगिक इकाइयों को सस्ते रेट पर लीसा दिया जाता है, उनके बारे में ऐसी भी शिकायत उनको मिली है कि उनमें से कुछ औद्योगिक इकाइयां बोगस हैं और वे चोर-बाजारी में लीसा बेचती हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

ऐसी शिकायत शासन को मिली है, जांच करायी जा रही है ।

श्री इन्द्रमणि—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मंत्री जी की ओर से लीसा का रेट बढ़ाये जाने का भी कोई प्रयास हो रहा है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, हर साल लीसे की कीमत बढ़ जाती है ।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[५वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न सं० १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल के वन्य जन्तु रक्षक द्वारा एक शिकारी से शेर की खाल बरामद करना

*३—श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मंत्री को पता है कि सोमवार, दिनांक १२ अप्रैल, १९७१ को कोटद्वार गढ़वाल के वन्य जन्तु रक्षक ने एक शिकारी से चोरी से मारे हुये ११ फिट की शेर की खाल बरामद की जिसको शिकारी ने कोटरी रेंज लैंस डाउन फारेस्ट डिवीजन में मारा था ? यदि हां, तो वह शिकारी कौन था और उसके साथ क्या कानूनी कार्यवाही की गई ?

श्री नरेंद्र सिंह भंडारी—

सोमवार दिनांक १२ अप्रैल, १९७१ को कोटद्वारा गढ़वाल के वन्य जन्तु प्रतिपालक तथा अन्य कर्मचारियों ने एक शिकारी से चोरी से मारे हुये लगभग ११ फिट की शेर की खाल बरामद की जिसको शिकारी ने कोटरी रेंज लैन्सडाउन वन प्रभाग के गूजर सोत नामक स्थान में मारा था । अभियुक्त का नाम पेरिया बागरी है जिसको उसी तिथि में पकड़ा गया । मामले को अभियुक्त सहित परगना मजिस्ट्रेट लैन्सडाउन के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । परगना मजिस्ट्रेट ने वाइल्ड बर्ड्स ऐंड एनिमल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट की धारा ३(ए) के अन्तर्गत २५ रुपये जुर्माना किया । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा ६८(३) के अन्तर्गत १,००० रुपया वसूल किया गया और खाल जब्त कर ली गई ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

श्रीमन्, यह बहुत गंभीर बात है । दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष मंत्री जी शेर के शिकार को बन्द कर चुके हैं । अगर कोई पकड़ा जाता है तो केवल जुरमाना कर दिया जाता है । मैं पूछता हूं कि उसकी बंदूक क्यों जब्त नहीं की गयी ?

श्री गुलाब सिंह—

मजिस्ट्रेट साहब ने यही सजा उनको दी ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

जिस धारा के तहत यह २५ रुपया जुरमाना किया गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है ?

श्री गुलाब सिंह—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

पिछले साल ही वन मंत्री जी ने शेर के शिकार को बन्द कर दिया था । भारत सरकार ने भी ऐसा कानून बनाया है तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि विभाग के कर्मचारी ही ऐसे पेशेवर लोगों को शिकार खिलाया करते हैं । २५ रुपया जुरमाना हो जायगा और १० हजार की तो खाल ही हो जायगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसी सूचना विभाग को नहीं है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि यह कायदा है कि अवैध शिकार खेलने पर बन्दूक का लाइसेंस जब्त कर लिया जायगा । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वन विभाग के अधिकारियों ने डी०एम० को लिखें कि उसका बन्दूक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाय ?

श्री गुलाब सिंह—

इस बात की सूचना हमको नहीं है कि वन अधिकारी ने लिखा है या नहीं ।

श्री इन्द्रमणि—

वन विभाग की ओर से मजिस्ट्रेट के सामने किसने मुकदमें की पैरवी की ?

श्री गुलाब सिंह—

यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

खाल तो बरामद करके दिखा दी । लेकिन उसका गोश्त वगैरह कहां गया ? दूसरे यह जो कार्यवाही हुई यह प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न करने के बाद हुई या उससे पहले ?

श्री गुलाब सिंह—

जैसे ही यह सूचना मिली कि शेर मारा गया है उसके तुरन्त बाद कार्यवाही की गयी ।

*४-५—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तहसील, अमरोहा, जिला मुरादाबाद में सीलिंग तथा ग्राम सभाओं की भूमि का भूमिहीनो में वितरण

*६—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद जनपद के अन्तर्गत तहसील अमरोहा में सीलिंग की कितनी भूमि कहां-कहां से सरकार को प्राप्त हुई और वह किन-किन भूमिहीनों को बांटी गई ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

निम्नलिखित गांवों में सरकार को सीलिंग की भूमि प्राप्त हुई है:—

क्रम-संख्या	गांव का नाम		क्षेत्रफल
१	माननगर उर्फ कांठ	..	०.२३ एकड़
२	मोहड़ी हजरतपुर	..	३.२४ ,,
३	मल्हीवाला	..	१३.३३ ,,
४	चक हाफिजपुर	..	२.७४ ,,
५	चन्देरी अकबरपुर	..	४.९३ ,,
६	हीपपुर	..	१४.७७ ,,
७	लम्बीया	..	७.५२ ,,
८	गोपालपुर नत्था नगला उर्फ कोकरपुर	..	५.०२ ,,
९	मेहन्दरी सिकन्दरपुर	..	०.०५ ,,
१०	सिहाली नरायन ..	..	१५.९२ ,,

जिन लोगों को उपर्युक्त भूमि में से भूमि पट्टे पर उठाई गई है, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६१८–६२० पर

*७—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील में ग्राम सभाओं की कितनी भूमि ऐसी है जो भूमिहीनों को शासन द्वारा आवंटित की गई ? क्या सरकार उनके नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

गांव सभा में निहित भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा किया जाता है । शासन द्वारा कोई भूमि आवंटित न हीं की गई । अतः भूमिहीनों के नाम बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नौनिहाल सिंह—

राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो संलग्न सूची में भूमि का विवरण दिया गया है यह भूमि शासन को सीलिंग में कब प्राप्त हुई और कब आवंटित की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तफसीली सवाल है । कुल कितनी हुई यह बतला दिया ।

श्री रियासत हुसैन—

जिन लोगों को वह भूमि आवंटन की गयी है क्या वाकई में उनका उन जमीनों पर कब्जा हो गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो कब तक उनका कब्जा करा देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे इस बात की सूचना तो नहीं है कि सब का क ब्जा हो गया या नहीं । यह पूछा भी नहीं गया था । लेकिन मैं समझता हूं कि कब्जा जरूर हो गया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिवराज सिंह. . . .।

श्री नौनिहाल सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और आप दिला नहीं रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको जरूर उत्तर मिलना चाहिये, लेकिन इस तरह आप समय बरबाद कर रहे हैं । मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार जिन भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन दी गयी है उनमें से कुछ प्रतिशत के संबंध में निश्चित रूप से यह जानकारी कराया करेगी कि उनका कब्जा हो गया है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आपके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है लेकिन यह प्रतिशत किस हिसाब से लगायेंगे ।

श्री शिवराज सिंह—

फिर से जांच कराकर आप इसको जान सकते हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

शत-प्रति-शत की जांच फिर से नहीं कराई जा सकती है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

जिन व्यक्तियों को यह सीलिंग की भूमि बांटी गई है वह प्रति व्यक्ति कितने एकड़ है और क्या उनको बैल या कोई दूसरा आर्थिक सहायता दी गई है यदि हां, तो कितनी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आर्थिक सहायता का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है जमीन भी ३ सही १ बटा ८ से ज्यादा नहीं दी गई है ।

(प्र० सं० ८ पर बढ़ने के उपरान्त)

श्री नौनिहाल सिंह—

मुझे एक प्रश्न का तो उत्तर दिला दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अवसर दे दिया गया । इस तरह से काम नहीं चलेगा । आप अपने प्रश्नोत्तर को पढ़ लीजिये । आप बार-बार आग्रह करते हैं। (शोर)

श्री नौनिहाल सिंह—

मेरा सवाल था तो मुझे अवसर मिलना चाहिये था ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

हर एक सदस्य का यह अधिकार होता है कि हाउस के सामने जो प्रश्न आ जाता है उस पर सवाल पूंछ सके । जो प्रश्न हाउस के सामने आ गया तो उस पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अगर आप प्रोसीडिंग निकाल कर देखें तो यह पता चलेगा कि कुछ माननीय सदस्यों को रोज किसी न किसी प्रश्न पर मौका मिल जाता है और जो प्रश्नकर्ता होता है उसको कम अवसर मिलता है । इससे क्या नये लोगों के साथ यह अव्यवस्था नहीं होगी कि कुछ लोगों को बराबर रोज अवसर मिलें और दूसरे पीछे वालों को कम ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यह कार्यवाही चलती है। आप इस प्रकार के प्रश्न उठाकर यहां पर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं ।

श्री नौनिहाल सिंह—

आपने मुझे अवसर प्रश्न पूछने का नहीं दिया है । इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नौनिहाल सिंह सदन त्यागकर चले गये ।)

तहसील चकराता में तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

*८—श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री को यह विदित है कि दिनांक २५ अप्रैल, १९७१ को चकराता, जिला देहरादून में परगना जौनसार बाबर की जनता की कोई सार्वजनिक सभा हुई जिसमें तहसील चकराता के तहसीलदार व अन्य अधिकारियों पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये और इस आशय का एक प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां । शासन में इस आशय के प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई थी । शासन ने उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित शिकायतों पर सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की आज्ञा दी और संबंधित तहसीलदार को निलम्बित करने के आदेश भी दिये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि इस मीटिंग के बाद इस तहसीलदार ने रिश्वत का २ हजार रुपया रिश्वत देने वाले आदमी को वापस किया है, यदि नहीं, तो इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे इसकी जानकारी नहीं है । आप लिखित भेज देंगे तो मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस सार्वजनिक प्रस्ताव में भ्रष्टाचार की ही नहीं बल्कि अनाचार की भी शिकायत हुई थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे यह तो मालूम नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायत भी कोई कम नहीं होती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद इस तहसीलदार का स्थानान्तरण चमोली जिले को कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार की यह नीति है कि जिनको दंड दिया जाय उनको पहाड़ पर भेज दिया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

वह तो निलम्बित हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस व्यक्ति के विरुद्ध लिखित में क्या-क्या आरोप आये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसके लिये तो पत्र फिर से मंगाना पड़ेगा, जो पत्र आया था वह सतर्कता आयोग को भेज दिया गया है ।

जिला सीतापुर में अमीन द्वारा बकाया वसूली का गबन एवं काश्तकारों से दुबारा वसूली

*९--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा बम्भौरा, ब्लाक महौली, जिला सीतापुर में बकाया वसूल करने वाले किसी अमीन ने ९,००० (नौ हजार) रुपये का गबन किया है ? यदि हां, तो कौन अमीन है और किन-किन लोगों से उसने बकाया सरकारी देय धन वसूल किया था ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

ग्राम सभा बम्भौरा, महोली ब्लाक में नहीं है और न इस ग्राम सभा क्षेत्र में नियुक्त किसी अमीन ने गबन किया है । किन्तु महोली ब्लाक के बड़ागांव नामक हल्के के अमीन श्री अब्दुल अजीज वेग ने वसूली के धन का गबन किया है जिसकी जांच की जा रही है । प्रारम्भिक जांच में रु०१,२६९.८२ का गबन प्रकाश में आया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई । जिन लोगों से यह धन वसूल करके गबन किया गया उनकी सूची संलग्न है । इसके अतिरिक्त रु०७,८५६.९३ के गबन की और आशंका है परन्तु यह संबंधित अभिलेखों से अभी पूर्णतया प्रमाणित नहीं हो पाया है । जांच जारी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६२१-६२२ पर)

*१०--श्री रामलाल राही--

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों ने बकाया सरकारी देय धन अदा कर दिया था उनसे दुबारा वसूलयाबी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

जिन लोगों से वसूल की गई धनराशि के गबन का मामला प्रकाश में आ गया है उनसे दुबारा वसूली नहीं की जा रही है ।

श्री रामलाल राही—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गबन की जानकारी शासन को कब हुई और उनकी रिपोर्ट थाने में कब लिखाई गई और इसकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह जानकारी आडिट रिपोर्ट से हुई ।

श्री राम लाल राही—

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि गबन की जानकारी कब और किस प्रकार से शासन को हुई, उसकी रिपोर्ट थाने में कब दर्ज कराई गई और इसकी जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जांच तो पुलिस के द्वारा हो रही है, गबन की जानकारी आडिट रिपोर्ट से हुई और बाद में जो कूपन्स बचे उनकी जांच हो रही है।

(प्र० ११ व १२ के उत्तर के लिये बुलाने पर)

श्री रामलाल राही—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप यह अन्याय कर रहे हैं । तीन चार दिन से आपने हमें एक भी प्रश्न करने की इजाजत नहीं दी और किसानों को दुबारा लगान देने के लिये मजबूर किया जा रहा है (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

आज क्या सरकारी पक्ष की तरफ से निश्चय हुआ है कि आपके ऊपर दबाव डालें ?

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, आज शासक पार्टी के एक माननीय सदस्य ने सदन त्याग कर दिया है तो यह एक-एक करके ऐसे ही अलग होंगे, उनके मंत्रियों को इसे चेतावनी समझना चाहिये ।

(व्यवधान)

गोरखपुर के सरदार सुरेन्द्र सिंह मजिठिया के पास सीलिंग के हजारों एकड़ फार्म

*११—श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार नगर, गोरखपुर के सरदार सुरेंद्र सिंह मजिठिया के पास सीलिंग का कानून बनने के पहले कितने हजार एकड़ का फार्म था और इस समय अप्रैल, ७१ तक उनके जोत में कितने एकड़ का फार्म है?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के लागू होने से पूर्व सरदारनगर के सरदार सुरेंद्र सिंह मुश्तर्का खाते में हिस्सेदार थे जिनमें इनके अतिरिक्त सर्वश्री सुरजीत सिंह, गुरू निहाल सिंह व दलीप सिंह खातेदार थे । इस खाते में श्री सुरेंद्र सिंह का भाग ९५१.४४ एकड़ था । अप्रैल १९७१ में इनकी जोत का क्षेत्रफल डिस्टिलरी के १६२.०३ एकड़ को छोड़कर ३१२.०३ एकड़ था ।

*१२—श्री राम करन सिंह—

क्या माल मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरदार नगर, गोरखपुर के सुरेंद्र सिंह मजिठिया ने अपने फार्म को सीलिंग से बचाने के लिये लड़कियों के स्कूल, सरदार

नगर ट्रस्ट, डेरी फार्म तथा सहकारी फार्म की शक्ल दे रखी है तो इन नामों पर कितने-कितने एकड़ दर्ज हैं, जांच कराकर सदन को अवगत करावेंगे ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

दिनांक १ अगस्त, १९५९ को लेडी परसन और शैक्षिक ट्रस्ट कायम हुआ जिसे मजीठिया परिवार की ८८२.४७ एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई जिसमें श्री सुरेंद्र सिंह मजीठिया के हिस्से की भूमि ४६०.९२ एकड़ थी ।

सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत श्री सुरेंद्र सिंह मजीठिया को डेरी के लिये अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत १६६ एकड़ भूमि की छूट मिली थी ।

श्री सुरेंद्र सिंह मजीठिया से संबंधित कोई सहकारी फार्म नहीं है ।

श्री रामकरन सिंह--

अभी अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डेयरी के लिये अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत १६६ एकड़ भूमि की छूट मिली है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डेयरी के नाम पर कोई गाय भैंस है या नहीं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*१३--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया]

*१४--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[४थे सोमवार में प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा जिले में परगना अधिकारियों के पास दाखिल-खारिज के मामले

*१५--श्री तेजपाल सिंह कृष्ण (जिला मथुरा)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना अधिकारियों की अदालतों में दाखिल-खारिज के एक साल से अधिक समय के कितने केस मथुरा जिले में पड़े हुये हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मथुरा जिले में परगनाधिकारियों की अदालतों में एक साल से अधिक समय का दाखिल खारिज की कोई केस अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

*१६--श्री तेजपाल सिंह कृष्ण--

इनके शीघ्र निपटाने के लिए क्या सरकार प्राविधान करेगी कि तहसीलदार स्वयं (सूचना देकर) गांवों में लेखपाल सहित जांय और मौके पर ही दाखिल-खारिज कर दिया करें जैसा समीप के हरियाणा प्रान्त में है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस राज्य में भी उत्तराधिकार पर आधारित दाखिल-खारिज के निर्विवाद मामलों का निपटारा गांव में ही कानूनगो द्वारा कर दिया जाता है। कवल विवादग्रस्त उत्तराधिकार तथा हस्तांतरण पर आधारित मुकदमे ही तहसीलदार एवं परगनाधिकारियों के न्यायालय में जाते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर वकीलों की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है। अतः उन की सुनवाई गांव में करने में सम्बन्धित व्यक्तियों को कठिनाई होगी। इन मुकदमों का निपटारा शीघ्रता से करने के निमित्त शासन ने पहले से ही आदेश दे रखे हैं।

*१७—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१८—नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४थे सोमवार में प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२१—श्री रामगोपाल संण्ड, श्री गोविन्दसिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री रामधारी शास्त्री, श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री इन्द्र लाल—

[वक्तव्य होने के कारण निरस्त]।

देवरिया जिले में वर्षा से रबी की फसल को क्षति

*२२—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मई-जून, १९७१ में हुई वर्षा तथा उपलवृष्टि से हानि के सम्बन्ध में देवरिया जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट क्या है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मई-जून, १९७१ में देवरिया जिले में उपलवृष्टि की कोई सूचना नहीं मिली।

असामयिक वर्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने रिपोर्ट भेजी थी कि वर्षा से जिले के ३,७८३ ग्रामों में खलिहानों में पड़ी हुई रबी की फसल को तथा फलों को क्षति पहुंची। फसलों की क्षति की मात्रा ४० से ८० प्रतिशत तक आंकी थी। फलों की क्षति का अनुमान २५ से ५० प्रतिशत था। कुल क्षति का मूल्यांकन १५ करोड़ रुपये के ऊपर अनुमानित किया गया।

*२३—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री रामकरन सिंह, तथा श्री मैनेजर सिंह—

[५वें शुक्रवार में ता० प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में बाढ़ से क्षति

*२४—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री राम करन सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में १९६९-७० व १९७०–७१ में बाढ़ से जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति हेतु सरकार द्वारा किस-किस मद में कितना-कितना धन दिया गया था तथा उस में से घाघरा नदी के किनारे महुला में गढ़वाल बांध जो घाघरा नदी के पानी से सन् १९७० में कटा था उसके किनारे बसी क्षतिग्रस्त बस्तियों को क्या मुआवजा दिया गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति के लिए कभी कोई धन नहीं दिया जाता और न आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ही दिया गया था। हां, असहाय बाढ़ पीड़ितों को १९६९–७० में १,१२५ रुपये निःशुल्क सहायता के रूप में ६२०० रुपये की जीवनोपयोगी वस्तुएं ६६०८० रुपये गृह निर्माण अनुदान के रूप में और रुपये २६८७०.४४ पैसे निर्धन विद्यार्थियों की फीस देने हेतु दिया गया था। १९७०–७१ में १६०० रुपये निःशुल्क सहायता, ५०० रुपये की जीवनोपयोगी वस्तुएं १९४०० रुपये गृह निर्माण अनुदान और ७७२ रुपये निर्धन विद्यार्थियों को फीस के रूप में वितरित किया गया। वर्ष १९७० में महुला गढ़वल बांध नहीं कटा था।

अलकनन्दा नदी की बाढ़ से क्षति

*२५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, १९७१ में अलकनन्दा नदी में आयी हुई बाढ़ के कारण किन-किन स्थानों पर और कितने-कितने धन-जन की क्षति हुई और सरकार उन को क्या सहायता देने जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जून, १९७१ में अलकनन्दा नदी की बाढ़, अतिवृष्टि, भू-स्खनल एवं कटान से निजी सम्पदा, भूमि और फसलों को अनुमानतः १०,६०,७०० रुपये की क्षति हुई। सर्वाधिक क्षति नन्द प्रयाग और घाट के बीच स्थित ग्रामों को हुई। भू-स्खलन तथा मकान गिरने से ऊखीमठ के उनियाना ग्राम के ५ व्यक्तियों की और चमोली तहसील के पलेथीग्राम के २ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ४३२ पशु भी मरे। तहसीलवार क्षति के आंकड़े परिशिष्ट–१ में दिये गये हैं। सरकार की ओर से अब तक अहेतुक सहायता और गृह निर्माण अनुदान के रूप में ३४,३२५ रुपये और १८० वस्त्र असहाय पीड़तों को बांटे जा चुके हैं और इच्छुक लोगों को ९,९५० रुपये तकावी ऋण भी दिया जा चुका है।

बलिया में चकबन्दी कार्य में हुई अनियमितायें तथा अवैधानिकतायें

*२६—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला बलिया का मौजा जाम, परगना लखनेश्वर, तहसील रसड़ा में चकबन्दी कार्य के अन्तगत बहुत अनियमिततायें और अवैधानिकतायें पायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और सरकार इस गांव की चकबन्दी पुनः नये सिरे से कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ हो ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

अमिलेखों के गोशवारे पूर्ण रूप से नहीं लगाये गये थे, नक्शे पर किसी क हस्ताक्षर नहीं थे, वार्षिक पंजी व खतौनी चकबन्दी की निर्धारित जांच नहीं की गयी और न एरेटा लिस्ट तैयार की गयी, थी, इत्यादि।

इस ग्राम में पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं लिया है।

नगरपालिका हलद्वानी की काठगोदाम खाम भूमि खोंचे वालों को देना

*२७—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ३ जून, १९७० को तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री बतावेंगे कि संबंधित खोमचे वालों के मामले में शासन द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया जा चुका है या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

संबंधित दुकानदारों के मामले में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा चुका है कि हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड पर स्थित खाम बंगले के हाते की ७४८० वर्ग फीट भूमि ६८ दुकानदारों को १२० रुपये प्रति वर्ग गज नजराना लेकर ९० वर्ष के लिये २५ पैसा प्रति वर्ग गज वार्षिक भूकर पर पट्टे पर उठा दी जावे ।

उन्नाव में अतिवृष्टि के कारण हरिजनों के मकानों की क्षति

*२८—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १० दिसम्बर, १९७० को भेजा गया कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें सितम्बर मास १९७० में हुई जिले उन्नाव में अतिवृष्टि से हरिजनों के मकान गिरने की सूचना देते हुए उन्हें मकान बनवाने हेतु सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वन मंत्री (श्री अजित प्रताप सिंह—

प्रश्नगत पत्र सचिवालय के हरिजन सहायक विभाग में प्राप्त नहीं हुआ । तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय में इसके प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पर्वतीय जिलों के औद्योगीकरण के लिए वन विकास की सम्भावनायें

*२९—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह पर्वतीय जिलों के औद्योगीकरण के लिये वन विकास की संभावनाओं पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब तक?

श्री अजीत प्रताप सिंह)—

पर्वतीय जिलों के औद्योगीकरण के लिये वन विभाग द्वारा वन विकास की संभावनाओं पर केवल विचार ही नहीं किया जा रहा है बल्कि औद्योगीकरण के लिये वन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है जिनके अन्तर्गत औद्योगिक महत्व की विविध प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है ।

विश्व बैंक का तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल

*३०—श्री हरिसिंह बिष्ट—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि विश्व बैंक का ३ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जिसने पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र का अध्ययन एवं निरीक्षण किया था उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

विश्व बैंक के २ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जो पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र का निरीक्षण किया था उसकी कोई रिपोर्ट उन्होंने वन विभाग को अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

३१—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

उप संचालक चकबन्दी बुलन्दशहर के आदेश की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की मांग

*३२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को मालूम है कि डी०डी० सी० बुलन्दशहर ने दिनांक २७ जन, १९७० को रिवीजन के नं० १४७५ ६९, लेखा बनाम गजेन्द्रसिंह ने एक हुकुम दिया । परन्तु दिनांक ३० जून, १९७० को सिर्फ ३ दिन बाद उस आदेश के विरुद्ध दूसरा आदेश दे दिया, जो एक तर्फा था ? यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही के कारण जानने के लिये सी०आई०डी० से जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

रिवीजन संख्या १४७५/६८ गजेंद्रसिंह बनाम लेखा में ५ अगस्त, १९६९ के आदेश के विरुद्ध श्री लेखा के रिव्यू प्रार्थना पत्र को उप संचालक चकबन्दी, बुलन्दशहर ने २७ जून, १९७० के आदेश द्वारा स्वीकृत किया और ५-८-६९ के आदेश निरस्त कर दिये । इस आदेश के विरुद्ध श्री गजेंद्र सिंह के रिव्यू प्रार्थना पत्र पर ३० जून, १९७० को यह आदेश पारित किये कि २७ जून, १९७० का आदेश निरस्त किया जाये तथा रिव्यू प्रार्थना-पत्र पुन सुनः जाये। यह मामला इस समय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीन है । उन्होंने ३० जून, १९७० के पारित आदेश स्थगित (स्टे) कर दिये हैं । अतः किसी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३३—श्री रियासत हुसैन—

[५वें बृहस्पतिवार में ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोंडा में असामयिक वर्षा से हानि

*३४—श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में वर्ष १९७१ में असामयिक वर्षा से कुल कितने रुपये के फसल की हानि हुई है तथा इसके कारण क्या सरकार जनपद गोंडा की सरकारी वसूलियों को शीघ्रातिशीघ्र स्थगित करने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोंडा जिले में अप्रैल तथा मई, १९७१ में हुई असामयिक वर्षा से रबी फसलों को ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत क्षति हुई है, कुल हानि लगभग १५ करोड़ रुपये की अनुमानित की गई है । हानि के कारण मालगुजारी सिंचाई देय, तकावी एवं अन्य कृषीय देयों की चालू एवं बकाया वसूली स्थगित कर दी गई है।

टेहरी गढ़वाल में ओला वृष्टि से फसल को हानि

*३५—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, १९७१ में जिला टिहरी गढ़वाल की किन-किन पट्टियों में ओला-वृष्टि हुई है और फसल की कितनी प्रतिशत क्षति हुई है और शासन की ओर से क्या राहत पीड़ित क्षेत्रों में दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माह मई, १९७१ में इस जिले में तहसील प्रतापनगर के पट्टी मदूरा, ओण, ऐणद रमोली व मिलांग में ओला वृष्टि हुयी थी । ओला वृष्टि होने से पूर्व ही रबी की फसलें कट चुकी थीं जिसके कारण फसलों की कोई क्षति नहीं हुई किन्तु फलदार वृक्षों व फलों को लगभग १२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक क्षति हुई । इस क्षतिपूर्ति के लिये कोई सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

प्रोवेशन आफिसर्स तथा प्रोवेशन होस्टल्स

*३६—श्री रामधारी शास्त्री—

उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में प्रोवेशन आफिसर्स हैं और कहां-कहां प्रावेशन हास्टल्स हैं ? इनकी स्थापना के उद्देश्य क्या हैं और किस सीमा तक वे उद्देश्य सफल हो रहे हैं ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

शासन द्वारा कोई प्रोवेशन होस्टल नहीं चलाया जा रहा है। जिन जिलों में प्रोवेशन अधिकारी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

१—आगरा
२—अलीगढ़
३—इलाहाबाद
४—बरेली
५—बाराबंकी
६—बुलन्दशहर
७—देहरादून
८—देवरिया
९—इटावा
१०—फैजाबाद
११—फर्रुखाबाद
१२—फतेहपुर
१३—गोरखपुर
१४—गाजीपुर
१५—हमीरपुर
१६—जालौन
१७—हरदोई
१७—झांसी
१९—कानपुर
२०—जौनपुर
२१—लखनऊ
२२—लखीमपुर खीरी
२३—मेरठ
२४—मुरादाबाद
२५—मुजफ्फरनगर
२६—प्रतापगढ़
२७—रामपुर
२८—शाहजहांपुर
२९—सीतापुर
३०—सुल्तानपुर
३१—उन्नाव
३२—वाराणसी ।

तारांकित प्रश्न

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को दिये जाने वाला कच्चा माल

१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को समझौते क अनुसार ट्विस्टेड चीड़ की लकड़ी में १० प्रतिशत रेशा के बजाय १० प्रतिशत सीधे चीड़ की कीमती लकड़ी क्यों दी जा रही हैं ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को समझौते के अनुसार ट्विस्टेड खड़े चीड़ के वक्ष ही दिये जाते हैं जिनमें इमारती लकड़ी दस प्रतिशत से अधिक न हो । उनको सीधे पेड़ की लकड़ी नहीं दी जाती ।

२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ इंच डाइमीटर तक और ४ से ८ इंच डाइमीटर तक और ८ से १२ इंच डाइमीटर तक की चीड़ के पेड़ स्टार पेपर मिल को किस दर पर दिये जा रहे हैं और इसी प्रकार के चीड़ के पेड़ों का मूल्य आम-नीलामी में क्या मिलता है?

श्री अजित प्रताप सिंह---

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को छटान से १२ इंच डाइमीटर तक के पेड़ निम्नलिखित दर पर दिये जाते हैं:---

०-४ इंच डाइमींटर	२,१/२ पैसा प्रति पेड़
४-८ इंच डाइमीटर	१७ रसा प्रति पेड़
८-१२ इंच डाइमीटर	३ रु० ५० पैवा प्रति पेड़

इस प्रकार के चीड़ के पेड़ आम नीलाम में नहीं बेंचे गये ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

(श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सुरेंद्र विक्रम को प्रश्नों के संबंध में कुछ कहना है । पहले वे कहेंगे ?

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

आज की कार्य सूची नत्थी 'ख' में जो प्रश्न ३ है बिल्कुल यही प्रश्न हमन जून में दिया था लेकिन वह आज तक नहीं आया और बाद में वह चौथे या पांचवें सोमवार के लिये निर्धारित किया गया है और वह भी तारांकित, जब कि यह प्रश्न बाद में दिया गया और अल्पसूचित कर दिया गया आपके सचिवालय के बारे में यहां पर कुछ कहूं या लिख कर दूं उचित नहीं प्रतीत होता है लेकिन मैं देखता हूं कि कांग्रेस संगठन वाले माननीय सदस्यों के साथ उपेक्षा का वर्ताव किया जा रहा है । मैंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखकर भेजा है, आप कृपया इसे भी देख लें ?

विविध विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि २-३ दिन पहले इस सदन के अन्दर एक विषय के ऊपर चर्चा हुयी, बड़ा गम्भीर मामला था प्रेस मान्यता समिति के बारे में और यदि आपको याद हो तो माननीय टंडन जी ने जो राज्य मंत्री हैं, ४ गलत बयानी की थी, उनमें से २ को तो वापस ले लिया है. . . ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपसे निवेदन है कि अभी कार्यसूची के २ और ३ आइटम शेष हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह विशेषाधिकार में नहीं लिया जा रहा है । इसलिये मैं कह रहा हूं । मैं केवल करेक्शन के लिये कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर इस तरह से यह लिया जाय तो कोई काम चलेगा ही नहीं, आप कृपया बैठें ?

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, मुझे अपना प्रश्न करने का समय नहीं दिया गया है । इसलिये मैं सदन में नहीं बैठूंगा । यह सूचना देते हुए मैं जा रहा हूं ।

(श्री रामलाल राही सदन त्याग करके चले गये ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज क दैनिक "स्वतंत्र भारत" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है कि "श्री शिन्दे ने कहा कि राज्य सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए कई कदम उठायें हैं। राज्य सरकार ने तकावी तथा अन्य सरकारी बजट की वसूली स्थगित कर दी है तथा खेतिहर मजदूरों की उदारता के साथ सहायता कर र। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक उन्हें २५ रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता दे है जिसे बढ़ाकर अब एक सौ रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।"

इस प्रकार की कोई सूचना सदन में नहीं दी गयी है तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे यह बात बता दें कि मैं मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अव हेलना का प्रश्न दूं, क्योंकि इस सदन में नहीं सूचित किया गया या किसी मंत्री के खिलाफ दूं। आप मेरी मदद कर दीजिय क्योंकि यह सरासर झूठ है कि इस प्रदेश में.....।

श्री उपाध्यक्ष—

आखिर में जब आपकी बात सुनी जायगी तो माननीय नित्यानन्द स्वामी ने जो विशेषाधिकार की बात उठाई, उसे बीच में कहने का औचित्य नहीं था। जब प्रश्न किया जाय तब आप उठा सकते थे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप बता दें कि मैं किसके खिलाफ धिशेषाकार का प्रश्न दूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं बतलाउंगा या आप स्वयं इसके निर्णय करने वाले होंगे ?

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक १९७०

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० को वापस लिये जाने की अनुमति के प्रस्ताव से, जिसे विधान सभा में १४ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में पारित किया गया था, विधान परिषद् ने अपनी २२ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में सहमति प्रदान कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधेयक अब वापस हो गया।

सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना सुन लें। १२ जुलाई से अब तक माननीय रिषिपाल सिंह, नरोत्तम सिंह, कृष्ण सिंह, जितेन्द्रपाल सिंह, शासक दल में सम्मिलित हुए।

सूचना राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय राज्य मंत्री न जो वक्तव्य दिया था उसमें उन्होंने चार गलत बयानियां की थीं। दो को तो उन्होंने विदड्रा कर लिया था..

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह चुके हैं उसी को आप दोहरा रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अब मैं आगे की बात कह रहा हूं । बाकी जो गलत बयानियां हैं, एक चौधरी चरण सिंह ने स्पष्ट की है उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर रक्खा गया है । एक यह कहा गया कि प्रेस समिति गठित हो गई, वह भी गलत है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ही एक गलत बयानी माननीय वित्त मंत्री ने की थी परन्तु उन्होंने शराफत से उसे करैक्ट कर दिया । मैंने उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न विदड्रा कर लिया । परन्तु राज्य मंत्री सूचना विभाग के प्रति मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो वे उतनी शराफत करेंगे कि उसका करैक्शन करें । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी गलत बयानी करने के बाद भी उन पर इतना रहम क्यों रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे रहम करने का क्या सवाल है । आप स्वयं रहम कर चुके थे । आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे । आपका कर्तव्य था । जब वक्तव्य छपा तो आप कहते कि उस अंश को हटाया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, बहुत कहा गया । यहां पर तो सारा सदन खड़ा हो गया था । मान लीजिये कि हमने कम कहा या ज्यादा कहा । आज तो कह रहा हूं । आप उस पर विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विधान और नियमावली जानते हैं । इस वक्त कैसे उठेगा । जब कोई बयान दिया गया वह दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है । सरकार को जब कभी किसी चीज की गलती के बारे में कोई बात मालूम होती है तो वह शुद्ध कर देती है । अब आपने देर से उठाया है । इस पर हम अभी कुछ नहीं करते हैं । जो आपने ध्यान आकृष्ट किया, यह काफी है ।

मुख्य मंत्री द्वारा कल सदन में कही गयी कुछ बातों के संबंध में श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा स्पष्टीकरण

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, कल परिस्थितिवश जब हम लोग सदन छोड़कर चल थ गये तो माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो रहा था और उन्होंने कुछ बातें मेरे सिलसिले में कहीं थीं । मैं उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं .... ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप चले गए उस वक्त किसी भी माननीय सदस्य को कहना चाहिये था । लेकिन अब स्पष्टीकरण देने का कौन सा मौका है? जिस अनुदान पर मुख्य मंत्री जी का भाषण हो गया उस प्रश्न को फिर से..... ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं उसको नहीं उठा रहा हूं । लाबी में बैठकर हम सुन रहे थे.... ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है..... ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

व्यवस्था का प्रश्न है ..... ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य सुन रहे थे तो अपना नोट भेज देते, लेकिन इस समय उठाने का कोई औचित्य नहीं है । उस वक्त यह आपकी ही इच्छा (च्वाइस) थी । यहां न रहने की उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आप भली प्रकार जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में वाक आउट की व्यवस्था है । उसको मान्यता दी गयी है । जब कोई सदस्य वाक-आउट कर गया हो और उसके सम्बन्ध में उस समय कोई बात कही जाय तो उसका स्पष्टीकरण देने का अवसर आप उसको कब देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं सरकारी पक्ष से भी पूछना चाहता हूं.... ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

विवाद का प्रश्न नहीं है । मैं तो केवल कुछ फक्ट्स देना चाहता हूं..... ।

श्री उपाध्यक्ष—

महीलाल जी ने यह प्रश्न किया कि कोई सदस्य जब वाक-आउट किये हो तो उनके बारे में यदि कुछ कहा जाय तो उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय अथवा नहीं । इस पर नियम की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार की तरफ से जानना चाहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों तरफ से पूछूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय वर्मा जी ने कहा कि हमको मौका दिया जाय और संसदीय प्रणाली में यह निश्चित मान्यता है कि जब किसी सदस्य के विरुद्ध कुछ कहा जाय तो उसको स्पष्टीकरण का मौका होता है । आप कहते हैं कि शासक दल से पूछ लेंगे तब देंगे.... ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मही लाल जी का ही यह सुझाव है (व्यवधान)। आप एक ही दल के तीन सदस्य खड़े हो गए, कैसे काम चलेगा (व्यवधान)..... ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, लाबी पार्ट आफ दि हाउस है.... ।

श्री महीलाल—

मैंने व्यवस्था चाही है । जिन माननीय सदस्यों ने कल सदन से वाक आउट किया था उनको स्पष्टीकरण का किस समय मौका मिलेगा ?

श्री रियासत हुसैन---

जो डिबेट क्लोज हो गयी है उस पर मही लाल जी कैसे सवाल उठाते हैं ?

श्री महीलाल---

मुझे इस पर आपत्ति है, आपकी रूलिंग हो जाय । जब तक पहली व्यवस्था का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक दूसरी व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

जितने माननीय सदस्य यहां बैठते हैं उनको पूरी आजादी है कि वे जिस समय तक चाहें यहां बैठें और जिस समय चाहें चले जायं जब तक किसी खास परिस्थिति के कारण आप उनको यहां से निकलने के लिये न कहें । बी० के० डी० के माननीय सदस्यों ने अपनी इच्छानुसार सदन का त्याग कर दिया, चाहे वे लाबी में बैठे और चाहे कहीं बैठे । जब एक डिबेट खत्म हो गयी है तब उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के सिलसिले में यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो उसके लिये नियमावली में एक प्रक्रिया है । यह सवाल की शक्ल में भी उठाया जा सकता है और दूसरी धाराओं में भी काफी गुन्जाइश है । डिबेट के क्लोज हो जाने के बाद उसको फिर से शुरू करने की परम्परा न तो इस सदन में रही है और न होनी ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके दल की राय तो एक ही होगी ।

श्री महीलाल---

मेरी राय यह है कि माननीय सदस्य को मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस चीज को दोहरा रहे हैं । आपके दल के सभी सदस्यों की यही राय है ।

श्री कृष्णा नन्द राय---

मामला बड़ा स्पष्ट है । रियासत हुसैन साहब अभी अभी उस दल में गये हैं । यह स्वाभाविक है कि जब लोग किसी दल में नये-नये जाते हैं तो तेज बोलते हैं । बी० के० डी० के लोग अपनी इच्छा से सदन त्याग नहीं किये थे, वे लोग शौकिया नहीं चले गये थे बल्कि एक विषय पर वे यह समझते थे कि उनको मौका मिलना चाहिये था । आप यह समझें कि उन्हें एक विशेष परिस्थिति के दबाव के कारण सदन को छोड़ना पड़ा । वे ज्यादा समय तक बोलना चाहते थे, परन्तु उनको अवसर नहीं दिया गया क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक कार्य-क्रम निश्चित कर दिया था । स्पष्टीकरण देने का एक साधारण अधिकार तो एक सदस्य को होना ही चाहिये । वे लोग सदन से सस्पेन्ड तो थे नहीं । श्री वीरेन्द्र वर्मा के कुछ पत्र पढ़कर सुनाये गये और वे सदन की प्रोसीडिंग में आ गये । अखबारों में भी छप गया और अभी भी वे सदन के सदस्य हैं । हम आपसे आशा करते हैं, आप तो विरोधी दल के अधिकारों के संरक्षण के रूप में होते हैं और संसदीय मान्यताओं में विश्वास करते आये हैं । यदि वे किसी प्वाइन्ट पर पर्सनल स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य अवसर मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में आप कहते हैं, लेकिन मेरी यह व्यवस्था है कि अगर सरकार की किसी नीति के विरोध में और सरकारी दल के गुस्से के परिणामस्वरूप बहिर्गमन किया जाये तो उसे स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिये, मगर अगर पीठासीन पदाधिकारी के अधिक

समय न दने के कारण सदन से बहिर्गमन न किया गया हो तो मैं सोचता उस पर मेरी व्यवस्था दूसरी होती। सरकार के विरुद्ध कोई बात उठाई जाय तो मैं आपको स्पष्टीकरण का मौका दूंगा।.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप एक ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जिसके देने के पूर्व कृपा करके थोड़ी बात सुन लेते।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप यह पहले कहे होते तो मैं सुनता। इसको मैं सदन का अवमान समझता हूं अगर चेयर के निर्णय के खिलाफ कोई बहिर्गमन किया जाय। लेकिन स्पष्टीकरण के माने जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय ने कहा कि निजी स्पष्टीकरण का मौका होना चाहिये, तो इस मामले में मैं निजी स्पष्टीकरण का मौका श्री वीरेन्द्र वर्मा को देता हूं क्योंकि उनका नाम आया है

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

केवल निजी, एक शब्द भी उससे बाहर नहीं। मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया कि जब अलीगढ़ में रायट हुआ तब मैं अलीगढ़ गया और वहां श्री के० डी शर्मा, जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने एस० पी० की हैसियत से नियुक्त किया था और वे अलीगढ़ पहुंच चुके थे, मैंने वहां जाकर उनको चार्ज नहीं लेने दिया। मैं केवल आपके माध्यम से सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्य मंत्री तक यह सूचना पहुचा देना चाहता हूं कि मैं अलीगढ़ में ६, ७, ८ तारीख को रहा। ८ तारीख तक शायद सक्सेना ही एस०पी० रहे। ९ तारीख को यहां कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट के डिसीजन पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० दोनों को निलम्बित करने का निर्णय लिया गया और १० तारीख या ११ मार्च को उनको बुलाया गया और यहीं पर निलम्बि करने का आदेश दिया गया। इसलिये यह बात तथ्यों से परे है और न मेरी जानकारी में है कि ६, ७, ८ तारीख को नये एस० पी० साहब वहां पहुंच गये थे और मैंने उनको चार्ज नहीं लेने दिया। निलम्बन उनका १० का ११ तारीख में हुआ और मैं यहां पर था। उसके बाद किसी एम० पी० को भेजा गया।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ पत्र पढ़े थे। अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी पत्रों की तिथि भी सुना देते कि किस तारीख को मैंने वह पत्र लिखा था। उस समय मैं गृह मंत्री नहीं था और शायद सिंचाई मंत्री भी नहीं था। अच्छा होता अगर वे तिथि पढ़ देते लेकिन आपके माध्यम से मैं यह सूचना देना चाहता हूं जितने मंत्रिमंडल के सदस्य यहां उपस्थित हैं वह सब एक मंत्री दूसरे को पार्लियामेंट के मेम्बर, केवल अपनी पार्टी के ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के मंत्री या मेम्बरों के पास पत्र लिखते रहते हैं। एक कांग्रेस पार्टी के एम पी० की चिट्ठी मेरे पास अभी आयी थी जो पहाड़ के किसी स्कूल के सिलसिले में थी, उसे मैंने श्री रामजीलाल सहायक के पास भेज दिया था। इस हाउस के मेम्बर यह समझते हैं कि जब वीरेन्द्र वर्मा सिंचाई मंत्री था, उस समय उसके पास पत्र आते रहते थे। ठीक है मेरे पास केन्द्र के मंत्री श्री भक्त-दर्शन जी, जो पहाड़ के थे, उनकी भी चिट्ठी आयी, हरियाणा के एक मिनिस्टर की भी चिट्ठी आयी और इस तरह से एक मंत्री की चिट्ठी दूसरे मंत्री के पास आती जाती रहती है माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि दबाव में भी इस प्रकार की चिट्ठी आती जाती रहती है। अनुमति काम के लिये मैंने कभी किसी को कोई पत्र नहीं लिखा जब कि मैं मंत्री था। आपके द्वारा यह सूचना देना उचित समझता हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर प्रश्नों के सम्बन्ध में जो प्रकिया अपनायी गयी है उस सम्बन्ध में आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन उस चीज को मैं सदन में नहीं कहना चाहता । यहां पर एक प्रश्न किया था श्री चरण ने विभिन्न दलों की आप बैठक करने जा रहे हैं तो जितनी शीघ्र हो सके आप करें जिससे हम अपनी अपनी शिकायत रख सकें ।

पायनियर तथा स्वतंत्र भारत द्वारा सदन की कार्यवाही ठीक से न छापने के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

कल एक प्रश्न उठा था ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने अखबार में प्रश्नों के छपने के सम्बन्ध में कहा था तो मैं सदन को सूचित कर दूं कि मैंने पायनियर और स्वतंत्र भारत के संवाददाताओं को बुलवाया था और उनको आप की भावनाओं से अवगत करा दिया । उन्होंनें माना और आज अखबारों में आपने देखा होगा कि छपा भी है । इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था देना चाहता हूं और वह यह कि संविधान गारन्टी.....

श्री अनन्त राम जायसवाल—

अगर आप व्यवस्था देंगे....

श्री उपाध्यक्ष—

एक विशिष्ट प्रश्न है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप व्यवस्था दे देंगे तो उसके संशोधन करने का निवेदन करना पड़ेगा । इसलिये आप ऐसी व्यवस्था न दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दूसरे सवाल पर व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं कह रहा हूं कि इसको आप मुल्तवी कर दें और इस पर चर्चा करवालें तभी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—[

मैं व्यवस्था देता हूं, उससे आप सहमत होंगे और सदन भी सहमत होगा । लोकतंत्र की पद्धति और मान्यताओं के यह अनुकूल है । संविधान यह गारन्टी नहीं देता है कि स्वतंत्र प्रेस सदैव सही होगा । केवल यह कि वह सर्वदा स्वतंत्र होगा । मैं अंग्रेजी में कह दूं ।]

"The Constitution makes no guarantee that the free press will always be right, only that it will be always free."

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

जो आपने रूलिंग दी है हम शत प्रतिशत सहमत हैं। प्रेस वाले भी इसका पालन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सहयोग कर रहे हैं तो ऐसा आभास न हो कि हम लोग प्रेस की विभिन्न मान्यताओं के विपरीत हैं। हम भी सहयोग करते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मंजूर अहमद के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के बारे में जानकारी

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल जो घटना हुई उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न यहां प्रस्तुत किया गया, वह अनिर्णीत रह गया। उस पर निश्चित रूप से आपका अन्तिम निर्णय नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष—

स्थगित किया है, उस पर विचार करेंगे। वह प्रश्न खुला हुआ है। हम नेताओं से बात करेंगे और उस के बाद कोई रास्ता निकालेंगे और सदन को अवगत करायेंगे।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह नियमों की जो पुस्तक आपने छपवाई हैं, और सारे सदस्यों को बंटवाई है, उसमें सारे नियम अंकित हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें यह है कि किसी चीज को स्थगित कर दिया जाता है तो.....।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वह अनिश्चित स्थगन नहीं था। आपने कल साफ कहा था कि आज आप उसको फिरसे लेंगे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन् ने मुझे बुलाया था, उस समय उस ओर से एक मित्र ने कहा.....।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको बोलने को कहा था परन्तु सुझाव यह आया कि मुख्य मंत्री जी कुछ राय दें। बसन्तलाल जी ने कहा कि सामान्य बजट पर चर्चा चल रही है तो इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

लेकिन हम लोगों का ख्याल था कि आज के लिये स्थगित किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ अखबारों में ऐसा छप गया। लेकिन यह नहीं कहा था।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

आप उन्हीं को ज्यादा मौका दे रहे हैं जो बोल लिये हैं। मैंने कल भी कहा था कि मुझे भी मौका दें। माननीय जायसवाल ने जो बातें कही हैं उनका कम से कम मैं भी उत्तर दे लूं और सदन के सामने सफाई रखूं। मुझे मौका देने के लिये आपने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपनें तो विशेषाधिकार भंग के दो लिखित नोटिसेज दिये हैं। माननीय जायसवाल ने यहीं सदन में कहा था कि मैं विशेषाधिकार भंग की सूचना देता हूं इसलिये उनको सुनना जरूरी था।

श्री मंजूर अहमद—

मेरी ओर से भी तो लिखित गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका लिखित है। उन्होंने यहीं सूचना दे दी थी।

श्री मंजूर अहमद—

उनको तो मौका मिल गया, मुझे भी अपनी बात कह लेने दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब उस पर विचार होगा तो आपको मौका मिलेगा।

श्री मंजूर अहमद—

उन्होंने जो कहा उससे मुझे जितना दर्द हुआ, आपको भी होना चाहिये कि कितने नीचे स्तर पर उतर कर गाली दी, कितने [×××] से गलत अल्फाज कहे गये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तरफ से दो नोटिसेज हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं उन्हें खारिज कर दूंगा। यह स्थगित हो गया है। मैं आपसे, जायसवाल जी से, और आचार्य से भी निवेदन करूंगा कि हम इस पर बात कर लेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा ख्याल था कि वह आज के लिये स्थगित हुआ था। मेरा निवेदन सुन लें। मैं अनन्तराम जी से सहमत हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है और इसके लिये कोई भी दिन आप नियत कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियत करूंगा। लेकिन मैंने यह भी निवेदन किया था कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और दूसरे दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। उनसे बात हो जाय। हो सकता है कि सब मिलकर कोई रास्ता निकाल लें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरा निवेदन था कि उसको सदन में भी एक दिन सुन लें। उसके लिये आप समय दे दें।

[×××] श्री अध्यक्ष द्वारा १६ सितम्बर, १९७१ को दिये गये निर्णय के अनुसार निकाल दिया गया।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

जिस समय व्यवस्था की बात पर आपने कहा था कि स्थगित किया गया तो मुझे याद है कि स्वयं हमने व्वयस्था का प्रश्न उठाया था कि मंजूर अहमद साहब ने कुछ बातें कहीं और जायसवाल जी ने कुछ बातें कहीं। रियासत हुसैन साहब ने विशेषाधिकार का एक प्रश्न मंजूर अहमद साहब की तरफ से दिया और जायसवाल जी नें जबानी विशेषाधिकार भंग की बात कह दी। जब विशेषाधिकार भंग का प्रश्न मंजूर अहमद साहब की तरफ से भी उठाया गया है और माननीय जायसवाल ने भी विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात कही है और दोनों आदमी तैयार हैं कि इसको पंच निर्णय के लिये दे दिया जाय तब इसमें कहां व्यवधान पड़ रहा है कि आप चर्चा करवायेंगे या पूंछ-ताछ करेंगे और नेताओं की बैठक करेंगे। आपको इन दोनों मामलों को भेज देना चाहिये, दोनों एक ही दल के सदस्य रहे हैं, वहां स्थिति साफ हो जाती।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर श्री जायसवाल जी बोले, श्री मंजूर अहमद बोले, आप क्यों बोलने लगे जब कि मैं उसको स्थगित कर चुका हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, जायसवाल जी ने आपको क्या लिखकर कोई नोटिस दिया है ? यदि नहीं दिया है तो नियम ६४ आप देखें....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सब देखा है, मैंने उसको स्थगित किया है, अब क्या आप चाहते हैं मैं अपनी व्यवस्था को बदलूं ? (व्यवधान) मैंने नियमों को देखकर और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके निर्णय दिया है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, दारुलशफा में एक अखबार वाला यह आवाज लगा रहा था कि विधान सभा में कुत्ता और गधा आ गया है..... (व्यवधान) इसलिये आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें क्योंकि अखबारों में बड़ी दुर्गति हो रही है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

दारुलशफा 'ए' ब्लाक में एक सरकारी कर्मचारी, श्री शुक्ला को विधायक, श्री मंजूर अहमद, द्वारा गला दबाकर पीटने की शिकायत

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, दारुलशफा 'ए' ब्लाक में टेलीफोन करने वाली जगह पर जो रसीद देने वाली पुस्तिका रखी रहती है वह नहीं है जिसके कारण बड़ी असुविधा हो रही है। मैं एक घटना की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। कल माननीय मंजूर अहमद साहब के दो आदमी वहां ट्रंक काल करने के लिये गये। वहां पर जो श्री शुक्ला थे उन्होंने उसके लिये मना कर दिया। इस पर मंजूर अहमद साहब २५-३० आदमियों को लेकर गये और श्री शुक्ला का गला दाब दिया जिससे उनके गले की नसें फूल आयीं, आंखें निकल आयीं। तो जो आपके कर्मचारियों पर इस तरह पेश आये उससे हम लोगों की भी बड़ी बेइज्जती होती है। कर्मचारियों का संरक्षण का क्या उपाय होगा। उसने माननीय मुख्य मंत्री को शिकायत भी की है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

कपूर साहब ने जो इल्जाम लगाया है, इस सम्बन्ध में कृपया मुझे भी सुनने की कृपा करें, मैंने आज तक न किसी को कुछ कहा (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अगर माननीय मोहनलाल कपूर ने गलत लाञ्छन लगाया है तो मंजूर अहमद साहब उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का नोटिस दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद---

मेरे बारे में जो कुछ कहा है, मैं चाहूंगा कि आप हमें इजाजत दें कि मैं उसकी सफाई कर सकूं। मेरे खिलाफ मिथ्या और झूठा आरोप लगाया गया है, और यदि मुझे इजाजत नहीं देंगे तो मैं बैठकर दूसरा तरीका सोचूं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

आप इनको इस पर बोलने से रोकिये और यदि इनको कपूर के कहने पर आपत्ति है तो इन्हें नियमानुसार विशेषाधकार समिति में जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

जो लिखित दिया है तो उसकी सफाई क्या देंगे, जब मुख्य मंत्री तक उसने लिखकर दिया है।

(श्री मंजूर अहमद के बराबर चिल्लाते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष ---

क्या आप यह समझते हैं कि सदन में आपके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता है, कोई शिकायत नहीं कर सकता है?

श्री मंजूर अहमद ---

सफाई देने का मुझे मौका मिलेगा या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से सफाई नहीं दी जाती है, आप बैठ जाइये। यदि आप समझते हैं कि किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई आरोप या बात आपकी मान-मर्यादा के विपरीत है, या तथ्यों के विपरीत है, लांछन लगाने की दृष्टि से कही गई है, तो आप उस सम्मानित सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सक्षम हैं। संविधान और नियम आपके पक्ष में है। आप उनका सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अव्यवस्था न पैदा कीजिये। जो उन्होंने कहा है तो मैंने उसको स्वीकार थोड़ा कर लिया है। क्या आप चाहते हैं कि उस पर बहस चलाई जाय? तो यह यहां अभी नहीं होगा। (फिर भी श्री मंजूर अहमद के खड़े रहने व बोलने का प्रयास करने पर) अगर ऐसी कोई चीज किसी कर्मचारी के साथ हुई है, उसकी गर्दन पकड़ कर उसको मारा गया है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य के खिलाफ अधिकतम, कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिये। यह अत्यधिक अनुचित बात है। यदि यह घटना घटी है, चूंकि यह बाहर का मामला है, मुख्य मंत्री जी जांच कर रहे हैं और वह उचित कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य ने किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को (फिजिकल ऐसाल्ट) शारीरिक दंड दिया है तो अधिकतम उसे सजा मिलनी चाहिये।

जिला परिषद् नैनीताल के लगभग ३००० अध्यापकों को विगत ६ मास से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

जिला परिषदें प्राइमरी स्कूल पर १९२४ के आस-पास जो व्यय कर रही थीं। उस धन को उनका न्यूनतम अंशदान निर्धारित किया गया है। शेष अनुमोदित वास्तविक व्यय शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिला परिषद के अंशदान एवं राजकीय अनुदान मिलाकर जो धन उपलब्ध होता है उससे अध्यापकों की संख्या निर्धारित की जाती है और समय-समय पर जो नये स्कूल खोले जाते हैं या अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उससे अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसी भी वर्ष में अध्यापकों की निर्धारित संख्या कितनी है इसकी सूचना समय-समय पर जिला परिषदों को दे दी जाती है। यदि जिला परिषद् इस स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक नियुक्ति करना चाहता हैं तो इसमें शासन की ओर से कोई बाधा नहीं है। केवल जिला परिषदों को शासन से इसकी अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यह अनुमति उसी समय दी जाती है जब अमुक जिला परिषद् अपने निजी साधनों से अपने आय-व्ययक में उसके लिये धनराशि की व्यवस्था कर लेती है।

जिला परिषद् नैनीताल ने स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक नियुक्त कर रखे थे वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में जिला परिषद् नैनीताल में स्वीकृत संख्या से ६८ अध्यापक अधिक नियुक्त किये थे। यह संख्या बढ़कर १९६८–६९ में ६१९ हो गई और किसी समय में अधिक नियुक्त अध्यापकों की संख्या १००० के कुछ ऊपर भी हो गयी थी। अध्यापकों की नियुक्ति करने से पूर्व जिला परिषद् नैनीताल ने अपने आय व्ययक में उनके वेतन भुगतान हेतु कोई प्राविधान नहीं किया था और न शासन से ही उसकी स्वीकृति मांगी थी। राजाज्ञा दिनांक १० अप्रैल, १९७० द्वारा सभी जिला परिषदों को यह सूचना दी गई थी कि कितने अध्यापकों के पद उनके जिला परिषदों के लिये स्वीकृत जिनके लिये शासन से अनुदान किया जाता है। जिला परिषद् नैनीताल में प्राइमरी स्कूलों के लिये १४३१ एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिये २८६ कुल मिलाकर १७१७ पद स्वीकृत थे। जिला परिषद् अल्पकालिक व्यवस्था, अध्यादेश लागू होने के उपरान्त जिला परिषद् नैनीताल ने २६६ जिला परिषदीय अध्यापकों को सेवा से प्रथक किया। स्वीकृत संख्या से अधिक नियुक्ति कर देने के कारण से जिला परिषद् नैनीताल में लगभग १६,००,००० (सोलह लाख रुपये) का घाटा हो गया है और यह अध्यापकों के वेतन को समय से वितरण नहीं कर पा रही है। जिला परिषद् ने जो अनियमित कार्य किया है उसके लिये उन्हीं की जिम्मेदारी है।

स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति कुछ अन्य जिला परिषदों ने भी अनियमित रूप से की थी जिसके कारण उनका आय-व्ययक भी संतुलित नहीं रह गया है। अनुमान यह है कि इस प्रकार की समस्या लगभग १८ जिला परिषदों की है और उसमें लगभग एक करोड़ रुपया का घाटा हो चुका है।

इतने अधिक अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना और वह भी अनियमित व्यय हेतु कठिन हो रहा है। शासन इस समस्या से अवगत है किन्तु इस समस्या का हल भी आसान नहीं प्रतीत होता।

(श्री मोहनलाल कपूर के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सम्पूर्ण जवाब है। स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

इस तरह के मामले पूरे प्रदेश में हैं। हर एक जिला बोर्ड के साधन तो कम हैं, अध्यापक ज्यादा रखे गये हैं, क्या माननीय मंत्री जी जिला बोर्ड के अन्तर्गत जो चलने वाली पद्धति है उसको अपने हाथ में लेकर प्राइमरी बोर्ड बनाने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह नीति का प्रश्न है। हमने एक समिति बना दी है जो कि इसके ऊपर विचार कर रही है कि प्राइमरी शिक्षा का कैसे उन्नयन कर दें। वह बाहर के प्रदेशों में जायेंगे। जब वह रिपोर्ट देंगे तब मैं इसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिल नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बात तो ठीक है कि जिला परिषदों ने बिना स्वीकृति के अध्यापकों की संख्या बढ़ा दी है, चूंकि ये गरीब अध्यापक अल्प वेतन भोगी हैं, चार साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है, आठ महीने के बाद इन अध्यापकों को वेतन मिलता है, शिक्षा मंत्री जी ने १६ लाख का घाटा बताया है लेकिन मैं शिक्षा मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि १६ लाख का घाटा है, जो अध्यापक अल्पवेतन भोगी और छोटे कर्मचारी हैं उनको वेतन भुगतान करवाने के लिये पर्वतीय जिला परिषदों को और विशेषकर नैनीताल जिला परिषदों को अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह मसला हमारे लिये बड़ा कठिन है। इसमें काफी वित्तीय भार हमारे ऊपर पड़ेगा। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन कोई युक्ति जरूर विचार कर रहे हैं जिससे इसका हल निकाल सकें।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के रुके हुए परीक्षा फलों के संबंध में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

इस वर्ष जनगणना तथा लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के कारण हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा ६ अप्रैल, १९७१ से प्रारम्भ की गई। इस परीक्षा में ८,६५,४८५ विद्यार्थी पंजीकृत हुये। इन्टरमीडिएट का परीक्षा फल ३ जुलाई, १९७१ को घोषित किया गया और हाई स्कूल का परीक्षाफल ८ जुलाई, १९७१ को घोषित किया गया।

परीक्षाफल घोषित करते समय विभिन्न कारणों से ३३,४३० परीक्षाफल घोषित न हो सके। इनमें से १७,९७२ शंकित सामूहिक नकल के मामले हैं। इन मामलों पर जांच उप-समिति द्वारा केन्द्रों पर जांच किये जाने के पश्चात् निर्णय लिया जा सकेगा। इन्हें यथाशीघ्र निर्णीत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु जांच और निर्णय में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। जांच समितियां केन्द्रों पर भेजी जा चुकी हैं।

११६ मामले उत्तर-पुस्तिका चोरी के हैं और १६३७ मामले अनुशासनहीनता प्रतिरुपण (Impersonation) इत्यादि के हैं। इनमें आवश्यक जांच की जा रही है।

७,२०७ परीक्षार्थी केन्द्रों पर नकल के आरोप में अवैध सामग्री सहित पकड़े गये इनमें से प्रत्येक परीक्षार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दोषारोपित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और जैसे-जैसे परीक्षार्थियों के स्पष्टीकरण प्राप्त होते जायेंगे उन पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय

लिया जायेगा । उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल केन्द्राध्यक्षों अथवा रेल विभाग की असावधानी से गलत स्थान पर चले जाने, परीक्षकों द्वारा समय से उत्तर पुस्तिकायें न भेजने, परीक्षार्थियों द्वारा केन्द्र परिवर्तित करने, गलत रोल नम्बर लिखने आदि के फलस्वरूप ६,४९८ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अपूर्ण रहने के कारण घोषित नहीं किया जा सका । इन ६,४९८ अपूर्ण परीक्षाओं में से २५ जुलाई, १९७१ तक २, ७४१ परीक्षाफल घोषित किये जा चुके हैं और यह आशा है कि आगामी सप्ताह में १,७९३ परीक्षाफल और घोषित कर दिये जायेंगे । शेष १९६४ फुटकर परीक्षा-फल भी शीघ्र घोषित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में जैसा कि शिक्षा मंत्री ने बताया लाखों विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और परीक्षा कापियों के बंडल इधर से उधर जाते हैं तो क्या भविष्य में वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेपर तो एक ही स्थान पर बनें लेकिन परीक्षा देने के जोन अथवा मंडल बना दिये जायं और उन्हीं जौन्स में कापियां जचेंगी, परीक्षाफल तैयार होंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

पिछले काफी समय से इस पर विचार किया जा रहा है । यह कहा भी गया कि हम हाई-स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड को कई हिस्सों में बांट दें । माननीय सदस्य नें जो सुझाव दिया है वह भी हमारे सामने हैं । अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । क्योंकि कुछ वित्तीय कठिनाइयां हमारे सामने हैं इसलिये बजट के मौके पर संभव है मैं कुछ कह सकने में समर्थ हो सकूं।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि धीरे-धीरे परीक्षाफल घोषित कर रहे हैं । जुलाई समाप्त हो चुकी । २८ हजार का रिजल्ट अभी घोषित करना है और अगर इन परीक्षाफल घोषित करने में अगस्त का महीना भी चला गया तो जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित होंगे उनके दाखिले का क्या प्रबन्ध होगा ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

ऐसे मामले बहुत जल्दी निपटाये जा रहे हैं । मेरे पास सूचना आई है कि कल तक २०७० परीक्षाफल जो अपूर्ण थे और घोषित किये गये । अब जो अनफेयर मीन्स के हैं उनके परीक्षाफल का जहां तक सम्बन्ध है उसके लिये जो परीक्षा समिति है वह स्थानों पर जा कर भी छान-बीन करती है और जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी पूछतांछ करती है । तो ये रुके रहेंगे और बाकी जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं और उम्मीद है कि इस सप्ताह के अन्त में काफी की घोषणा कर देंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

७१ में जो हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा हुई उसमें मैं यह सूचना दूं कि फैजाबाद जिले में अध्यापकों ने परीक्षा केन्द्रों पर नकल करवाई और उनकी रिपोर्ट होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो क्या माननीय मंत्री उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैं आभार प्रकट करूंगा अगर माननीय सदस्य लिख कर स्पेसिफक रूप से सूचना दें तो मैं जांच करा लूंगा और दोषी पाये जाने पर जरूर दंड दूंगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

माध्यमिक शिक्षक परिषद् को टीचर्स के नाम पहले ही दिये जा चुके हैं । गवर्नमेंट इंटर कालेज, फैजाबाद के टीचर्स भी उनमें हैं । आप स्वयं वहां से सूचना मंगा लें जिसकी सूचना मैं आपको सदन में दे रहा हूं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

गत वर्ष जिन छात्रों के परीक्षाफल रोके गये थे उनकी संख्या २० हजार थी और अब वह बढ़ कर ३५ हजार हो गयी तो क्या शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने पर सरकार विचार करेगी जिससे इस प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग न हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका तो जवाब हो गया ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, जिन विद्यार्थियों का नतीजा अब घोषित होगा उनके दाखिले के सम्बन्ध में आपने अपने उत्तर में कोई व्वयस्था नहीं दी । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि परीक्षा फल विलम्ब से घोषित होने के परिणामस्वरूप यदि उनकी उपस्थिति के परसेन्टेज में कमी पड़ गयी तो उस समय वे उन विद्यार्थियों की मदद करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपने तो बहुत आगे का सवाल कर दिया । देखा जायेगा । तब मंत्री भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, तभी यह प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि १७ हजार मसले मास कौपिइंग के हैं । तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ये मसले तो हर वर्ष रहते हैं, हर वर्ष विद्यार्थी डिटेन किये जाते हैं और उनका फैसला बहुत देर में किया जाता है जिसके फलस्वरूप उनको दाखिला नहीं मिल पाता । उसमें अधिकांश विद्यार्थी पास हो जाते हैं । तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन डिटेन्ड विद्यार्थियों के नतीजे जुलाई के अन्त या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक अवश्य घोषित कर दें ताकि उनको दाखिला मिल सके ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, इसी वर्ष कुछ ऐसी दिक्कत हुई और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पहले ये परीक्षायें मार्च के महीने में शुरू हो जाती थीं और इस वर्ष देर से अप्रैल के महीने में शुरू हुईं । अन्यथा परीक्षाफलों के रोकने का मसला तो हर वर्ष ही रहता है---पारसाल भी था और उससे पहले भी था । हजारों परीक्षाफल इस वजह से रोके जाते हैं कि उन्होंने गड़बड़ी की किन्तु शंका के रूप में जो परीक्षाफल रोके जाते हैं उनका परीक्षाफल हम जल्दी ही घोषित करते हैं और उनका समय पर दाखिला भी हो जाता है । वैसे भी जिस कक्षा में वे होते हैं वहां पर तो उनको दाखिला मिल ही जाता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो मास कौपिइंग हुई है उसके सम्बध में मेरी जानकारी है कि विभिन्न विद्यालयों में वहां के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी सहयोग दिया गया है किन्तु इसकी सजा विद्यार्थियों को दी जा रही है । जो १७,९२२ इससे प्रभावित हैं उनके विषय में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे विद्यालय जहां पर मास कौपिइंग हुई है, उनके प्रधानाध्यापकों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जिन विद्यालयों पर मास कोपिइंग होती है वहां पर हम फिर परीक्षा केन्द्र नहीं रखते हैं । पहला काम तो यह होता है और यदि अन्य कोई चीज पायी जाती है तो दन्ड भी देते हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बोर्ड का जो सम्पूर्ण कार्य है वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु जो परीक्षा समिति है उसका कार्य तो केवल परीक्षा लेना और उसे घोषित करना ही है। बोर्ड में केवल एक ही परीक्षा समिति है जो कि इन ३० हजार परीक्षार्थियों के परीक्षाफलों को देखेगी तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड की यह जो परीक्षा समिति है उसका विकेन्द्रीकरण मंडलीय स्तर पर कर दिया जाय जो कि मंडलीय स्तर पर आने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षाफलों की जांच करे। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे दस स्थानों पर उस समिति का विकेन्द्रीकरण करने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

मान्यवर, बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट का अपना एक विधान बना हुआ है। ये परीक्षायें उसी के द्वारा संचालित होती हैं। जो माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव के रूप में कहा है उसे यदि वे मुझे लिख कर दे दें तो मैं उसे अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेज दूंगा और उसके बाद वे इस पर निर्णय ले लेंगे। इसके साथ ही मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि सवाल परीक्षा पद्धति का और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि हम परीक्षा पद्धति को इस रूप में बदलें कि ऐसी किस्म की चीजें न होने पावें।

राज मार्ग २४ पर टैक्सी, ट्रक आदि के लूटे जाने की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

राज मार्ग सं० २४ लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर व बरेली होकर जाता है। इस राज-मार्ग पर लखनऊ जिले में वर्ष १९७० में तीन घटनायें ट्रक तथा टैक्सी लूटने की घटित हुईं और वर्ष १९७१ में ट्रक तथा टैक्सी लूटने की कोई घटना नहीं हुई। जिला सीतापुर में वर्ष १९७० में इस राज मार्ग पर ट्रक लूटने की एक घटना हुई और वर्ष १९७१ में ट्रक अथवा टैक्सी लूटने की कोई घटना नहीं हुई। जिला शाहजहांपुर में वर्ष १९७० में राज-मार्ग सं० २४ पर पांच घटनायें ट्रक तथा टैक्सी लूटने की हुईं और वर्ष १९७१ में चार मार्ग डकैतियां हुईं। यह सभी घटनायें बरेली-शाहजहांपुर के मध्य की हैं। जिला बरेली में वर्ष १९७० में ट्रक इत्यादि लूटने की ९ घटनायें हुईं और वर्ष १९७१ में भी ९ घटनायें हुईं।

२—जिला शाहजहांपुर में जो चार मार्ग डकैतियां वर्ष १९७१ में हुई उनमें से तीन घटनाओं के अपराधीगण प्रकाश में आ चुके हैं। जिला बरेली में वर्ष १९७१ की ९ घटनाओं में से ८ का पता अब तक चल चुका है। इन पता लग जाने वाले मुकदमों में १६/१७-७-१९७१ की डीलक्स बस लूटने की घटना सम्मिलित है।

३—जो डीलक्स बस मेरठ से लखनऊ चलती है १६/१७-७-१९७१ की रात्रि में उसको डाकुओं द्वारा लूटने की चेष्टा की गई किन्तु डाकू सफल नहीं हुए। प्राप्त सूचना के अनुसार शुरू में डाकुओं ने एक फायर किया किन्तु बाद में पुलिस वालों द्वारा फायर करने के कारण डाकू भाग गये। ये पुलिस वाले बस में चल रहे थे। इस घटना के अभियुक्त १९/२०-७-१९७१ को पकड़े गये। पकड़ते समय मुठभेड़ में पुलिस तथा डाकुओं में गोली चली जिसके फलस्वरूप गिरोह का नेता नूरुद्दीन नामी डकैत घायल हुआ और अस्पताल में है। तुरन्त ही इस गिरोह के पकड़े जाने के कारण जनता में पुलिस के प्रति विश्वास है और कोई रोष नहीं है।

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

४—अन्य सभी मार्गों की भांति राज-मार्ग सं० २४ पर सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध कर दिया गया है। मार्गों पर रात्रि गश्त और अधिक प्रभावकारी कर दिये गये हैं। बरेली जनपद में ऐसे लुटेरों को पकड़ने के लिये एक पुलिस उप अधीक्षक की अधीनता में एक स्क्वाड कार्य कर रहा है। पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रबन्ध किये जाने के फलस्वरूप वर्ष १९७१ में लखनऊ तथा सीतापुर जिलों में मार्ग डकैती की कोई घटना नहीं हुई। शाहजहांपुर में १७/१८-६-७१ के पश्चात कोई घटना नहीं हुई। इस प्रकार पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षात्मक व्यवस्था का सतत प्रयास किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मंत्री जी ने कहा कि १७ तारीख के बाद कोई घटना नहीं हुई लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि उसके बाद भी एक घटना हुई है कि एक सरकारी अफसर तबादले में जा रहे थे। उनकी जिला शाहजहांपुर में ट्रक लूट ली गयी। फतेहगंज थाने के अन्तर्गत यह घटना हुई जो कि १७ के बाद की है। इसकी इंक्वायरी करा ली जाय।

दूसरा यह है कि यह तो नेशनल हाई वे का सवाल है। आप ट्रैफिक पुलिस कायम कर दें जो गश्त करती रहे। लखनऊ से बलिया लाइन पर भी बहुत वारदातें होती हैं, इसलिये ऐसी गश्ती पुलिस आवश्यक है।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं। जो भी सक्रिय कार्य हो सकेगा सुरक्षा की दृष्टि से वह किया जायगा। और जिस घटना के बारे में उन्होंने कहा है, उसकी हम जांच करा लेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मंत्री जी मेरे जिले बरेली के हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें जो नूरुद्दीन डकैत का नाम दिया गया, इस नाम का एक आदमी जखमी हालत में थाना भुहा में पकड़ा गया है और झूठी वाह वाही लूटने के लिये पुलिस ने उसका नाम दे दिया है और मंत्री जी को मिसगाइड किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या ऐसी घटनाओं में पुलिस वालों का भी हाथ रहता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री सजीवन लाल—

क्या सूचना देने पर माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगर आप कोई विशेष बात लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बरेली के बदमाश और चोर आसपास के जिलों में भी टैक्सी और ट्रकों की घटनायें करते रहते हैं ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में साप्ताहिक वक्तव्य

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय, आपको स्मरण होगा कि राप्ती में जब बाढ़ आयी थी तो इसी सदन में उस पर दो दिन की बहस हुई थी। इस समय उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ चल रही है। करीब १० जिले, २ हजार गांव और १० हजार वर्गमील का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ३५ आदमी मर भी गये हैं, करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गयी है और जो मंत्री जी ने रिपोर्ट दी है उसमें केवल हमीरपुर में बाढ़ के संबंध में जो कार्य हुआ है, उसका ही जिक्र किया है, यह कहां की न्याय की बात है। हमने नियम ५२ में भी एक सूचना दी थी लेकिन आप ने उसको केवल वक्तव्य के लिये रख दिया है। इसको कम से कम ढाई घंटे के विवाद के लिये नियम ५२ में रख दिया जाय ताकि हम लोग उस पर अपना कुछ विचार भी व्यक्त कर सकें और सुझाव भी दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसको आज छोड़ दिया जाय, या इसको पढ़ा मान लिया जाय ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इसमें सिवाय हमीरपुर के और कहीं कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर सेना के ६ स्टीमर भेजे गये हैं और जहां ७-७ आदमी मर गये हैं वहां एक नाव भी नहीं भेजी गयी। इस रिपोर्ट को क्या पढ़ा जायगा इसमें कुछ भी नहीं है। मंत्री जी यहां से चुनाव हार गये थे और वहां यह काम किया है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, इस समय बाढ़ से २४ जिले प्रभावित हैं, केवल वक्तव्य से यह मामला हल नहीं होगा। इस बारे में आप नियम ५२ को स्वीकार कर लें।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

वक्तव्य लिखित तो मिल ही गया है वह १० पृष्ठ का है। उसको पढ़ने में समय लगेगा, उतना समय हम लोगों को प्रश्न करने के लिये दे दिया जाय। हमने भी बाढ़ की सूचना दी थी। हमारे इलाहाबाद के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ७२ हजार एकड़ जमीन प्रभावित है और २ करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। यह मंत्री जी मानते हैं लेकिन वहां तो बहुत कम सहायता दी गयी है और बनारस तथा हमीरपुर जहां पर नुकसान बहुत कम हुआ है वहां सहायता ज्यादा दी गयी है। इस सरकार के द्वारा यह पक्षपात हो रहा है। इलाहाबाद और दूसरे जिलों में जहां नुकसान ज्यादा हुआ है, वहां की रिपोर्ट भी सही नहीं मंगाई गयी है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोगों को जनहित में सवाल पूछने पड़ेंगे।

*राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न यह भी है कि जो बातें हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं चर्चा में यही बातें तो कही जायंगी ? तो फिर बीच में इन बातों के कहने से क्या लाभ ?

"गत १२ जुलाई, १९७१ को मैंने सदन को प्रदेश में आई बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया था जिसमें खास तौर से देवरिया, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों की बाढ़ स्थिति का उल्लेख किया था। उसके बाद लगातार वर्षा होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आई। अब तक पूरे राज्य में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, बदायूं, हमीरपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, जालौन, आजमगढ़, बाराबंकी, बांदा, बहराइच, खीरी, इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहपुर एवं कानपुर जिले न्यूनाधिक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। विभिन्न जिलों की स्थिति नीचे बताई जा रही है।"

इसके पहले कि मैं आगे पढ़ूं सिर्फ एक निवेदन करने की इजाजत चाहूंगा। अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी ने भी और यादव जी ने भी बड़ा लांछन मेरे ऊपर इस बात का लगाया कि इसमें सिवाय हमीरपुर के और कोई बात ही नहीं बतायी गयी है। पहली बात तो यह है कि दो, तीन जगहें ऐसी हैं जहां मेरे लिये सम्भव था कि मैं खुद जाऊं।

(इस समय १ बज कर १३ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

यह बात दूसरी है कि मैं हमीरपुर जिले का रहने वाला हूं लेकिन वह मेरा क्षेत्र नहीं है जैसा आपने कहा। न मैं वहां से हार कर आया हूं और न वहां से जीत कर आया हूं मेरा क्षेत्र दूसरा है। वहां जाने का मौका इस लिये नहीं मिला कि वह हमीरपुर का जिला ऐसा है कि जहां पर बाढ़ की स्थिति यह है कि आज तक बाढ़ के जितने कीर्तिमान थे उन सब से आगे नदी बढ़ गयी है। सब से ऊंचा कीर्तिमान १९१६ का है। हमीरपुर जिले में जमुना नदी १९१६ के कीर्तिमान को भी पार करके आगे चली गयी है। इसलिये वहां जो कुछ देखने को मिला यह स्वाभाविक है कि आप जायंगे तो वहां से जो इन्फार्मेशन लेकर आयेंगे वह हाउस को देना चाहेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

आप तो कह रहे हैं कि मैं हमीरपुर गया ही नहीं।

श्री उदितनारायण शर्मा --

मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं गया था। आप न जाने क्या समझ रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर बलिया, ये सारे जिले गंगा की बाढ़ से डूब रहे हैं। तो माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि मैं जा रहा हूं और ये गये केवल हमीरपुर, अपने घर और जितनी सहायता हो सकती थी वह सारी हमीरपुर में भेज दी और हम लोगों को छोड़ दिया।

श्री उदितनारायण शर्मा--

कृष्णानन्द राय जी को बड़ा भ्रम है। जिस रोज मैंने यह बात कही थी उसके बाद मैं हमीरपुर गया ही नहीं। कैसे समझते हैं मेरी समझ में नहीं आता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य के लिये था ।

श्री कृष्णानन्द राय--

अभी आपके पहले हम लोगों ने उपाध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि केवल दो जिलों में बाढ़ आयी थी देवरिया और गोरखपुर में राप्ती नदी की और इस सदन में दो दिन तक चर्चा हुयी थी। अब ३-४ दिनों से गंगा और यमुना में बाढ़ चल रही है जिससे २२ जिले प्रभावित हैं। इसमें २ हजार गांव हैं और १० लाख एकड़ जमीन एफेक्टेड है।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या चाहते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

हम चाहते हैं कि हमको इसमें चर्चा का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह समझा जाय कि यह पढ़ा गया ? (जी हां की आवाजें) उसके बाद आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिये मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

आज मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

किसी रोज दे दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

हम लोग फिर लिख कर दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

हां, लिख कर दीजिये।

श्री उदित नारायण शर्मा--

[देवरिया

देवरिया में राप्ती व घाघरा नदियां घट रही हैं, किन्तु उनका कटान जारी है। २९ जुलाई को बड़ी गंडक का जलस्तर भेंसहा पर ३१०.१२ फीट पर रुका हुआ था--जो मध्यम बाढ़ स्तर से ४.८८ फीट नीचे था। बड़ी गंडक नदी में नैपाल राज्य की सीमा में बने लिंक बांध पर धारा का प्रभाव १२ जुलाई, १९७१ से बराबर बना हुआ है। यहां पर बचाव कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप बांध व नदी के बीच के स्थल में अब कोई कटाव नहीं हो रहा है परन्तु बांध की ठोकर नम्बर २ पर धारा का आक्रमण बराबर जारी है। यहां पर बराबर तार के केन्द्रों में भर कर बोल्डर डाले जा रहे हैं। अब तक लगभग १,००,००० घन फुट बोल्डर डाले जा चुके हैं स्थिति नियत्रण में है छितौनी बांध परस्थिति बीरभार स्पर पर भी धारा का जोर निरन्तर बढ़ रहा है और यहां पर भी तार के क्रेटों में बोल्डर डाले भर कर बराबर डाले जा रहे हैं। यहां भी स्थिति नियंत्रण में है परन्तु लोगों को बांध के टूटने की संभावना से सचेत कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर नदी की धारा सामान्य है। राप्ती नदी का जलस्तर भेड़ी पर २३३.१० फीट है। टिगरा-मिराची बांध को क्षति पहुंची है,

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

जिसके पीछे एक रिंग बांध दिया गया है। नदी का पानी बांध के पीछे नहीं गया। अब तक देवरिया जिले में ४१४ गांव की २,६२,६९१ जनसंख्या प्रभावित हो चुकी है। अनुमानतः १,८२,४२९ एकड़ प्रभावित क्षेत्रफल में १,०२,९४७ एकड़ कृषि क्षेत्रफल भी शामिल है फसलों की क्षति का अनुमान लगभग ५ करोड़ रुपये लगाया गया है। ८,९६५ मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गये है या नष्ट हो चुके हैं जिनका अनुमानित मूल्य ८७,३९,३५० रुपये है। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं को भी क्षति पहुंची है जिसका मूल्यांकन ४,९७,००० रुपये आंका गया है। अब तक ९ मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है और २२९ पशुओं के मरने की खबर मिली है। सहायता कार्य जारी है। नौ सेना की बोटे तथा २८७ देशी नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गई थीं। खतरे से निकाले हुये सभी व्यक्तियों को शरण देने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

गोरखपुर

राप्ती नदी का जलस्तर घटता जा रहा है। २७ जुलाई को बर्डघाट पर उसका जल स्तर २४०.७० फीट था जो निम्न बाढ़ स्तर से १.३० फीट कम था और बड़हलगंज में स्थिर घाघरा का जलस्तर २२७.४० फीट था। कुल ८९४ गांव में १,१०,४०५ एकड़ क्षेत्र फल जलमग्न हुआ था तथा २,२८,७०० जनसंख्या प्रभावित हुई। ४७० मकानों को भी नुकसान पहुंचा है जिनका मूल्यांकन अनुमानतः ३,५६,५०० रुपये है स्थिति पूरी तौर से नियंत्रण में है। किसी जीव हानि की सूचना नहीं मिली है।

बस्ती

बस्ती जिले में राप्ती, घाघरा, बूढ़ी राप्ती तथा नालों में १२ जुलाई से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था सभी नदियों का जलस्तर अब बराबर घटता जा रहा है अब तक १,०१६ गांवों की २,७५,९०० जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई थी। कुल १,९८,७९० एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ था इसमें से १,२१,००० एकड़ में फसलें बोयी हुई थीं। फसलों की क्षति का मूल्यांकन लगभग २ करोड़ रुपये आंका गया है। हरैया तहसील के ७ गांव जलमग्न हो गये। १२० मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं। अनुमानित क्षति १.५० लाख रुपये है। बांध और सड़कों को भी कुछ क्षति पहुंची है। बांसी तहसील के १ बांध को नुकसान पहुंचने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है।

गोंडा

गोंडा में १७ जुलाई को घाघरा का जलस्तर १०५.६७ मीटर था जो निम्न बाढ़ स्तर १०५.५५ से कुछ ऊपर था। सरजू का जलस्तर ३४१.८० फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर ३४२ फीट के लगभग आ गया था। राप्ती का जल निम्न बाढ़ स्तर पर था। १८ जुलाई को घाघरा नदी का जलस्तर १०५.६५ मीटर पर था और सरजू का जलस्तर ३४१.५० फीट पर था। अब नदियों का जलस्तर घट चुका है। इस जिले में बाढ़ से १७७ गांवों की १,५०,००० जनसंख्या प्रभावित हुई है। जलप्लावन से ३०० गांव प्रभावित हुये थे। कुल १,७०,००० एकड़ क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित हुआ। किसी मनुष्य या पशु की मृत्यु का समाचार नहीं मिला। स्थिति सामान्य हो रही है।

मिर्जापुर

मिर्जापुर की राबर्टसगंज तहसील में सोन नदी में अचानक १७ जुलाई को अभूतपूर्व बाढ़ आ गई थी। प्रभावित परिवारों को तुरन्त स्कूलों एवं सार्वजनिक भवनों में पहुंचा दिया। अब तक १४२ गांव की ७४००० जन संख्या प्रभावित हो चुकी है। कुछ

स्थानों पर सड़क का यातायात रुक गया था। ४०० घर क्षतिग्रस्त हो गये। १५,००० एकड़ कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है जिससे फसल को हुई क्षति का अनुमान २५,००,००० रुपये लगाया गया है। २२ जुलाई से फिर यातायात चालू हो गया है। सड़क की मरम्मत हो रही है। सहायता कार्य जारी है। २७ जुलाई को गंगा नदी खतरे के बिन्दु से १ फीट ऊपर थी। नदी का पानी बढ़ाव पर था। साठ गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। कोई जीव हानि नहीं हुई है। मिर्जापुर से १५ मील दूर इलाहाबाद-मिर्जापुर सड़क पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। पानी से घिरे १७६० पशुओं को सुरक्षित स्थान पर हटा दिया गया है।

बलिया

बलिया जिले में गंगा के जलस्तर २९ जुलाई को गायघाट पर १९१ फीट था जो उच्चतम बाढ़ स्तर १९२ फीट से १ फीट कम रहा। उसी दिन घाघरा नदी का जल स्तर तुर्तीपार रेलवे पुल पर २०८.४१ फीट था तथा चांदपुर पर १९१.५० फीट रहा जो उच्च बाढ़ स्तर क्रमशः २११ फीट तथा १९६ फीट से कम रहा। नदियों की बाढ़ से २७२ गांव के ४६३२७ व्यक्ति प्रभावित हुये। प्रभावित क्षेत्रफल ६६९०९ एकड़ में से १६७८६ एकड़ में फसलें बोयी हुई थी। फसल की हानि लगभग ०.८५ करोड़ रुपये की होगी। अभी तक बेरियां बांध एवं तुर्तीपार-श्रीनगर बांध में कोई कटाव नहीं हुआ है। सुरक्षा हेतु स्पर बनवाने में ११,५०,००० रुपये खर्च हुये हैं। बलिया के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग ने स्पर बनवाकर बांधों के कटान को रोकने में सराहनीय कार्य किया है। ग्राम चान्दपुर, कमालपुर में ६.०० एजड़ भूमि कटान से नष्ट हुई है जिसकी अनुमानित मूल्य २४ लाख रुपये होगी। ६२ घर जिनका मूल्य लगभग २ लाख रुपये होगा कटान से क्षतिग्रस्त हुये हैं। इस कटान के रोकने की योजना बनाई जा रही है। ८१ नावें लोगों को खतरे के स्थानों से निकालने में लगाई गई। ५०२ मनुष्यों को सार्वजनकि स्थानों पर शरण के लिये पहुंचाया गया है।

गाजीपुर

गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर मध्यम बाढ़ स्तर २१३ फीट से ३.०४ फीट ऊपर था और अब भी नदी बढ़ाव पर है। बाढ़ से ३५० गांवों को २८,९१४ एकड़ भूमि की फसल को क्षति पहुंची है जिसका अनुमानित मूल्य १,२५,००,००० रुपये की होगी। ६१ घर क्षतिग्रस्त हुये जिनका मूल्यांकन २५,३०० रुपये है। जोव हानि की कोई सूचना नहीं है। मवेशी की मृत्यु बताई जाती है।

बदायूं

बदायूं जिले में ७५० फीट लम्बे गंगा-महवां बांध के वह जाने से ५,००० रुपये की क्षति हुई। नदी की कटान से ५२,००० रुपये मूल्य की फसल और ३४ घर क्षतिग्रस्त हुए।

हमीरपुर

हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों में अभूतपूर्व बाढ़ आई। २६ जुलाई, को जमुना का स्तर खतरे के निशान ३४२ फीट से १३.१५ फीट ऊपर अर्थात् अर्थात ३५५.१५ फीट हो गया था। बेतवा का जल स्तर खतरे के निशान ३४३ फीट से ८.८३ फीट अर्थात् ३५१.८३ फीट बढ़ गया। जमुना का उपरोक्त स्तर १९१६ की उच्चतर बाढ़ स्थिति से भी ऊपर रहा। उस दिन हमीरपुर शहर से मिले हुए रोहायन बांध के टूटने की वजह से जमुना और बेतवा के पानी का मिलान हो गया। मेरापुर, मेलावां और रमेंडी के लोगों को शहर में कचहरी, तहसील, कालेज, स्कूल धरमशालाओं इत्यादि स्थानों में पनाह दी गई। हमीरपुर शहर के तीन तरफ पानी था केवल काल्पी-हमीरपुर रोड द्वारा कालपी होते हुए बाहर जाया जा सकता था। २५ जुलाई को इस

[श्री उदित नारायण शर्मा]

सड़क पर इतना पानी था कि यातायात बन्द हो गया। लोग छोटी छोटी नावों द्वारा व पानी में चलकर लारियों से हमीरपुर आने जाने लगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्थिति को संभालने में वांछित ततरता नहीं दिखाई २७ जुलाई को शाम को दोनों नदियों का जलस्तर घटकर क्रमशः ३४९.८३ तथा ३४६.१६ फीट पर आ गया। दोनों ही नदियों का पानी उतार पर था परन्तु २८ तथा २९ जुलाई को पानी थोड़ा-थोड़ा बढ़कर जमुना तथा वेतवा में क्रमशः २९ जुलाई को ३५२.२ फीट तथा ३४९.९५ फीट पहुंच गया था। पानी बढ़ाव पर है। बाढ़ की विषम स्थिति का सामना करने के लिये एक स्टीमर, एक मोटर लांच, देशी नावें तथा सेना की ९ रोटर नावे लगाई गई हैं। अभी तक किसी मनुष्य या पशु के मरने की खबर नहीं मिली। सुरक्षा और सहायता कार्य में जिला स्तर के अधिकारियों ने लगन और तत्परता दिखाई एवं सराहनीय कार्य, किया। फसल का नुकसान अवश्य हुआ है परन्तु सही आंकड़े नहीं दिये जा सकते पानी उतरने पर जब परताल होगी तभी अनुमान लगया जा सकेगा। मनुष्यों एवं पशुओं को व्यापक बीमारी से बचने के लिये टीके लगवाये जा रहे हैं।

पीलीभीत

२२ जुलाई तक पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में बाढ़ से ३२,५०० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हो चुका था जिसमें से २५,००० एकड़ पर फसल बोई हुई थी। अब तक २७,४०० व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। क्षतिग्रस्त फसल का मूल्य ९ लाख रुपये आंका गया है। ३७ घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे जिनका मूल्यांकन १०,००० रुपये आंका गया है। कोई जीव हानि नहीं हुई।

मुरादाबाद

२२ जुलाई तक मुरादाबाद जिले में कोसी, रामगंगा तथा गंगा नदियों की बाढ़ से १,१०,००० एकड़ क्षेड़फल प्रभावित हो चुका था जिससे ६२,९९८ जनसंख्या प्रभावित हुई। फसल को अधिक हानि नहीं हुई। तहसील हसन पुर में जलमग्न फसल को २५ प्रतिशत से नीचे ही नुकसान हुआ। १६३ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनका मूल्य ४१,३६० रुपये आंका गया है। कोई जीव हानि नहीं हुई। बाढ़ उतर गई है।

जालौन

२६ जुलाई को जालौन जिले में कालपी में जमुना नदी खतरे के निशान से २१ फीट ऊपर ३७५ फीट पर थीं लेकिन पानी स्थिर था। जिले के ३५ ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए। १०,००० एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई जिसको अनुमानति हानि १५ लाख रूपये होगी। ३२५ घर नष्ट हुए। कालपी के २ लड़के जमुना में नहाते हुए डूब गये। अन्य कोई जीव हानि की सूचना नहीं मिली। पानी अब उतर रहा है।

आजमगढ़

आजमगढ़ जिले में घाघरा का जलस्तर १६ जुलाई को २२७.६ फीट था जो मध्यम बाढ़ स्तर २२८ फीट से नीचे रहा। टौंस नदी का जलस्तर २३४.९० फीट था जो उच्चतम स्तर २२१,५० फीट से भी अधिक रहा लेकिन दोनों नदियों का जलस्तर अब घट गया है। कुल १६६ गांवों की ८३,२४० एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था जिसमें से ५५,७१२ एकड़ में फसल बोई हुई थी जिससे लगभग २ लाख ७५ हजार रुपये का नुकसान हुआ। ३५ मकान क्षतिग्रस्त हुए थे जिनका मूल्यांकन १४,८५० रुपये किया गया है। १८ जुलाई को ही दोनों नदियों का जलस्तर सामान्य हो गया था।

बाराबंकी, बहराइच एवं खीरी

बाराबंकी, बहराइच एवं खीरी जिलों में मामूली बाढ़ें आई थीं। किन्तु कोई उल्लेखनीय स्थिति नहीं पैदा हुई और १६ जुलाई तक बाढ़ का पानी सामान्य हो गया। परन्तु बाराबंकी जिले में २७ जुलाई से दुबारा बाढ़ आ गई है। बाढ़ मध्यम स्तर ३४७ फीट से ऊपर ३४७.६३ फीट हो गई थी और दूसरे दिन ३४६.९७ फीट रह गई। जलस्तर रुका हुआ है। इस जिले में १४४ गावों की ७०,००० एकड़ भूमि प्रभावित हुई जिसमें से ३९,२०० एकड़ में फसल बोई थी फसल का नुकसान लगभग २ करोड़ रुपये का होगा। इन जिलों में कोई जीव हानि की सूचना नहीं मिली।

बांदा

बांदा जिले में जमुना नदी २६ जुलाई को खतरे के विन्दु को पार कर गई। केन नदी में भी जमुना के पानी से बाढ़ प्रारम्भ हो गई। २७ जुलाई से पानी घटना प्रारंम्भ हो गया। २५८ गावों में जहां की जनसंख्या लगभग १,६०,००० होगी, पानी आ गया था। १२५ मकानों को क्षति पहुंची है ८० हजार ८०५ एकड़ भूमि की फसल भी प्रभावित है जिसका मूल्यांकन ४ करोड़ रुपये होगा।

इलाहाबाद

इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का बढ़ाव २५ जुलाई को शुरू हुआ। २४ घंटे के भीतर अर्थात् २६ जुलाई को खतरे के निशान पर उसका जलस्तर पहुंच गया। जलस्तर बढ़ना बराबर जारी रहा। २८ जुलाई को प्रातःकाल गंगा का जलस्तर खतरे के बिन्दु २०८ फीट से बढ़ कर २८०.६ फीट और यमुना का जलस्तर २८१.०० फीट हो गया था। उसी दिन सांयकाल ७ बजे गंगा का स्तर बढ़कर २८१.११ फीट हो गया और यमुना का २८१.६ फीट। २९ जुलाई, १९७१ को गंगा का स्तर २८२ फीट ८ इंच और यमुना का २८२ फीट ३ इंच हो गया। इसके कारण उनकी सहायक नदियों ससुरखदेरी, मनसैता और टोंस नदियों में भी बाढ़ आ गई है। लगभग ३९६ गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। किसी मनुष्य की मृत्यु का समाचार नहीं मिला। किन्तु फूलपुर तहसील के कछार में ५० पशुओं के मरने के समाचार मिले हैं। पानी से घिरे हुए अन्य पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी से घिरे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये २६० नावें लगाई गई हैं। १००८ लोगों को सार्वजनिक स्थानों एवं तम्बुओं में पहुंचाया गया है। अब तक १,५१,८०० व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। ७२,८८२ एकड़ फसल भी बाढ़ से प्रभावित हुई है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग २ करोड़ रुपये होगा। कुल ३२२ मकान गिरे हैं जिनका मूल्यांकन लगभग ८६ हजार रुपये अनुमानित है।

वाराणसी

वाराणसी जिले में २२ जुलाई से गंगा नदी में बाढ़ आनी शुरू हुई। २७ जुलाई को वह खतरे के निशान ७१.२६२ मीटर को पार कर ७१.५३१ मीटर पर पहुंच गई। २८ जुलाई को प्रातः काल जल स्तर ७१.९६१ मीटर था। अब तक बाढ़ से १४० ग्रामों की १२,१८४ एकड़ फसल प्रभावित हो चुकी है जिसका अनुमानित मूल्यांकन २५ लाख रुपये लगाया गया है। कुल २२,१५७ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये ३८ बाढ़ चौकियों में रात दिन कार्य हो रहा है। ५३ नावें सहायता कार्यों में लगाने का प्रबन्ध है। अभी लोगों को उनके गांव से हटाने की स्थिति नहीं आई है। किसी जीव हानि की सूचना अब तक नहीं प्राप्त हुई।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

फतेहपुर

फतेहपुर जिले में २४ जुलाई, १९७१ से यमुना नदी में बाढ़ आनी शुरू हुई थी जिससे उसके किनारे बसे १५ गांव प्रभावित हो गये थे। लगभग ३,५४० एकड़ फसल प्रभावित हुई जिसका अनुमानित मूल्यांकन १० लाख रुपये होगा। १६४ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिन का अनुमानित मूल्य ६०,००० रुपये आंका गया है। कुल ५,३३० व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए। अब तक किसी जीव हानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई। सहायता के रूप में पीड़ितों को अब तक १२५ किलो चना, २२ लीटर मिट्टी का तेल, ३ दर्जन दियासलाई तथा ३० मोमबत्तियां बांटी जा चुकी हैं। २९५ व्यक्तियों को हैजे का टीका लगाया जा चुका है। १९२ लोगों को अन्य दवाईयां दी गयीं और १४४ मवेशियों को टीके लगाये गये हैं।

कानपुर

कानपुर जिले म २५ जुलाई को यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। उसकी बाढ़ से सहायक नदी सेंगुर का भी पानी बढ़ गया था। चपर घटे पर जहां दो नदियां मिलती हैं वह सड़क पर १२.५० फीट पानी हो गया था। यातायात अवरूद्ध हो गया था। इसके लिये नावों का इंतजाम करना पड़ा। किसी व्यक्ति के मरने या बहने की सूचना नहीं मिली है। २ बकरियां अवश्य बाढ़ में बह गई हैं। भोगनीपुर और घाटमपुर तहसीलों के ८१ गांव प्रभावित हुये हैं। इनमें से २२ गांवों में क्षति बहुत ज्यादा हुई है। लगभग १२,२५० व्यक्ति बाढ से प्रभावित हुये हैं। ३१९ मकान पूरे अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये हैं। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित तहसीलदारों को अतुहेक सहायता देने के लिये १०,००० रुपये और तकावी के लिये ३५,००० रुपया दे दिया है जिसका वितरण हो रहा है। १,२५५ व्यक्तियों को स्कूल आदि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

अब तक पूरे प्रदेश में ३१ मनुष्यों की जानें गई हैं और ५७२ पशु मरे है। बाढ़ का प्रभाव लगभग ३,५०० गांवों पर पड़ चुका है। निजी सम्पदा फसल और सरकारी संपत्ति को कुल मिला कर ३० करोड़ रुपये की क्षति हुई है। बाढ़ पीड़ित जिलों के प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ अहेतुक, सहायता के मद में १२.३५ लाख रुपये प्राकीर्ण व्यय के लिये ३.११ लाख रुपये और आपदा तकावी बांटने के लिये १२.३६ लाख रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। उसकी जिलेवार सूचना संलग्न है। प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। हर जिले में सहायता व सुरक्षा का काम तत्परता से किया जा रहा है। जिन लोगों को आहेतुक सहायता की जरूरत है, उन्हें दी जा रही है। क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिये अनुदान और तकावी दी जायेगी। बाढ़ पीड़ितों को संक्रामक रोगों से बचाने की भी व्यवस्था की गयी है। फसल को जो नुकसान हुआ है उसका सही-सही मूल्यांकन बाढ़ का पानी हटने पर किया जायेगा और आवश्यकतानुसार मालगुजारी में स्थगन और छूट पर विचार किया जायेगा।

माननीय श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने २६ जुलाई, १९७१ को यह नोटिस दी है कि आजमगढ़ तथा वाराणसी में नाव डूब जाने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपनी नोटिस में यह स्वयं कहा है कि यह नाव दुर्घटनायें अधिक संख्या में सवारी बैठाने के कारण हुई है। बाढ़ से उनका सम्बन्ध नहीं है।

माननीय श्री सजीवन लाल यादव ने असामयिक वर्षा और अतिवृष्टि के कारण वसूली स्थगित किये जाने के आदेश होने के बावजूद श्री सुरेन्द्र नाथ भारती, तहसील हसनगंज, जिला

उन्नाव को तकावी ऋण की वसूली के लिये गिरफ्तार किये जाने की शिकायत की है। तहसीलदार हसनगंज ने इन्हें मुर्गी पालन हेतु लिये गये ऋण की वसूली के लिये गिरफ्तार किया था। उन्होंने इसे विकास ऋण समझ कर वसूल करने का प्रयत्न किया। मामले की जांच कराई जा रही है।

परिशिष्ट

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए विभिन्न जिलों को दी गयी धनराशि का विवरण

(२८-७-७१ तक)

क्र०सं०	जिले का नाम		अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान	प्रकीर्ण व्यय	तकावी
१	देवरिया	..	३,७५,०००	१,०८,०००	१,२५,५००
२	गोरखपुर	..	१,८०,०००	३८,०००	७५,०००
३	बस्ती	..	१,६५,०००	४७,०००	१,००,५००
४	गोंडा	..	३५,०००	५,०००	२०,०००
५	मिर्जापुर	..	४७,०००	४,०००	५०,०००
६	बलिया	..	२३,०००	७,०००	५०,०००
७	गाजीपुर	..	३८,०००	२२,०००	५०,०००
८	बदायूं	..	१५,०००	..	४०,०००
९	हमीरपुर	..	५०,०००	१०,०००	१,००,०००
१०	पीलीभीत	..	१०,०००	१,०००	४०,०००
११	मुरादाबाद	..	१५,०००	..	९०,०००
१२	जालौन	..	२०,०००	२,०००	५०,०००
१३	आजमगढ़	..	५०,०००	७,०००	७५,०००
१४	बाराबंकी	..	५,०००	..	..
१५	बहराइच	..	५५,०००	२५,०००	..
१६	खीरी	..	४५,०००	३,०००	२,२०,०००
१७	बांदा	..	२५,०००	५,०००	२५,०००
१८	इलाहाबाद	..	२०,०००	५,०००	५०,०००
१९	फतेहपुर	..	१०,०००	३,०००	५०,०००
२०	वाराणसी	..	२७,०००	४,०००	५०,०००
२१	कानपुर	..	२५,०००	५,०००	२५,०००
		योग ..	१२,३५,०००	३,११,०००	१२,३६,०००

श्री कृष्णानन्द राय—

तब तक बाढ़ खतम हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

सोमवार तक बाढ़ खतम नहीं होगी।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में नदियों में बाढ़ आई हुई है। उनके पास जो सूचना आई है वह एकदम गलत है।

श्री अध्यक्ष—

आप इनके कमरे में चले जाइये तो बात हो जायगी। इसको ५२ में ले लूंगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था कि वक्तव्य के बाद हम लोग प्रश्न करेंगे लेकिन आपने अब आज्ञा दी कि बाद में इस पर चर्चा होगी तो अब मेरा निवेदन यह है कि आज इलाहाबाद में जल इतना आगे बढ़ गया है कि अभी तक की सहायता नाकाफी है। सरकार ने बताया कि २ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तो मैं चाहता हूं कि वहां इलाहाबाद में कम से कम २५ लाख रुपया तुरन्त मंत्री जी भेजने का प्रबन्ध करें। वहां पर हजारों जानवर मर गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह रिमार्क अभी आप उस दिन के लिये रिजर्व रखें।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

बहुत से गांव डूब गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

सब के बारे में उस दिन चर्चा होगी। क्या-क्या काम उन्होंने किया है यह भी अपनी रिपोर्ट में दे देंगे।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

हमीरपुर अपने जिले में तो मंत्री जी गये और कई बार गये लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सदन के विरोधी पक्ष के बड़े भारी वक्ता जो हमारे दोआबा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, उन्होंने राजस्व मंत्री जी के प्रति जब कटु शब्दों का प्रयोग किया तो राजस्व मंत्री जी चुपके से बलिया क्षेत्र में चले गये और उनकी सहायता करने के लिये गये। उनको खुश करने के लिये वहां पर गये।

श्री अध्यक्ष—

आप आक्षेप कर रहे हैं। इस तरह से समय चला जाता है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य महज इसलिये कि वह उस तरफ बैठता है या उन्होंने कोई कटु बात कही और मैं उस पर काम करूं यह कोई मतलब नहीं है। इस तरह से कोई बात मुझसे कही जाय तो मैं उस प्रकार से व्यवहार नहीं करता कि उनके कहने के कारण वहां जाऊं या उस तरह से व्यवहार करूं। यह बाढ़ का मामला था और इसमें हमीरपुर ही नहीं हो सकता है और जगह की भी कठिनाई है। जिस रोज का जिक्र है उस दिन बलिया जाने की कोई बात नहीं थी। इस सदन में उसी रोज मुझसे कहा गया कि मैं इलाहाबाद जाऊं। यहां पर संड जी और पांडेय जी ने यह प्रश्न उठाया कि इलाहाबाद की स्थिति इतनी खराब है कि मुझे जो वक्तव्य देना है वह यदि विस्तार से निवेदन करूं तो मेरा वहां जाना जरूरी है। मैंने भी कहा कि यदि आप चाहते हैं कि विस्तार से कहूं तो आप इजाजत दें मैं पहले देख आऊं। यहां पर जो अधिकारियों से सूचना मिली है वह इतनी काफी नहीं है। इसी पर मैनेजर सिंह जी ने उठकर कहा कि बलिया में बहुत जोर की बाढ़ आई है। वहां भी आप देख आयें। मैंने उनसे कहा कि सदन के सामने मैंने यह कह दिया है कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा। यदि बलिया जाना संभव हुआ और आप चाहते

हैं तो मेरे पास आयें, मैं कलेक्टर को टेलीफोन कर दूंगा । आप को सन्तुष्ट कर दूंगा । जो हमें करना चाहिये वह हम कर रहे हैं । वह रात को लगभग ११ बजे के आये मैंने उसी वक्त दोनों जगह को इलाहाबाद को और बलिया को फोन किये । इलाहाबाद के अधिकारियों से तो बातचीत न हो सकी लेकिन वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात हो सकी, उन्होंने कहा कि ज्यादा गम्भीर स्थिति यहां नहीं है चाहें तो आप आयें और चाहे न आयें । उस के बाद मैंने बलिया के कलेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे यहां गंगा बड़ी तेज रफ्तार से बह रही है और बढ़ रही है । इसीलिये फिर श्री मैनेजर सिंह से मैंने कहा कि यदि आप इलाहाबाद के विधायकों को राजी कर लें तो मैं वहां न जाकर बलिया जाऊंगा और श्री राजित राम से भी बात हुई उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, बलिया चले जायं । ५ बजे सुबह जब मेरी कार आई और मैं जाने को तैयार हुआ तो मैनेजर सिंह जी भी आ गये । अगर हम ६ और ८ के बीच बलिया के लिये निकल जाते तभी वहां जाकर देखकर लौटना संभव था वर्ना नहीं लौट सकते थे । उन्होंने जब चलने को कहा तो मैं उन से यह नहीं कह सका कि जब और लोग नहीं जा रहे हैं तो आप भी न जायं मैंने कहा कि आप चलें । आप को जरा काम करने वाले की परिस्थिति को भी देखना चाहिये । आप हमारे दल के हैं यह असंभव था कि आप चाहते और मैं न ले जाता लेकिन यह कहना कि वह गये और वह सब गालियां देते हैं उन बातों का मैं क्या उत्तर दूं । जो उचित था मैंने वही किया ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप आय-व्ययक पर....

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, यह असंतोष इसीलिये हो रहा है कि जब मंत्री लोग जाते हैं तो वे अपने दल के लोगों को लेकर शहरों और जिलों का दौरा करते हैं । राजस्व मंत्री जी को उनके दल के जो माननीय सदस्य हैं माननीय चौधरी साहब को लेकर घूमना चाहिये था लेकिन वह विरोधी दल के श्री मैनेजर सिंह को लेकर चले गये । मैं तो इसी डर से किसी मिनिस्टर के यहां झांकने जाता ही नहीं ।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमको इस बात पर आपत्ति नहीं है कि मंत्री जी श्री मैनेजर सिंह को लेकर बाढ़ का निरीक्षण करने गये, उस की तो मुझे खुशी ही है लेकिन उन का यह कहना कि बलिया के विधायक नहीं मिले, इससे हमें बहुत तकलीफ हुई, हम बलिया के सब विधायक मौजूद थे और जब बलिया जाने का कार्यक्रम बना ही था तो श्री मैनेजर सिंह तो बगल में रहते हैं उन को सूचित किया गया तो हमें भी वह सूचित कर सकते थे कि हम लोग ट्रेन से बलिया पहुंच जायं, हम वहां पहुंच रहे हैं । वह श्री मैनेजर सिंह को तो कार में ले गये लेकिन हमें सूचना तक नहीं दिये कि हम बलिया जा रहे हैं बस इसकी ही हमें तकलीफ है । वह विरोधी दल के किसी सदस्य को लेकर जाते हैं इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि श्री मैनेजर सिंह तो एक प्रभावशाली सदस्य हैं वह उनकी बगल में कार में बैठकर गये और उन्होंने गंगा के किनारे के स्थान दिखाकर वहां की जनता को आर्थिक लाभ पहुंचवाया और कोशिश इसकी होगी लेकिन क्या मंत्री जी घाघरा में जो बाढ़ आई है उधर को भी जाने की कोशिश किये, गंगा, घाघरा और टोंस तीनों नदियों में बाढ़ हैं और वह वहां की सारी जनता को तबाह और बरबाद देख कर आये होंगे लेकिन उनको फौरी राहत देने की क्या व्यवस्था की गई । मेरे पास वहां से पत्र आया है कि इन तीनों नदियों में भयंकर बाढ़ आई हुई है और वहां के लोग तबाह हो गये हैं । अब २ दिन तक

[श्री जगरनाथ]

इस पर यहां बहस होगी इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं इसी वक्त चाहता हूं कि उनको तात्कालिक राहत पहुंचाई जाय और उसके लिये अब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है। श्री मैनेजर सिंह की कांस्टीटुएंसी के लिये जो व्यवस्था हुई है या पूरे जिले के लिये हुई है यह मैं मंत्री जी से एक सेकिंड में जानना चाहता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे गंगा और यमुना में भीषण बाढ़ आयी है बलिया जिले में बाढ़ आयी है। यह स्थिति नित्यप्रति भयानक होती जा रही है तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि उन्हें जिलेवार प्रति दिन ४–४ या ६-६ घंटे बाद हर जिले की स्थिति मिलती रहे और सरकार के द्वारा उचित प्रबन्ध करने के लिए और राहत देने के लिये कदम उठाये जा सकें ? मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि मिर्जापुर में ४०० गांव बाढ़ से घिर गये हैं, उनमें से आदमियों का निकलना असम्भव हो गया है, गांव के गांव बह रहे हैं। वहां पर केवल २५–३० नावें हैं। मुख्य मंत्री जी की ओर से आदेश हुआ था कि वहां पर २ स्टीमर्स भेज दिये जायं लेकिन आजतक वहां पर कोई स्टीमर नहीं गया है। तो क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे कि उन्हें हर जिले से ३–४ या ४–४ घंटे बाद बाढ़ की स्थिति मालूम होती रहा करे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मुझे आपत्ति नहीं कि माननीय मंत्री जी किस के साथ गये कैसे गये। सबसे बड़ी आपत्ति मुझे यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने बलिया के बारे में कलेक्टर और इंजीनियर की सूचना के आधार पर गलत रिपोर्ट दी है। वहां पर मठिया, हल्दी रामपुर, बल्था रोड बाजार चिरियां के सामने इन्दरपुर, थमनपुरा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और उनका कटान तेजी से हो रहा है। न तो वहां पर माननीय मंत्री जी गये हैं और न उन्हें वहां का कोई ज्ञान है। माननीय मंत्री जी गायघाट के बारे में जो रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल सत्य के परे हैं। वहां पर गंगा की धारा पिछले साल ही मुड़ गयी है। मैं और जिले के पत्रकार पिछले साल अगस्त में गये थे और इस इलाके का निरीक्षण किया था। इस कटान पर केंद्रीय सरकार कहती है कि बोलडर्स गिराये जाते हैं, लेकिन मौके पर झांवा पड़ा है। माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि इस पर स्पर बनाया गया है जबकि वहां पर झांव ही पड़ा है और इस पर सहायक इंजीनियर, इंजीनियर और ओवरसियर की तारीफ करते हैं जबकि वहां पर इंजीनियर और ठेकेदार लाखों रुपये की लूट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप इनके सुझावों को नोट कर लें और अगर अमल कर सकें तो करा दें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि अगर कोई मंत्री किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तो उनका यह कर्त्तव्य है कि, चाहे वह अर्जेंट ही नेचर का हो, वे उस क्षेत्र के सारे विधायकों को सूचित कर दें ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अभी तक जो क्रम रहा है वह यह है कि माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे और मैं जवाब दूंगा। उसी प्रकार से माननीय जगरनाथ जी ने कहा कि मैं २ मिनट में उनकी बात का

जवाब देदूं । उसके पहले माननीय राय जी बोले और फिर माननीय चौधरी साहब बोलें। तो एक तो यह हो सकता है कि एक एक प्रश्न हो जायं और मैं एक-एक का उत्तर देता जाऊंगा या फिर चर्चा हो जाय और सबसे बाद में मैं उनके सारे सवालों के उत्तर दे दूं । अगर आप इजाजत दें तो मैं बलिया जिले के बारे में कुछ बातें कह दूं ?

श्री अध्यक्ष—

समय निकल जायगा व्यवधान

१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—सहकारिता

*सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४–सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६५,२४,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा जो पुस्तिका वितरित की गई उसमें विस्तार से विभाग के कार्य और प्रगति दी गई है लेकिन फिर भी एक चीज की तरफ खास तरीके से मैं प्रकाश डालना चाहता हूं जिसकी चर्चा अधिक इस विभाग में हुआ करती है विभाग की कमियों की तरफ । वह कभी चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बकाया की हो, क्योंकि इस सहकारिता आन्दोलन का खासकर प्रदेश के किसानों से विशेष संबंध है । ज्यादा पैसा बकाया रह जाय या भ्रष्टाचार वगैरह हो तो सही माने में जिस हिसाब से विभाग सोचता है मदद कर सके वह करने में सफल नहीं होगा । जहां तक बकाया का सवाल है वहां करीब ३५ करोड़ रुपये के जो ऋण दिये जाते हैं उसमें बकाया है । इस साल अत्यधिक वर्षा होने से जो क्षति हुई जिससे वसूली में विशेष कठिनाई आई और जिसके लिये मैंने पहले भी सदन में निवेदन कर दिया था रिजर्व बैंक वालों से राय की और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी थी कि रबी का जो बकाया था उसको जो अल्पकालिक ऋण था उसको मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन करने पर अपनी रजामन्दी दे दी थी । रिजर्व बैंक वाले आये थे उनसे फिर बात हुई । उन्होंने खरीफ के लिये जो अल्पकालिक ऋण था उनको भी मध्यकालीन में, परिवर्तन करने की रजामन्दी दी है और इससे अन्दाज है कि १४-१५ करोड़ रुपये पहले रबी से कम होता था, दो अढ़ाई करोड़ रुपये लेकिन रबी और खरीफ लेकर १४–१५ करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित हो जायेंगे और वह तीन वर्ष के लिये होगा और तीन किस्त में लिया जायेगा और पहली किस्त उसकी ३० जून तक वसूल होगी लेकिन इसके अलावा भी काफी रुपया जो बकाया है इस पर विभाग की तरफ तवज्जह की गई है इसके लिये अलग से एक एजेंसी बनाई जा रही है रिकवरी आफिसर की । यह कुछ जिलों में हो गई है और इससे आशा है कि इससे हम बकाया को बहुत हद तक वसूल कर सकेंगे ।

सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है इसकी चर्चा होती है । भ्रष्टाचार में गबन के अलावा ऐसी भी चर्चा होती है कि पैसा जिनके नाम पर चढ़ा है, जिनसे वसूली होनी है, उसमें अक्सर ऐसी दरख्वास्तें आती हैं कि उन्होंने पैसा लिया नहीं बल्कि ऐसा होता है कि उन्होंने दस्तखत नहीं बनाये । ये तरह तरह की जो बुराइयां थीं उनको दूर करने के लिए जो विभाग की तरफ से पहला कदम उठाया वह यह कि जो कर्जा देने का तरीका पहले था उसको माननीय सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

जानते हैं उस पर ज्यादा समय नहीं खर्च करना चाहता पहले की तरह से कर्जा नहीं दिया जाता बल्कि हर व्यक्ति को अब चेक के द्वारा पैसा दिया जाता है जिससे कि जिस विभाग से ले रहा होगा उसमें जायेगा और जितना मंजूर हुआ है, जितना मिला है वहीं से जाकर वह पैसा लेगा । इसमें भी चेक इश्यू होने के बाद भी ऐसी खबरें मिली उसमें जो प्रतिबन्ध हैं उसको भी मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता । क्योंकि पहले आ चुका है । लेकिन जब सरपंच के यहां जाकर चैक लेता है तो वह दस्तखत कराता है और उसकी शिनाख्त करता है । उसके बाद जब वह बैंक में आता है तो जैसा कि बैंक का नियम होता है बैंक वालों के सामने फिर दस्तखत करता है । और भी कई दस्तखत रजिस्टर में होते हैं । एक फोटो भी रखा रहता है बैंक में, एक खुद के पास भी होता है। तो उसके बाद बैंक पैसा देता है । लेकिन एक महीने पहले मालूम हुआ कि कुछ लोग इसमें भी गड़बड़ी करने लगे हैं कि बैंक वालों को मिला लिया और सौ दो सौ, चार सौ किसानों के चेक्स इकट्ठे कर लिये और उनमें दस्तखत करा लिए और बैंक ले गए और पैसा ले लिया । इसके लिए भी विभाग की तरफ से सरक्युलर हर बैंक में पहुंच गया है कि जो कैश बुक होती है, जहां से चैक का पैसा मिलता है और जहां रजिस्टर में सब दर्ज किया जाता है नाम, चैक नम्बर, रुपया वहां पर भी उसके दस्तखत कराये जायेंगे । जिसके मानी यह हुए कि हर व्यक्ति को बैंक तक जरूर जाना पड़ेगा। जो गड़बड़ी करते थे उस गड़बड़ी की अब उम्मीद नहीं रह गयी है ।

दूसरे, आज गबन के बहुत मामले हैं इसमें कोई शक नहीं है । २ हजार ८८ के करीब मामले हैं । मैंने पारसाल बताया था कि ३० जून तक ७८६ मामले ऐसे थे जिनकी अफ०आई०आर० लाज हो गयी थी । अब ३१ मार्च, १९७१ तक ९९६ मामलों में एफ० आई० आर० लाज हो गयी है । इसमें बहुत से काफी पुराने हैं । लेकिन पुलिस और कामों की वजह से उनको देख नहीं पाती । इसलिये यह निश्चय किया गया और मैंने यह चर्चा किसी समय की भी थी कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अन्तर्गत विशेष तौर पर एक पुलिस अनुसंधान शाखा है जो इन तमाम मामलों का इंवेस्टीगेशन करेगी और प्रासीक्यूटिंग इस्पैक्टर वगैरह होंगे जो अदालतों में उन मुकदमों को ले जायेंगे । गबन के जो मामले हैं इनमें करीब १ करोड़ ६५ लाख रुपया फंसा है । एफ० आई० आर० जिनकी हो गयी है उनमें ९५ लाख के करीब है । तो ये दो कदम शासन की ओर से उठाये गये हैं ।

विभाग की ओर से एक तीसरी चीज भी है । वह यह है कि हर जिले में, हर सोसाइटी में जो मामले पड़े हुए हैं और न जाने कितनी दरख्वास्तें रोज आती हैं जांच के लिए जऔर जितना हमारा मौजूदा स्टाफ है, कर्मचारीगण और अधिकारीगण, उनके लिए सब जांच करना मुश्किल हो जाता है और काफी समय लग जाता है । मैंने पहले भी सोचा था। उस पर विचार किया जा रहा है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है। अगर हम किसी तरीके से इन तमाम चीजों को, हर सोसाइटी को, हर कागज को देख सकें और छानबीन कर सकें तो बड़ा लाभ होगा । जो टोली छानबीन करने गांव में जाएगी, अगर किसी के नाम पैसा लिखा है और लिया किसी और ने है--उसे अदालत में जाना पड़े तो न मालूम क्या कहेगा, लेकिन अगर गांव में टोली पहुंच जाय और गांव के तमाम लोग वहां इकट्ठा रहें, जिसके नाम गलत पैसा दर्ज है वह भी और जिसने पैसा ले लिया है उसके नाम पर वह भी रहे तो यह मेरा अन्दाज है कि ७५ प्रतिशत आदमी ऐसे होंगे जो कि इसको तसलीम कर लेंगे जिनके नाम कि पैसा उस वक्त लिखा हुआ है । वे लोग उस पैसे को मान लेंगे जिसको कि उन्होंने ले लिया है और खर्च कर लिया है । तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हल हो जायेंगी । जब लोगों से पैसा वसूल किया जाता है तो कुछ लोग शोर करते हैं कि हमने तो पैसा लिया ही नहीं, दरख्वास्त नहीं दी, दस्तखत नहीं किये और कभी भी कोआपरेटिव से पैसा नहीं

लिया तो ऐसी सूरत में विभाग के पास कोई रास्ता नहीं रह जायेगा कि पैसा वसूल किया जाये। जब टोली गांवों में जायेंगी तो ज्यादा से ज्यादा मसले हल हो जायेंगे और जो थोड़े से बचेंगे उनके लिए फिर आगे कार्यवाही होगी। एफ० आई० आर० दर्ज होगी और पुलिस उन तमाम मामलों को देखेगी।

जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि इस अनुदान का महत्व किसानों को सहायता पहुंचाना है और खसूसियत यह है कि जो छोटे काश्तकार हैं, कमजोर हैं, साधनहीन हैं, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है और सहायक है। प्रति वर्ष हमारा लक्ष्य बढ़ता ही जा रहा है। पार साल ५२,३५,००,०००रुपया बंटा था अल्प कालीन ऋणके रूप में और इस साल हमारा लक्ष्य ५४ करोड़ रु० है। मध्य कालीन ऋण में पार साल ३,६२,००,००० रु० बटा था और इस साल का लक्ष्य साढ़े पांच करोड़ रु० और इस दीर्घकालीन ऋण में सब तरह के ऋण को मिला कर २०,०८,००,००० रुपये था और इस वर्ष बजट में जो प्राविधान किया गया है वह है ३० करोड़ रुपये। कहने का मतलब यह है कि सहकारी ऋण का दायरा बढ़ रहा है। अगर विभाग में भ्रष्टाचार है, विभाग के कार्य में कमियां हैं और बकाया रह जाता है तो उसे हम देख रहे हैं और इस ओर हमारा प्रयास जारी है। सरकार का सब से ज्यादा प्रयास इस ओर है कि ज्यादा से ज्यादा कमियां दूर हो सकें। यह बात जरूर है कि अब तक ऐसा होता था कि जितनी सहकारी से सहायता दी जाती थी उससे ज्यादातर लाभ बड़े-बड़े काश्तकार ही उठाते थे। छोटे काश्तकारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए नियम में परिवर्तन किया गया है और संशोधन भी किये गये हैं। जो हमारा दीर्घ कालीन ऋण दिया जाता है उसमें ५ एकड़ तक भूमि बंधक रखने वालों को ३६ प्रतिशत पैसा मिलता है। भूमिधर काश्तकारों को लगान के ५३५ गुने का ऋण दिया जाता है। उनके लिए वैसे सरकार ने गारन्टी दे कर ७५ प्रतिशत तक कर दिया है। इसके बाद भी अगर पैसे की कमी हो जाती है तो किसान जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेता है उस प्रोजेक्ट की भी कीमत लगा करके उसको सहायता दी जाती है। उस सहायता को उसको देने वाली रकम में जोड़ दिया जाता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि छोटे काश्तकारों को इससे ज्यादा फायदा होगा।

इसके अतिरिक्त एक संयुक्त ऋण योजना भी है। इस योजना के अन्तर्गत कई काश्तकार मिल करके अपनी जमीन को बन्धक रखते हैं और जितना पैसा वे लगाते हैं उतना पैसा उनको मिल जाता है। इस पुस्तिका में यह दिया हुआ है। ८-१० आदमी मिल करके इस संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता ले सकते हैं।

इन सब के अतिरिक्त हमारी स्माल फार्मर्स के लिए भी योजना है। उसमें ५ परसेंट शेयरमनी होता है, जितना पैसा उनको मिलना होता है। उसको अब ३ परसेंट करने की योजना है। अगर वह अपना ३ प्रतिशत भी शेयरमनी न दे सके तो जो पैसा उनको दिया जायेगा उसमें से धीरे-धीरे काट लिया जायेगा। रिजर्व बैंक से यह बात चल रही है, अभी निश्चय नहीं हुआ है कि जितना ऋण होता है, उसके लिये शेयर कैपिटल जितना जमा करना होता है अगर काश्तकार जमा न कर सके तो उसका शेयर कैपिटल जो सोसाइटी वगैरह में जमा है, उसके आधार पर जितना पैसा उसको मिलेगा उतना रुपया उसमें से ले लिया जायगा। इस तरह से उसके फायदे की अनेक योजनायें हैं जिनको लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है उनको मैं बाद में बतलाऊंगा क्योंकि ऋण वगैरह खाद व बीज आदि के लिये जो दिया जा रहा है उससे जहां गल्ले की पैदावार बढ़ी वहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत थी कि किसान जो गल्ला पैदा करता है उस गल्ले की उचित कीमत उसे मिले वरना ज्यादा गल्ला पैदा होने का पूरा लाभ उसे नहीं मिल सकेगा। उसके लिये २०५ क्रय-विक्रय समितियां कार्य कर रही हैं, तीन और आगे चलेंगी। उसके अवाला दाल मिल, राइस मिल, जूट मिल वगैरह की यूनिट्स हैं जहां हम इस तरह की चीजों का प्रोसेसिंग कर सकें और उनका माकूल दाम मिल सके। इसमें गवर्नमेंट की सहायता रही और अब एन० सी० डी० सी० की मदद से इस कार्य को आगे और बढ़ाने वाले हैं।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

इस समय हमारे यहां २६ कोल्ड स्टोरज हैं जिनमें से १९ तो कार्य रत हैं और ७ अभी पूरा करने हैं। वैसे इस साल के बजट में किसी कोल्ड स्टोरेज का प्राविधान नहीं किया गया है लेकिन एन० सी० डी० सी० वालों में बात हुई है, वे १० कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसे देंगे। १० ही नहीं अगर लोग ज्यादा भी कायम करना चाहें तो वे ज्यादा भी सहायता करने को तैयार हैं। वह सहायता इस तरह की होगी कि १० लाख रुपया एक कोल्ड स्टोरेज के लिये दिया जायेगा जिसमें साढे ७ लाख रुपया देंगे एन० सी० डी० सी० वाले, बकिया ढ़ाई लाख में आधा यानी सवा लाख सरकार का शेयर कैपिटल होगा और सवा लाख के स्थानीय व्यक्ति या जो सोसाइटीज हैं वे उनके सदस्य हो जाती हैं। यह तो आपके प्रदेश के लिये है लेकिन जो कुछ पिछड़े जिले हैं जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसमें यह यह साढ़े ७ लाख हुआ पूरे प्रोजेक्ट का ५ परसेंट लेकिन पिछड़े जिले को ८० प्रतिशत तक जरूर दिया जायगा यानी इसका मतलब यह है कि ८ लाख रुपया उनको मिलेगा और बकिया १ लाख रुपया गवर्नमेंट देगी और एक लाख वहां के स्थानीय व्यक्तियों या सोसाइटीज का शेयर कैपिटल होगा। इस तरह से यह प्रयास किया जायगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का जिनकी कि आज आवश्यकता है, निर्माण करा सकें जिससे काश्तकारों का फायदा हो सके। इस वक्त अधिक न कहते हुये, मैं समझता हूं कि जब मेरे माननीय सदस्य कुछ सुझाव देंगे और उनकी जो बातें सामने आवेंगी, तब मैं फिर निवेदन करने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस अनुदान को पारित करने की कृपा करेंगे।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सहकारिता का अनुदान जो प्रस्तुत किया गया है उसमें कटौती का प्रस्ताव करता हूं जो इस प्रकार है :—

"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—सरकार की नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना।"

मान्यवर, सरकार की नीतियों की आलोचना करने के साथ-साथ जो राजनीतिक भ्रष्टाचार या गबन की बातें आयी हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बड़ी बातें होती रही हैं और होती आयी है लेकिन उस भ्रष्टाचार की बात कभी भी नहीं आती जो पोलिटिकल इन्टारफियरेंस शुरू से होता रहा है। यह पोलिटीकल इंटरफियरेंस एक सेन्स में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं इस सम्बन्ध में एक मिसाल दे दूं। एक मिश्राजी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार गाजीपुर में थे और उनका वहां से तबादला किया गया शिकायत के बिना पर। उसके बाद जब हमारे मौजूदा सहकारिता मंत्री आये तो उनको वहां वापस कर दिया। शिकायत पर ट्रान्सफर हुआ और फिर वहीं पोस्ट किये गये। गाजीपुर की एक और मिसाल है। एक असिस्टेन्ट राजिस्ट्रर बैंक ने तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ लिखित नोटिस दिया कि तुम मैनेजर या डायरेक्टर नहीं रह सकते हो नये अधिनियम में क्योंकि उसके अनुसार तुम बकायादार हो। पोलीटिकल प्रसर पड़ा और उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को तो पुरस्कार देना चाहिय था कि बकायादार डायरेक्टर का मामला उठाया, उसको सजा दे दी गई और ट्रान्सफर कर दिया गया। ऐसे ही कैसेज और जिलों में भी हुये हैं, हमीरपुर में हुआ है, मिर्जापुर में हुआ है। मेरा निवेदन है कि पोलीटिक्ल इन्टरफीयरेन्स से भ्रष्टाचार जिले के लेविल पर बढ़ता है। वह नहीं होना चाहिये।

मैं निवेदन कर दूं कि सहकारिता जन आन्दोलन है, विभागीय आन्दोलन नहीं है, सरकारी नही हैं लेकिन मुझे देखने में मिला है कि यह आन्दोलन दिन व दिन सरकारी आन्दोलन होता जा रहा है और जन-आन्दोलन से हटता जाता है। मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि इस

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्ध में १०, ५ नियम हैं जिनके उदाहरण दे रहा हूं। समिति की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार करता है और अंत तक सारे अधिकार रजिस्ट्रार को ह। अगर रजिस्ट्रार साहब यह देखते हैं कि नियमों में संशोधन हो जाय तो अगर हम उसके लिये तैयार नहीं है तब भी रजिस्ट्रार साहब नियमों के अन्तर्गत इन्फोर्स कर देंगे। कानून में यह है कि सरकारी समितियों एटानामस बाडी हैं। अगर ऐसा होता तो रजिस्ट्रार साहब को इन्फोर्स का अधिकार नहीं होता। सचिव की नियुक्ति सोसाइटी करेगी लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रार साहब कानून के अन्तर्गत नियम बनायेंगे कि क्या उसकी तनख्वाह हो। जब समिति सचिव की नियुक्ति करेगी तो सूची रजिस्ट्रार साहब के पास जावेगी कि वह स्वीकार करें। अगर नहीं करें तो वापस कर सकते हैं। आगे आप देखें कि प्रजातंत्र प्रणाली का कितना हनन किया गया है नये अधिनियमों में। मैं तो मंत्रीजी से कहूंगा कि अगर वाकई वह समाजवाद के हामी हैं तो घोषणा करें कि इन नियमों को समाप्त कर देंगे। इनमें जो सचिव होगा उसको चैयरमैन या मंत्री जो इलेक्टेड बाडी है उनसे ज्यादा अधिकार हैं। अगर कोई आदेश मंत्री या चेयरमैन देगा और वह समझता है कि कानून के खिलाफ है तो वह उनका इम्प्लीमेन्टेशन रोक देगा। मैं पूछता चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री अपने सचिव को आदेश दें कि वह इम्प्लीमेन्ट न करे तो क्या वह प्रजातंत्रिक होगा। ट्रांसफर या पोस्टिंग तक की सेक्रेट्री को बिना मंत्री से पूछे करने की हिम्मत नहीं है। समितियों में यह है कि हम प्रस्ताव पास करें लेकिन उसको लागू नहीं कर सकते, सचिव रोक देगा। रजिस्ट्रार निर्णय देगा। समितियों के चुनाव के नियमों को आप देखें तो पायेंगे कि उसके अनुसार चुनाव समिति गठित होगी जिसमें रजिस्ट्रार साहब का एक नुमायन्दा बैठेगा। पता नहीं है कि उसका राजनीति से क्या सम्बन्ध है कि उनका भी नुमायन्दा रहेगा, एक जिलाधीश का भी प्रतिनिधि रहेगा तो यह अधिकारों का हनन है। जो पुस्तिका विभाग की ओर से छपी है उसमें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी। यहां से समितियों को निर्देश जाते हैं। प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रार साहब को समिति को निर्देश देने का कब अधिकार है और किन नियमों के अन्तर्गत देते हैं। लेकिन वह निर्देश दिया करते ह जिसकी पुष्टि मंत्री जी ने भी अपने बयान में की है। मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रर के अधिकार वैसे ही हैं जैसे कि किसी डिक्टेटर के, बल्कि डिक्टेकर से भी ज्यादा।

मैं श्रीमन्, के सम्मुख कुछ नियम रखना चाहता हूं। नियम १३० देखें। मैं सक्षेप में ही पढ़ूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नियम यह है कि यदि सहकारी समिति के सचिव की यह राय हो कि समिति की प्रबन्ध कमेटी अथवा सामान्य निकाय द्वारा पारित कोई संकल्प अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश समिति के उद्देश्यों के अन्तर्गत न आता हो, या अधिनियम, नियमों अथवा समिति के उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो और उस दशा में जब ऐसे संकल्प या आदेश को कार्यान्वित किये जाने से न रोका जाय, तो उक्त संकल्प को रद्द करने अथवा आदेश के निरसित करने का आदेश की धारा १२८ के अधीन निबंधक द्वारा दिया जाये, निष्फल हो जायगा। नीचे इसी म दिया है कि सचिव उसका इम्प्लीमेंटशन रोक देगा। श्रीमन, पहले भी सहकारी नियम था लेकिन पहले यह था कि अगर कोई सहकारी समिति कोई आदेश ऐक्ट के बाइलाज के या रूल्स के खिलाफ पास करती थी तो नियम ७४ और ७५ में अधिकार था कि रजिस्ट्रार निरस्त कर देता था लेकिन अब ऐसी पावर दी गयी कि वह उसका इम्प्लीमेंटेशन रोक दे और जिसकी गवर्नमेंट हो और वह पालिटिकल इंटरफीरेन्स करना चाहे तो वह समिति का सारा काम बन्द करवा दे। इस प्रदेश में ५५ सहकारी बैंक हैं। वहां लेनदेन होता है। उस पर विजर्व बैंक का एमेन्डमेंट ऐक्ट भी एप्लाई करता है। अगर सहकारी बैंक नियमों के खिलाफ कोई काम करता है, तो रिजर्व बैंक को अधिकार होगा कि वह नोटिस देकर कार्यवाही करे। श्रीमान्, करप्शन की बात भी आप सुन लें। उस ऐक्ट में यह भी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे बैंक्स की इंक्वारी करा सकती है और तब ऐक्शन ले सकती है। मगर नहीं। देखने में यह आया है कि अगर मंत्री जी के खिलाफ पार्टी का कोई आदमी है तो उसे निकलवा दिया जाय, उसको मेम्बरशिप से हटवा दिया जाय। नतीजा, श्रीमन्,

[श्री विश्वनाथ कपूर]

यह है कि इस मूवमेंट से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है और इसमें धीरें-धीरें सरकारीकरण बढ़ता जा रहा है। श्रीमन्, एक कांफरेन्स टोकियों में सन् १९६४ में "दि रोल आफ कोआपरेशन इन सोशल एन्ड इकनोमिक डेवलपमेंट' पर हुई थी जिसमें बीस बाइस देशों के लोगों ने भाग लिया। सरकार को निर्णय करना है कि हमें इस मूवमेंट को किस ओर ले जाना है सरकारीकरण की ओर या जन आन्दोलन की ओर। इसमें, से श्रीमन्, मैं कुछ आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

The use of co-operation as a method to increase agricultural productivity requires a fundamental grasp of the following matter:

1. Increasing productivity depends on two types of change; technical change and institutional change;

2. Technical change and institutional change are mutually dependent and interacting;

3. In the present structure of rural economies the M. M. trader is not only exploitative but more significantly he is obsolete (in the light of rural development policies);

4. Co-operative forms of enterprise in the fields of credit, marketing, production and consumption can be ideal methods of institutional change if certain pre-requisites are met;

5. It is up to the respective Governments to study their rural economic structures, to evaluate the extent to which requisite criteria are right and to support effectively co-operative projects so that they can play a key role in rising rural incomes by increasing productivity.

अब, मान्यवर, यह जो सहकारिता विभाग की पुस्तिका बटी है इसको देखने का कष्ट करें। इस पुस्तक में जो बातें लिखी गयी हैं वह सही नहीं है। इसके पृष्ठ २ पर लिखा है—"योजना में नियंत्रित ऋण वसूली के जरिये दिया गया अर्थात् ऋण की अदायगी क्रय-विक्रय समिति के माध्यम से होने लगी..." मैं अपने जिले की बता रहा हूं कि इसमें जो फीगर्स इसकी दी गयी हैं वह गलत हैं। क्रय-विक्रय समितियों ने कोई काम किया ही नहीं है। जिला फैजाबाद में करीब एक करोड़ रुपये का ऋण बटा है, लेकिन वहां उसकी कोई वसूली आदि का काम इन क्रय-विक्रय समितियों द्वारा नहीं किया गया। यह समितियां कोयला बेचती रहीं, सीमेंट बेचती रहीं, चीनी बेचती रहीं, लेकिन जो कार्य इनका था जिसके लिये यह बनायी गयीं थीं, वह कार्य इन समितियों ने नहीं किया। उनका कार्य था कि जो काश्तकार अपना गल्ला बेचें उसको यह समितियां इकट्ठी करें, उनको एडवान्स आदि दें, ताकि काश्तकारों का गल्ला मंडियों में जाकर सस्ते भाव से न बिक सके। मगर उस तरफ का कोई कार्य इन समितियों ने नहीं किया। इनका काम था कि किसानों को स्टोरेज की फेसिलिटी देना, ट्रान्सपोर्ट की फेसिलिटी देना, उनका गल्ला खरीदना, आदि यह कुछ काम उन्होंने नहीं किया।

मान्यवर, फैजाबाद में दो सहकारी समितियां हैं जिन्होंने एक परसेंट भी काम नहीं किया है। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर है जिसको ४-५ सौ रुपये वेतन हर माह मिलता है, दो इन्सपेक्टर हैं, अन्य स्टाफ है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह सब क्या काम करता है? मेरा ऐसा ख्याल है कि मंत्री जी ने स्वयं इस पुस्तिका को पढ़ा नहीं होगा वरना यह नहीं कहते कि इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं।

मान्यवर, इसी पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि प्रदेश में लगभग ५०-६० करोड़ ऋण वितरण हुआ जिसमें से १० परसेंट इन समितियों के द्वारा बांटा गया। यह १० परसेंट भी फर्जी

है, एक परसेंट भी इन समितियों ने कार्य नहीं किया है । कमीशन का जो काम दिया है उसको इसमें दिखा दिया गया है ।

हमारे यहां श्रीमन्, एक कोआपरेटिव फेडरेशन है । इसका अगर माननीय मंत्री जी आडिट करा दें या इस सदन के ४–५ माननीय सदस्यों की जो सहकारिता का अनुभव रखते हों एक कमेटी उसकी जांच करने के लिये बिठा दें तो उनको पता चलेगा कि वहां पर करोड़ों रुपये का गोलमाल है । अगर ठीक से देखा जाय तो पता चलेगा कि उसका दिवाला निकल चुका है । मंत्री जी कहेंगे कि वह तो काम कर रहा है । मैं कहता हूं कि वह देखें काम कैसे कर रहा है ? ८–१० करोड़ रुपया जो फाइनेन्स कारपोरेशन ने उसको गल्ला खरीदने के लिये दे दिया है उसी से वह अपना काम चला रहा है । कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां ४०–५० लाख रुपया खाद का बाकी न हो । और मैं चैलेंज करता हूं जितना भी रुपया है, घपले में है, भवन में है । जब पिछला बजट आया था तब भी मैंने यादव जी से इस संबंध में कहा था और १०-१५ सीड स्टोर्स का नाम लिया था कि इनमें जो पी० सी० एफ० के अन्तर्गत है गबन हैं । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है आजतक मंत्री जी ने उसकी जांच नहीं कराई है । और यही नहीं मेरा निश्चित मत है कि भ्रष्टाचार कहां से चलता है यह अधिकारियों की तरफ से भी चलता है । इन सीड स्टोर्स के इंचार्ज, सुपरवाइजर, अफसर १०–१०, १२–१२ साल से नौकर हैं । जो इतने लम्बे समय से नौकर होकर रहेगा, वह नौकर न रह कर वहां का लोकल आदमी हो जायगा और उसके निहित स्वार्थ वहां हो जायेंगे । वह मनमानी करने लगता है और निश्चित हो जाता है उस घपले का सबूत यह है कि पी० सी० एफ० जो खाद सप्लाई करता है, ८–१० साल से उसके हिसाब का रिकांसिलियेशन हुआ ही नहीं है । उसने करोड़ों रुपये की खाद सूबे भर में बांट रखी है लेकिन उसके हिसाब का मिलान ही नहीं हुआ है आज तक । होता यह भी है कि यहां से खाद जाती है, वैगन्स में गई तो वहां के इंस्पेक्टर्स यह लिख दिया करते हैं कि ५ परसेंट शार्ट है उसकी पी० सी० एफ० कोई जांच भी नहीं करता है कि वाकई में वह शार्ट है या नहीं । दो परसेंट होती है तो १० परसेंट दिखा दी जाती है । इस तरह से मिथ्या लिखकर जो खाद निकलती है, उसे वहां के अफसर बांट लेते हैं । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में यह बता देने की कृपा करें कि १० साल के अन्दर पी० सी० एफ० को इस तरह की शार्टेज कितने रुपये की हुई है । मैं समझता हूं कि यह धनराशि लाखों तक में पहुंच गई होगी ।

सरकारीकरण की जो बात मैं कह रहा था, उसके बारे में मुझे कहना यह है कि अधिनियम में यह है कि अगर राज्य सरकार का पैसा ६० प्रतिशत उसमें लगा है तो वह दो तिहाई–डाइरेक्टर और चेयरमैन को नामिनेट कर सकता है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे प्रदेश में उनके लिये कोई कोआप्रेटर ही नहीं था, जिसको वह नामिनेट कर देते । उनको इसके लिये एक नौजवान आई० सी० एस० अफसर मिला जिसको बना दिया गया है, उसको सहकारिता आन्दोलन के बारे में पूरी जानकारी तो दूर शायद नियमों का भी पूरा ज्ञान न हो । क्योंकि इसलिये मनोवृत्ति जो है हमारी सरकार की मैं सभी सरकारों की बात करता हूं कि वह सरकारीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं । इसलिये कि आई० सी० एस० होगा तो उससे मनमाने तरीके से काम लिया जा सकेगा, आपने आदमियों की नियुक्तियां कराई जा सकेंगीं । क्योंकि यदि गैर सरकारी आदमी होगा तो वह जरूरी नहीं कि इनकी उंगलियों पर नाचे । जहां इतना महत्वपूर्ण काम होता है, कोयला, खाद कोल्ड स्टोरेज है, वहां नौजवान आई० सी० एस० अधिकारी को, जिसकी मुश्किल से २–४ साल की नौकरी है, उसको चेयरमैन बना दिया गया है । एक पहलू यह रहा ।

सरकारीकरण के बारे में मैं जो कह रहा था, कंज्यूमर्स स्टोर्सके बारे में मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, यदि मेरे कथन को मंत्री जी असत्य साबित कर दें तो मैं उस पर विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं, कि जितने कोआपरेटिव स्टोर्स हैं, सबमें घाटा हुआ है और होता चला जा रहा है । इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् ६७ में मंत्री महोदय

[श्री विश्वनाथ कपूर]

ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इन नये बाजारों के बारे में—जो पांच नया बाजार लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली व देहरादून में खुले हैं कि इन पांचों में अब तक १२ लाख रुपये का घाटा हुआ है। जो कि सन् ६८—६ में बढ़कर १३ लाख रुपया हो गया। इस तरह से वहां पर कुल २५ लाख का घाटा हुआ है। उसके बाद जो कंज्यूमर्स स्टोर्स जिलों में हैं जिनकी संख्या ४८ है, उनमें भी घाटा ३०—३५ लाख के बीच में हैं। क्योंकि इनकी सारी जिम्मेदारी विभाग की है। इसके जितने सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर होते हैं वह विभाग के इंस्पेक्टर ग्रुप वन, टू या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार होंगे। गैर सरकारी नहीं होंगे। मैं यहीं पर मुकाबिला करूंगा, जिला सहकारी बैंक में पहले सेक्रेटरी का पद नहीं था। वहां पर चुना हुआ मैनेजिंग डाइरेक्टर हुआ करता था। अब नये अधिनियम में मैनेजिंग डाइरेक्टर को चेयरमैन बना दिया और मैनेजिंग डाइरेक्टर की जगह पर सेक्रेटरी कर दिया। इस अधिनियम के बनने के पूर्व क्या जिला सहकारी बैंक अपना कार्य कुशलतापूर्व नहीं कर रहे थे? जिला सहकारी बैंक १९५०—५३ तक सुपरसीडेड रहे। सुपरसेसस में रजिस्ट्रार का कंट्रोल होता है। जब १९६३ में सरकारी अधिकारियों ने रिपोर्ट दी तब १९६४ में रिजर्व बैंक ने कहा कि इसका कार्य इतना खराब है कि इसको लोन नहीं देंगे। यह सरकारी अधिकारियों की बात है। सारे कंज्यूमर्स स्टोर्स नुकसान पर हैं, फेल हो गये हैं, घाटे पर हैं। मंत्री जी जो घाटे की फीगर ५० लाख रुपये की है, वहां उसमें पचासों लाख रुपये का गड़बड़ है। जो वहां सेल्समैन होते हैं चाहे गल्ले की दूकान के हों, जनरल मरचेन्डाइज के हों या कपड़े की दुकान के हों जो माल वहां गायब कर देते हैं वह कंज्युमर्स वाले नही दिखाते कि वह गायब हो गया है। वह दिखाते हैं कि इतने रुपये सेल्समैन से वसूस करना है। यह फीगर पचासों लाख की है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो आया। आधा रोज है और लोग बोलेंगे। आधा घंटा ले सकते हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं कोशिश करूंगा। मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं, क्या कहूं, क्या न कहूं अभी तो शुरुआत की है, अभी बड़े-बड़े फेजज बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

अभी पांच सात मिनट बाकी हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

प्रदेश में ५५ जिला सहकारी बैंक हैं। उनमें ११ बैंक ए-क्लास के हैं। २०—२५ बी-क्लास के हैं और बाकी सी-क्लास के हैं। मेरा निश्चित चार्ज है डिपार्टमेंट के ऊपर कि डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की सी-क्लास के बैंक बी-क्लास और बी-क्लास के बैंक ए-क्लास के बैंक हो जाय। अगर डिपार्टमेंट चाहता तो उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करवाता, उनको सहायता देता तो वे आगे बढ़ते। लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई मतलब नहीं रखा।

हर ब्लाक में एक इंस्पेक्टर होता है। उसका डेजिगनेशन होता है सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)। वह डेढ़ सौ रुपये तनख्वाह पाता है। जो ग्रुप वन का इंस्पेक्टर होता है वह जिला सहकारी अधिकारी कहलाता है। जहां पर सब अधिकारी ही अधिकारी है वहां पर भगवान ही भला करेंगे, मनुष्य का वश नहीं है। यादव जी चाहे जितना प्रयत्न करें इस भ्रष्टाचार को, दुर्गति को दूर नहीं करते। इस पुस्तिका में लिखा गया है कि जौनपुर जिले में चूंकि मंत्री जी उस जिले से सम्बन्धित हैं, जिला सहकारी बैंक ने १२ हजार का लोन रिक्शा के लिये दे दिया, रिक्शा सहकारी समिति बन गयी। लेकिन विभाग ने यह नहीं लिखा कि जिस

बैंक ने ऋण दिया उसको रिजर्व बैंक ऋण नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी वर्किंग अच्छी नहीं है। मगर चूंकि मंत्री जी को खुश करने की बात थी लिहाजा इसने १२ हजार रुपया ऋण के रूप में रिक्शा सहकारी समिति को दे दिया।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह भी है कि जो सोसाइटियां बन गयी हैं उनमें अधिकांश सदस्यों को मालूम नहीं है कि वह क्या काम करेंगे ? प्रस्ताव कैसे आयेगा ? सारा प्रस्ताव फर्जी सुपरवाइजरों के जरिये से करवा लिया जाता है और इस प्रकार जो छोटी समितियां हैं वे बड़ी हो गयीं। इस प्रकार बकिया भी बढ़ गया और जो फरजी रिकवरी थी वह भी और बढ़ गयी। होता यह है कि एक गांव की एक समिति हो तो सरपंच सबक जानता है और वह सोच समझ कर ऋण दे सकता है और वसूल भी कर सकता है लेकिन जब वह समिति ४, ६ गांव की बनी तो कौन किसको पहचानेगा और उसमें सहयोग वह कहकारिता की भावना समाप्त हो जाती है। और बढ़ी समितियां बनीं और नौबत यहां तक आई २३, २४ गांवों की समिति बन गयी तो ३, ४ गांव के लोगों को ऋण बट जाता है और २०, २२ गांव के लोग नहीं पाते। अब यह सरकार कहती है कि वह समाजवादी है, गरीबों का हित करना चाहती है, गरीबी दूर करना चाहती है सहकारिता के माध्यम से लेकिन हो यह रहा है कि राजनैतिक दखल से बड़े काश्तकारों की मदद की जा रही है और छोटों की नहीं की जा रही है। इस पुस्तिका में लिखा हुआ है "छोटे जोत वाले कृषकों को उन्नतिशील कृषि साधनों एवं कार्यक्रमों को अपनाने के लिये अधिक से अधिक मात्रा में सहकारी ऋण उपलब्ध कराने के लिये गन्ने के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्र को छोड़ कर खरीफ तथा रबी दोनों फसलों के लिये उपलब्ध मान कर ऋण सीमा निर्धारित करने का प्राविधान है। कृषि उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये एक सदस्य को अल्प कालीन ऋण दिये जाने की अधिकतम धनराशि १५०० से बढ़ा कर ५००० रुपया कर दी गई है।" अब आप देखें कि किसी गरीब काश्तकार के पास २,३,४ एकड़ से अधिक जमीन नहीं होगी और उसको दो तीन सौ रुपये से ज्यादा नहीं मिल सकते। लेकिन आपने १५०० से बढ़ा कर ५ हजार रुपया की जोधनराशिऋणकीकर दी है तो इससे सहकारिता विभाग बड़े किसान की मदद नहीं कर रहा है तो क्या छोटे किसान की मदद कर रहा है ? इस प्रकार बड़े किसान की मदद की जा रही है और समाजवाद ला कर गरीबी को दूर करने की बात यह सरकार करती है। इसमें आगे और है जिसमें १५०० रुपये नकद तथा शेष वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इससे भी अधिक धनराशि जिला सहायक निबन्धक की संस्तुति पर वस्तु के रूप में दी जा सकती है।" जब अधिकतर काश्तकार सवा ६ एकड़ से कम जोत के ही प्रदेश में हैं यानी ८० प्रतिशत जोतें अनइकोनामिक हैं तो उनको १५०० रुपये की जरुरत भले ही हो लेकिन ५००० रूपये की जरुरत कदापि नहीं हो सकती। तो यह सहकारी आन्दोलन बड़े आदमियों के लिये है छोटे आदमियों के लिये नहीं है।

मैं सहकारिता मंत्री को एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि २२ अगस्त, ७० को एक सहकारिता अधिनियम असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था कि कानून तथा सारे नियमों का प्राविधान कर दिया गया लेकिन हुआ यह है कि प्रोपोजल्स तो छप गये लेकिन नियम नहीं बन सके प्राविधान के खिलाफ यह विभाग किस तरह से लड़ सकता है इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय के एक बयान की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो १९ जून ७० की कार्यवाही में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में दिया गया था। मान्यवर, यह १९ जून, १९७० की कार्यवाही में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा था कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली १९६९ जो पन्द्रह दिन के आपत्ति एवं सुझाव हेतु असाधारण गजट, दिनांक प्रकाशित हुआ था नियम के रूप में २२ अगस्त, १९६९ से लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस दिशा में क्या कार्यवाही की और कब उसे अंतिम रूप दे देगी ?"

[श्री विश्वनाथ कपूर]

इसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा--"जी हां, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ जो कि दिनांक २२ अगस्त, १९६९ के असाधारण गजट में आपत्ति और सुझाव हेतु प्रकाशित की गई थी उसमें से चुनाव सम्बन्धी नियम ४०२, ४१०, ४१६, ४१७, ४१८ और ४४४ को अंतिम रूप देकर दिनांक ५ दिसम्बर, १९६९ के असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। शेष नियम अभी शासन के विचाराधीन हैं।"

मान्यवर, मैंने फिर प्रश्न पूछा था--"क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६९ को यह नियम लागू किये गये थे। उसके बाद कुछ सहकारी बंधु भी इकट्ठे किये हुये थे और निबन्धक जी को भी बुलाया गया था। नियमों को संशोधित किया गया और निबन्धक ने उनको स्वीकृति भी दे दी। २२ अगस्त को राज्यपाल महोदय ने उनको प्रकाशित भी कर दिया और अब जब कि वह नियम एल० आर० के पास आ गये हैं, माननीय मंत्री जी को उनके अंतिम रूप देने में क्या कठिनाई है ?

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया था--"जी हां, ३१ दिसम्बर, १९६८ को यह नियम लागू किये गये थे उसके बाद जो असुविधा और दिक्कतें उन नियमों में मालूम हुई उनको देखते हुये उनमें संशोधन किया गया। यह भी सही है कि कुछ सहकारिता बंधु इकट्ठे हुये थे और उसी हिसाब से तैयार कर के गजट कर दिया गया सुझावों पर आपत्ति के लिये। चूंकि चुनाव चल रहे थे अतः उनसे संबंधित संशोधन स्वीकृत होकर ५ दिसम्बर को गजट कर दिये गये। बाद को जो बचे ८ दिसम्बर को मंत्रिपरिषद् ने उनके लिये एक सब कमेटी ने ११ जनवरी को कुछ परिवर्तन कर दिया। अब वह ला विभाग को भेजे गये हैं। वहां से आने पर अंतरिम दिया जायेगा।"

तो जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि ११ जनवरी, १९७० को वह ला डिपार्टमेंट को भेज दिये गये थे तब से आज ३० जुलाई, १९७१ हो गया है यानी एक डेढ़ वर्ष का समय हो चुका है किन्तु अभी तक ला-विभाग के जूं तक नहीं रेंगी। मैं पूछता हूं कि क्या अभी तक उसको मौका नहीं मिला ? मान्यवर, मेरा डेफिनिट चार्ज है सरकार के ऊपर कि सरकार सहकारी आन्दोलन के साथ सौतेली मां का व्यवहार कर रही है। वह नहीं चाहती कि यह आन्दोलन पनपे और इसलिये भी नहीं चाहती कि उसमें उसको कठिनाइयां हो सकती हैं

इसके अतिरिक्त मैं आपको फैजाबाद की एक दुग्ध योजना के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां पर उस योजना के लिये पिछले साल बजट में २० लाख रुपये का प्राविधान किया गया था और उसमें से साढ़े सत्रह लाख रुपया खर्च हो गया। इस साल (१९७०-७१) का बजट पास हो गया किन्तु अभी तक लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही ही शुरू नहीं हुई। उस फेडरेशन के सेक्रेटरी ने जब मांग की तो वहां के कलेक्टर ने कहा कि अभी तो जमीन ही एक्वायर नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर चलेगा तो मैं नहीं नहीं समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन कैसे बढ़ेगा ? मैं सहकारिता के सम्बन्ध में विदेशियों के बारे में भी बताना चाहता हूं कि जापान में सहकारी आन्दोलन का नया चरण शुरू हुआ है। वहां पर व्यापारीलोग मिलकर के कोआपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और वे इस प्रकार बनाते हैं कि जिस कारखाने में २० से अधिक और ३०० से कम लोग हैं तो वे अपनी एक सहकारी संस्था बना लेते हैं। उनमें वे कार्य का बंटवारा आपस में कर लेते हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक साइकिल ऐसोसियेशन बनाई हुई है जो कि साइकिलों का निर्माण करती है। उनमें आपस में काम का बंटवारा इस प्रकार होता है कि १६ आदमी डिस्ट्रिब्यूटर का काम करते हैं। ५/७ आदमी साइकिल का दूसरे पुर्जे बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है। कोई कुछ बनता है उसमें उन्होंने यह भी तय किया हुआ है कि वे १० प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं लेंगे। किन्तु इस देश के बारे में कोई पता नहीं है कि क्यों इसके बारे में

सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कृषकों के साथ सहकारी विभाग भेदभाव बरत रहा है और वह इस माने में कि जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं उनको रिजर्व बैंक ढाई या तीन प्रतिशत पर लोग देता है औरउसी रेट पर बुनकरों को भी देता है किन्तु रिजर्व बैंक एग्रिकल्चरिस्टस को जो कि इस देश में ८०प्रतिशत से भी अधिक हैं, कई फैसिलिटी या इसी रेट पर लोन नहीं देता है। यहां का किसान गरीब है, हरिजन है, मजदूर है उनको कोई सुविधा इस सहकारी विभाग द्वारा प्राप्य नहीं है।

इस विभाग का टैक्सेशन तब से शुरू हुआ है जबसे ये मंत्री इस विभाग में आये हैं। जिला सहकारी बैंकों को एक हजार रुपया आडिट की फीस देनी पड़ती है और वह फीस आज २० हजार, ४० हजार और ६० हजार तक पहुंच गई। अगर जिला सहकारी बैंकों से इतनी फीस आडिट की न ली जाती तो वह रुपया जिला सहकारी बैंक किसानों को दे सकते थे। पहले सुपरवाइजर्स को पे करने के लिये पी० सी० यू० ५० लाख रुपया दिया करता था। वह उन्होंने बन्द कर दिया। ठीक है। इसके पहले ३ वर्षों तक ४० फीसदी तक जो सुपरवाइजर्स थे उनको अनुदान दिया जाता था वह भी बंद हो गया। नतीजा यह हुआ कि जिले के हर सरकारी बैंक को लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च करना पड़ा। अब वसूलेंगे किस से? काश्तकार से। तो यह टैक्सेशन चला। यही नहीं बजट की विशेषता बता दूं कि टोटल बजट आया है २ करोड़ कुछ रुपये का लेखानुदान को छोड़कर। आज तो लेखानुदान को ले रहे हैं। उसमें सरकारी नौकरियों पर ही १ करोड़ ७० लाख खर्च हो जायगा जिसमें ए० डी० ओ०, इन्सपेक्टर ए० आर० वगैरह शामिल हैं। यह है हमारा सहकारी बजट जब-कि गत वर्षों में इतना रुपया महज सुपरवाइजरों पर देते थे। तो क्या उम्मीद कर रही है सरकार इस सहकारिता से? यही नहीं . .

श्री अध्यक्ष---

खत्म कीजिये, ३५ मिनट हो गये आपको। कोई सीमा तो होनी ही चाहिये।

श्री विश्वनाथ कपूर---

५ मिनट बस और दे दीजिए। आज तक ३० जून, १९७० की बात बता रहा हूं . . . .

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

बस यों ही टाइम पास कर रहे हैं, कुछ कहना नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

आपको क्यों परेशानी हो रही है। मैंने आपकी बस्ती की कोई बात नह कही है, फिर कठिनाई की क्या बात है? भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? गलत आदमियों को प्रोमोशन दिया जा रहा है। एक इन्सपेक्टर हैं उनको सहकारी निबन्धक गजटेड २ का आफि-सर बना दिया जबकि वह ग्रुप इन्सपेक्टर के पद पर भी कनफर्म नहीं हैं। अभी तक सीनिया-रिटी लिस्ट नहीं बन पाई है, पता ही नहीं कि कौन सीनियर है, कौन रिकवरी आफीसर है। पिछला बजट समाप्त हो गया, अभी तक नहीं बनी है। हमारा जुलाई से काम शुरू होता है, यह वर्ष भी समाप्त हो चुका।

रिकवरी आफिसर के अलावा दूसरी बात यह है कि इस डिपार्टमेन्ट में अब कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं, बनस्पति घी की फैक्ट्री लगी, चीनी मिल कायम हुई लेकिन कोई टैक्निकल सेक्शन नहीं है जो अनुसंधान कर सकें कि उनको फर्दर कैसे डेवलप किया जा सकता है। न चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई चीज दी गई है।

आखरी चीज यह है कि यह मानी हुई बात है कि सहकारी समितियों को चलाने के लिये कुशल प्रशासन की आवश्यकता है, कुशल लोगों की आवश्यकता है, मगर मेरा डिपार्ट-

[श्री विश्वनाथ कपूर]

मेंट के विरुद्ध चार्ज है कि डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया इस मामले में। हमारी निजी पूंजी कोआपरेटिव सेक्टर की ३०० करोड़ रुपये की है। जिस सेक्टर की पूंजी हो व्यवसाय वर्ष में करता हो उसका एक-दो परसेन्ट उसका ऐडवर्टाइजमेंट पर, उसकी पब्लिसिटी पर, काश्तकारों को शिक्षा दिलाने में खर्च न किया जाय तो कैसे काम चलेगा ? मंत्री जी चाहें तो जांच करा लें लेकिन आज गांवों में यह हालत है कि गैर-सरकारी जो सरपंच वगैरह हैं वह कुछ नहीं है, मालिक सुपरवाइजर है। वह स्वयं कार्यवाही लिखकर उससे हस्ताक्षर करा लेता है और खुद गड़बड़ियां करता है तो इस सम्बन्ध में विभाग कुछ सोचे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता था कि जो कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वह सीड स्टोर पर या प्राइमरी समितियों की लेबिल पर है। जो एकाउन्टेंट या सुपरवाइजर हैं वे ही जिम्मेदार हैं। गैर पढ़े-लिखे काश्तकार, सरपंच बना दिये जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, वह कार्यवाही करा लेते हैं। जब उनसे पैसा वसूलने जाता है तो उसका मालूम ही नहीं, इसकी चर्चा स्वयं मंत्री जी ने की है। तो आप सोचें कि इन सुपरवाइजरों और एकाउन्टेन्टों का क्या किया जाय। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर यह मामला ऐसे ही रह गया तो यह विभाग, यह आन्दोलन इस प्रदेश में नहीं रह जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का पुनः अनुमोदन करता हूं।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

मान्यवर, हमारे सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विश्वनाथ कपूर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। कपूर जी ने जो बातें कहीं हैं वह सुझाव मात्र हैं। जहां तक राजनैतिक भ्रष्टाचार की बात हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन १०–१२ सालों से मैं देख रहा हूं। यह विभाग जिस भी मंत्री के अधीन रहा है, उसके ऊपर यही आरोप इस सदन में लगाया गया है और इससे भी अधिक जोरदार शब्दों में लगाया गया है। क्योंकि सहकारिता आन्दोलन का सीधा सम्बन्ध जनप्रतिनिधियों से होता है। हर आदमी जो सामाजिक कार्य करता है वह सहकारिता का काम भी करता है और उसमें जो अच्छी या बुरी बातें होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि इन बातों को मंत्री जी ने किया।

श्रीमान् जी, अभी अधिनियम की बात कपूर साहब ने उठायी उसके संबंध में यह कहना है कि हम और कपूर साहब दोनों प्रधान गोष्टियों में शामिल रहे हैं और वहां तमाम बातें सुनी हैं। मोहन लाल गौतम से लेकर जो भी इस विभाग का मिनिस्टर रहा है। उसमें गौतम जी से भी कहा गया था कि आप यह जो अधिनियम बना रहे हैं·····

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री राजबहादुर चन्द—

मैंने यही बातें बाबू बनारसीदास से कही थीं और वह इस अधिनियम को इसी रूप में पास करने के लिये इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनी।

श्री राम कुमार—

माननीय सदस्य ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जो इस हाउस में मौजूद नहीं है। क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

किसी मंत्री ने कोई काम किया है उसका जिक्र तो कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर चन्द––

कुछ लोग यह समझते हैं कि हम ही सदा गद्दी पर बैठे रहेंगे इसलिये जितना भी अधिकार प्राप्त हो सके ठीक है। यही मनोवृत्ति रही है ।

हमारे जो वर्तमान मंत्री हैं उनके बारें में मैं इतना कह सकता हूं कि सहकारी आन्दोलन में जो कमियां थीं उनके बारे में हमारे मंत्री जी ने महसूस किया और इस सदन में भी और बाहर भी कहा और उनको दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है उसके लिये सारा सहकारी आन्दोलन उनके प्रति कृतज्ञ है ।

इस सदन में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रोज-रोज सुनते कान पक गये। इसके लिये उन्होंने तबसे पहले जो सहकारी ऋण व्यवस्था है उसमें ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया कि अब किसान को चैक द्वारा ऋण का भुगतान होगा। जिससे कि उसके पास पूरा रुपया पहुंच जाय। यह मामूली काम नहीं था। यह इतना मुश्किल कदम था कि इसके कारण सारा सहकारी आन्दोलन चूर-चूर होने की आशंका थी लेकिन इस कदम के उठाने से प्रदेश में सहकारी आन्दोलन सोने की तरह से खरा निकलेगा। उनके इस कदम की मैं बहुत सराहना करता हूं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने चेक सिस्टम को अपना कर जो साहसिक कदम उठाया है उससे हम बहुत प्रसन्न है। फोड़ा-पक रहा था, उसका आपरेशन आवश्यक था। जब कोई काम होता है उसमें जो खराबियां सामने आती हैं वह धीरे-धीरे दूर की जाती हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें सदन में उठाई जाती थीं।

यह कहा जाता था कि अमुक आदमी ने समिति का इतना रुपया गबन किया और उसकी इन्क्वायरी आज तक नहीं हुई। मैं अपने समय की बात कहता हूं कि १०–१०, १२–१२ साल से जो रपट थाने में की गयी थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोगों ने यह सोच लिया था कि जिस सुपरवाइजर के हलके में गबन हो उससे हाथ जोड़ कर कहें कि कम से कम पैसा दे दो, हम छोड़ देंगे क्योंकि पुलिस में जब मामला जाता है तो वह पैसा ले कर टाल जाते हैं, एक दरोगा दूसरे पर और दूसरा दरोगा तीसरे पर। इसके लिये पुलिस का जो एक दस्ता माननीय मंत्री जी ने कायम कराया है मैं आपके माध्यम से उनसे और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह दस्ता ऐसे चुने हुये पुलिस अफसरों का होना चाहिये जिनकी चरित्र पंजिका एकदम साफ हो क्योंकि गन्दे लोगों से हम यह काम नहीं ले सकते हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय यादव जी के जमाने में ही एक अभियान चलाया गया कि हर गांव में शत-प्रतिशत किसानों के कर्जे का वेरीफिकेशन हो। अफसर जायं और किसानों से पूछताछ करके उसका वेरीफिकेशन करें। कई जिलों की मुझे जानकारी है। ५–६ जिलों में यह अभियान चलाया गया। मैं अनुरोध करता हूं कि इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जाय और जितने लोगों ने ऋण लिया है उनका शत-प्रतिशत बेरीफिकेशन हो इससे यह मालूम हो जायगा कि कौन सा झूठा है और कौन सा सच्चा है।

इसी सम्बन्ध में मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार यह प्रश्न आता है और यह सुनाई देता है कि १०, २० आदमियों को एक साथ चैक देकर भुगतान कर दिया। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच करायें और सहकारी बैंक या जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाये तभी सहकारी आन्दोलन का भला हो सकता है। यह बात कही गई कि कुछ लोगों को सहकारी विभाग में एक दम भ्रष्टाचार दिखाई देता है। यह सही है कि वह रुपये का लेन देन करता है और अरबों रूपया इस प्रदेश का सहकारी आन्दोलन में बटा हुआ है। कहीं कहीं गड़बड़ी हुई लेकिन यह कह देना

[श्री राजबहादुर चन्द]

कि सारी गड़बड़ी है यह ठीक नहीं है। अगर सारी गड़बड़ी है तो ऋण समितियों को लेकर उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की जिस तरह से आमदमी बढ़ी है और जिस तरह से रुपया लगा है उसको आप देखें तो पता चलगा कि बड़ी तेजी से काम हुआ है कि बहुत रुपया बैंक में आता है। इस तरह से लांछन लगाना कि सहकारी आन्दोलन फर्जी है गलत है। यह ठीक नहीं है।

आज हमारे एक साथी ने कहा कि सहकारी मूवमेंट को खतम कर देना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि नाक पर मक्खी बैठ जाय तो क्या मक्खी को उड़ा देना चाहिये या नाक को ही काट देना चाहिये। सहकारी आन्दोलन है। एक यह मूवमेंट है। मैं आज से २० साल पहले की बात करता हूं। गांव में एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि गांव में ढढ़ियां आया है। यहां लखनऊ से कुछ बनिया जो अपना पैसा तराई में बांटते हैं वह खड़े-खड़े अपना पैसा वसूल करते हैं। चाहे जिस तरह से बरतन, खटिया बेच कर वह अपना पैसा ले लेते हैं। अब सहकारी आन्दोलन ने जो अपना पैसा बांटना शुरु किया तो उससे लोगों को राहत मिली। हमारे बस्ती जिले के केवल नौगढ़ ब्लाक में १, २ ढढ़िया रह गये हैं बाकी सारे के सारे खतम हो गये। वह ८० फीसदी सूद लेते थे। बहुत रुपया उनका बटा हुआ है। किसान मर रहे हैं। इस की जांच करके देखा जाय कि किस तरह से सहकारी आन्दोलन के जरिये उनको खतम किया जा सकता है। इसकी जानकारी करें। हमारे जिले का डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक इसके लिये २, १ लाख रुपया खर्च करने के लिये तैयार है। उन किसानों को उनके रुपये से मुक्ति दिलाई जाय। उनके बच्चे कई पुश्तों से मरे जा रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर लैण्ड डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ बातें कही गई। भूमि विकास बैंक से जो सिंचाई का कर्जा लोगों को दिया गया उसमें सिंचाई के पम्प में कुछ गड़बड़ी हुई। मैं इसके लिये दोष देना चाहता हूं उद्योग विभाग को जिसने ऐसे गलत पम्पिंग सेट को मान्यता दे दी कि जिसकी वजह से गलत पम्पिंग सेट वहां पर पहुंच गये। लाखों सेट लोगों ने चलाये लेकिन वे सब खराब हुये। मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। मैं जानता हूं कि २, ३ पम्पिंग सेट अच्छे किस्म के हैं। उनको ही मान्यता प्रदान की जाय और सहकारी आन्दोलन के द्वारा उन पम्पिंग सेट को ही बेचा जाय। बीच में जो लोग दलाल बनिया होते हैं उनको कमाने का अवसर नहीं होना चाहिये। किसानों को मौका नहीं देना चाहिये कि वे गलत जगह से उनको खरीदें। यह गलत हुआ है। दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि ऋण समितियों में हमारे यहां एक एकाउन्टेन्ट है। सर्विस कोआपरेटिव में वह काम करते हैं। उनके बारे में मेरा निवेदन यह है कि पूरे प्रदेश के चेयरमैन की एक समिति बैठी थी जिसने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। वह यह था कि इन सर्विस कोआपरेटिव के एकाउन्टेन्ट की पोस्ट को खतम किया जाय। मैं मंत्री जी को अगाह करना चाहता हूं कि यदि वह सहकारिता आन्दोलन में ऋण की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो आप सहकारी ऋण समितियों में जो यह एकाउन्टेन्ट की पोस्ट है उसे आप अबालिश कर दें वर्ना यह ऋण का मूवमेंट ही समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

फिर एकाउन्ट्स कौन लिखेगा ?

श्री राजबहादुर चन्द—

स्थानान्तरण के बारे में भी कहा जाता है कि जो भी मंत्री आता है वह अपने ढंग से स्थानानतरण करता है और यह किया गया और वह किया गया लेकिन कहते सब लोग हैं

पर करते सब उसी चीज को हैं। ऐसा इस बार तो नहीं किया मंत्री जी ने लेकिन ऐसा पहले बराबर होता रहा है। हर विभाग के अधिकारी स्थानान्तरित किये जाते हैं। इसी संबंध में यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के बारे में हमारे मित्र कपूर साहब ने कहा कि मंत्री जी को शायद गैर सरकारी आदमी नहीं मिलते और इसीलिये वह अफसरों को नियुक्त करते हैं। मेरी राय में तो मंत्री जी ने बहुत होशियारी का काम किया है। वह जिस को भी नियुक्त करते हर आदमी के लिये कहा जाता कि राजनैतिक दृष्टि से नामिनेशन किया गया है।

श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप कितना समय एक सदस्य को देंगे? यहां बहुत सदस्य बोलने वाले ह, आप समय निर्धारित कर दें तो अधिक सदस्यों को अवसर मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

सीमा दस मिनट किये देता हूं।

श्री राजबहादुर चन्द—

मुझे केवल एक बात और कहना है कि जो वसूली हो वह विभाग में ठीक से हो, फर्जी वसूली न हो और कागजात ठीक रखे जायं, बदले न जायं। यह उचित नहीं है कि जहां वसूल कम हो वहां के सब अधिकारियों के खिलाफ एडवर्स एन्ट्री कर दी जाय। हमें मालूम हुआ है कि फैजाबाद जिले में सारे अधिकारियों की चरित्र पुस्तिका में एडवर्स एन्ट्री कर दी गई क्योंकि वसूली कम हुई। लेकिन कारण तो यह था कि इस साल जल्द वर्षा होने के कारण गल्ला भीग जाने के कारण किसानों को रबी के गल्ले की कीमत वक्त से न मिल सकी और इसी कारण से वसूली कम हुई। इस तरह से अगर सबके खिलाफ एडवर्स एन्ट्री की जायग तो विभाग के अधिकारी सही काम न कर सकेंगे। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस की जांच करायें और ऐसी प्रविष्टियों को समाप्त करें।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि यह जो सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है उसमें गतिशीलता लाने की आवश्यकता है और क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये जो सुझाव आये उन पर अमल किया जाय। अगर महज यही कहा जायगा कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है तो इतने से काम नहीं चलेगा। इस समाजवाद के युग में सहकारिता द्वारा ही समाज वाद आगे बजढ़ेगा इस लिये माननीय सदस्यों के सुझावों को अमल में लाया जाय और यहां कही हुई बात पर ध्यान दिया जाय। मैं कहूंगा कि मंत्री जी इनको अवश्य ही अमली जामा पहनावें।

श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, यह जो सहकारिता विभाग का बजट पेश है उसके कटौती के प्रस्ताव पर मैं बोलना चाहता हूं। जैसा श्री राज बहादुर जी ने कहा कि आज तक जो भी मंत्री आया उसके ऊपर आरोप लगाये जाते रहे लेकिन समस्या यह है कि सहकारिता के प्रति हमारी और जनता की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति हटती जा रही है। उसका एक साफ उदाहरण है कि नेहरू जी के समय में सहकारी खेती का एक बड़ा नारा लगा लेकिन जनता ने उस को आज तक नहीं अपनाया और प्रदेश में सहकारी खती की प्रगति न हो सकी। इस आन्दोलन का उसी समय चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया था कि सहकारी आन्दोलन जनआन्दोलन हो सकता है, वह गरीबों के लिये होना चाहिये। कोई राजनैतिक विभाग या राज नैतिक बात

[श्री त्रिलोक चन्द]

उसमें नहीं आनी चाहिये । परन्तु यह जो सहकारिता का विभाग है वह एक राजनैतिक विभाग बन गया है और उसमें उन लोगों को आश्रय और शरण मिलती है जो चुनाव में जीत कर नहीं जाते हैं । वे ही लोग विभाग में हावी भी रहते हैं । यहां की चुनाव पद्धति बिल्कुल ही अलग है । यहां पर अलग ही ढंग से चुनाव होता है । इस विभाग में सुपर वाइजर, ए० डी० ओ० और ए० आर० जो चाहते हैं, वे ही कराते हैं और जैसा चाहते हैं कराते हैं, जन साधारण को को तो पता भी नहीं चर पाता है कि कब चुनाव हुए, कब नामांकन हो गया । जिलों में जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता और अगुआ कहलाते हैं, वे ही लोग हावी रहते हैं इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि वे इस चुनाव की प्रणाली को बदलने के आदेश दें ।

मैं सहकारिता विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे कोई सुधार करना चाहें तो जितने सुधार हो सकें, उतने करें । उनसे मैं एक बात अवश्य जानना चाहता हूं कि प्रान्तीय फेडरेशन का मामला था, उन्होंने उसमें ६० परसेन्ट की अंश पूंजी की बात कही और दो तिहाई सदस्य नामजद कर दिये । वे जनता के आदमी नहीं है बल्कि सरकार के आदमी हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस जन आन्दोलन को सरकारी आदमियों द्वारा वे कैसे सफल बनायेंगे । पी० सी० एफ० के बारे में १९ सितम्बर, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने आदेश दिया, उसके बाद फिर ३० अक्तूबर , १९७० को जो सरकार बदली उसने फिर उस आदेश को वापस ले लिया कि अंश पूंजी ६० परसेन्ट से ज्यादा नहीं है लेकिन जैसे ही मौजूदा मंत्री जी पदासीन हुए, उन्होंने फिर दो तिहाई का नामांकन कर दिया और मैं उमझता हूं कि यह अंश कूंजी की बात नहीं थी कोई और ही बात थी और वह बात माननीय मंत्री जी के मन में थी राजनीतिक बात, किसी तरीके से इन लोगों को, जो मौजूदा हैं हटाया जाय और इसमें अपने लोगों को रखा जाय । उन्होंने सरकारी आदमी रखे । ताकि बाद में अपने आदमी ला सकें । राजनीतिक बात इसलिये भी मालूम होती है कि जो प्रेसीडेन्ट थे, चेयरमैन थे पी० सी० एफ० के उनके डेलीगेशन समाप्त करने की बात थी, जिस मार्केटिंग से वे जेलीगेटेड थे, उन्हें भी अनियमितताओं के कारण भंग करा दिया जिससे उनकी यहां से समाप्ति हो जाय । ये बातें अवश्य करते हैं लेकिन यह राजनीतिक मामला है और राजनीतिक तरीके से ही इस विभाग को हैंडिल किया जा रहा, उसको चलाया जा रहा है । अगर माननीय मंत्री जी की समझ किन्हीं लोगों को किसी वर्ग के आदमियों का आधिक्य सहकारिता विभाग में था तो उन्हें ऐसा ही करना चाहिये था जैसा कि माननीय चरण सिंह जी ने किया था जब वे मुख्य मंत्री थे मंडी समितियों में प्रत्येक में २-२ आदमी अनुसूचित जाति के होंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर २ आदमी अनुसूचित जाति के नहीं होंगे तो मंडी समिति गठित नहीं मानी जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन हरिजनों और पिछड़े हुये लोगों के लिये उन्होंने क्या किया जिससे उनके प्रतिनिधित्व न इसमें आ सके ? इस तरह से आप समस्या का हल नहीं कर सकते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को इससे पहले भी और जो बात जरूरी थी उनमें देखना चाहिये था कि सरकारी नौकरियों की तरह जो कोआपरेटिव की नौकरियां हैं उनमें कितना परसेन्टेज शैड्यूल कास्ट और पिछड़े शैड्यूल कास्ट और पिछड़े हुये लोगों का है । क्योंकि जिनका रिजर्वेशन है उनकी सरकारी नौकरियों में ही क्यों, जब आप एक सरकारी विभाग की तरह इसको चला सकते हैं और सहकारी विभाग में डिप्टी मिस्टर और मिनिस्टर हैं तो नौकरियों में शैड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं लिया जाता ।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जसा मंत्री जी ने कहा कि जो छोटी जोत थीं उनके लिये ऋण कुछ ज्यादा बढ़ा दिया। जो छोटे किसान हैं उनको भी ऋण ज्यादा मिल जाय, शेयर जमा न हों, तब भी मिल जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो कि गरीब तबके के हैं जिनका कोई जरिया नहीं है उनके लिये आपने क्या किया। क्या वे अपनी भैंस के लिये या मुर्गीपालन के लिये या सुअर पालन के लिये कुछ ले सकेंगे। उनके लिये कोई प्राविधान है जिससे उनका उत्थान हो सके। मैं समझता हूं कि आपने ऐसा कोई प्राविधान इसमें नहीं दिया जिससे यह इंगित होता कि आप सहकारिता को जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं और गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे जो लाभ आज तक हुये वे बड़े किसानों को हुये। अगर ट्यूब वेल लगा, ऋण मिला तो उनको ही मिला। और इन्जन लगा तो उनको मिला और उसके अलावा किसी छोटे किसान को नहीं मिला। सुपरवाइजर कहता है छोटे किसान से कि तुम्हारी सैक्योरिटी क्या है। वह कहां से लायेगा। उसके पास न जमीन है, मकान है, किन्हीं के पास वे भी नहीं हैं। अगर आपको सहकारिता को जन आन्दोलन बनाना है और उसे जनता का बनाना है तो छोटे और गरीब लोगों के लिये इस विभाग को बनाना होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि जितने विभाग हैं उसमें यही विभाग है जिससे पिछड़े लोगों की मदद हो सकते हैं। उद्योग विभाग, उद्योगपतियों के लिये है। वे ही लोन लेकर इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। यही विभाग ऐसा है जिसके द्वारा गरीबों की सेवा हो सकती थी। पर नहीं।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, मैं आपको इसी पुस्तिका के आधार पर यह और बताना चाहता हूं कि लोगों की मनोवृत्ति किस तरीके से इस विभाग से हटती जा रही है। इस विभाग को अपना विभाग न मानकर ऐसा विभाग समझने लगे हैं जैसे यह कोई ऐसे लोगों का झुन्ड है या गिरोह है जिसमेंअपनी पूंजी ही समाप्त हो जायेगी। ५८–५९ में समितियों की संख्या २६३९० थी ६३–६४ में ४६२३१ थी। ६८–६९ में २७२०२ और ७०–७१ में २६५०० है। यह संख्या दिन प्रतिदिन घटी है। इससे महसूस होता है कि लोगों की भावनायें कोआपरेटिव से हट रही हैं। इसमें जनता की भावनायें नहीं हैं। इसे लोग समझते हैं।

दूसरी बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो सुपरवाइजर का पद है वह एक तरीके से पूरी सोसाइटी का धन वितरित करता धन इकट्ठा करता है, परन्तु मैं नहीं समझ पाता कि वह समिति का नौकर है, समिति उसे नियुक्त करती है परन्तु यह नहीं जानता कि उसपर ऊपर का कन्ट्रोल कैसे है। जब उसके ट्रान्सफर करने की बात आती है तो मंत्री लेविल से भी हो जाता है। समिति की बात नहीं पूछी जाती और मंत्री चाहे, डिप्टी मिनिस्टर चाहे या रजिस्ट्रार चाहे वे उसका ट्रान्सफर कर देते हैं। और उस सुपरवाइजर को इतना बड़ा आपने रुपये का ट्रांजेक्शन दे रखा है, उस पर आपका कुछ भी नियन्त्रण नहीं है। समिति के दस आदमी मिल जांय और सुपरवाइजर मिल जाय, जो कि आज हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि आपका कोई नियन्त्रण है। तो मंत्री जी ने जहां चक सिस्टम की बात कही, वह अच्छी है और उससे कुछ सुधार होगा, वहीं उन्हें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिये कि इन सुपरवाइजर्स को गवर्नमेन्ट सरवेन्ट घोषित कर देना चाहिये, जिससे कि उस पर नियन्त्रण हो सके, उसे इस बात का डर रहे कि उसकी एन्ट्री खराब हो जायगी, वह भी सरकारी नौकर है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। आज तो जैसे एक डिक्टेटर होता है उसी तरह से वह सोसाइटी का काम करता है।

*श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस परम भ्रष्टाचारी मुहकमें के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री निर्भय नारायण सिंह]

मालिक होते हुये, दस-बीस वर्ष से जो कीचड़ इस विभाग पर लगी हुई है उसको धोने का बहुत साहसपूर्ण प्रयत्न वह कर रहे हैं।

मान्यवर, इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर मैं माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, सदन की उपस्थिति से यह स्पष्ट है कि केवल जनता ही नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि भी इस विभाग में उदासीन से हो चले हैं। भ्रष्टाचार इतनी मजबूती से बैठा हुआ है कि आशा की किरण नहीं दिखायी पड़ रही है और हम उदासीन हो चुके हैं और स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि यदि हम ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर अधिकांश ४२० व्यक्तियों की सूची देखना चाहें तो कोआपरेटिव विभाग की सूची देख लें। इस विकट स्थिति में जिस उत्साह और दृढ़ता के साथ हमारे सहकारिता मंत्री जी कार्य कर रहे हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

श्रीमन्, हमारा दुर्भाग्य रहा है कि आज तक यह विभाग ऐसे मंत्रियों के हाथ में रहा है जो हमारे प्रदेश के नामी कलाकार समझाते रहे हैं। हमें इसकी कुछ कमी प्रतीत होती है कि हमारे मंत्री जी कलाकार होते तो कलाकार की तरह इसको साफ कर देते, लेकिन वह ईमानदार और सीधे आदमी हैं। जो इसमें लालफीताशाही है और जो नौकरशाही है वह हमारी प्रगति को बहुत मन्द गति से आगे बढ़ने दे रही है। उदाहरण स्वरूप बाई-लाज में तो बहुत ही उदारवादी और प्रगतिवादी तथ्यों का उल्लेख रहेगा और लिखा रहेगा कि कोई भी डायरेक्टर एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा नहीं चुना जायगा। उसका टर्म दूसरी बार से तीसरी बार नहीं बढ़ाया जायगा। लेकिन होता क्या है? जब तक दूसरी मर्तबा चुनाव होता है तब तक वह बाई-लाज बदल जाते हैं और नये आ जाते हैं, ताकि उस आदमी को अवसर मिल जाय। जिला फेंडरेशन और जिला बैंक से लेकर प्रान्तीय बैंक और प्रान्तीय फैडरेशन तक वही दो बटा तीन आदमी दस-पन्द्रह साल से होते आये हैं। आज हालत यह है कि सहकारिता के नाम पर लोग पनप रहे हैं। हमने कल्पना की थी कि ग्रामीण ऋण को हम साहूकार के हाथ से छीन कर जनता के हाथ में सौंप देंगे। वह कल्पना निरर्थक साबित हुयी है। यह विभाग कहां तक सफल या असफल हुआ है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पन्द्रह साल से मैं सहकारी संस्था का सदस्य हूं। ५ साल तक तो हमें यही पता नहीं था कि उसमें क्या हो रहा है। पिछले १० साल की हालत यह है कि मुझे कुछ पता नहीं कब उस संस्था की मीटिंग हुयी और कब चुनाव हुये। मुझे तो यह डर लगा रहता है कि कहीं मेरे ऊपर इल्जाम न लग जाये, क्योंकि वह समिति मेरे जिले की है। हमारे जिले में एक नयी बात यह है कि काश्तकार को कुछ पता नहीं कि उसने कब कर्ज लिया। उसके फर्जी दस्तखत बना कर रुपया ले लिया जाता है। हम विधायक हैं और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है। मैं तो वैसे भी सरकारी पक्ष में हूं, मगर स्थिति है खराब। मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे लाल फीतेशाही को खत्म करके झठमूठ की बनी हुयी सहकारी समितियों का पता लगायें और इस दिशा में आवश्यक प्रयास करें। सहकारी समितियों में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिये आपको क्रान्तिकारी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे जिले में क्या, सहकारिता की हालत तो सारे प्रान्त में ही ऐसी है।

हमारी जिले की सहकारी फेडरेशन भ्रष्टाचार की एक अड्डा बनी हुयी है। यदि आप पिछले ५-७ साल के रिकार्ड को देखेंगे तो आपको वहां पर एक से बढ़कर एक तमाशा देखने को मिलेगा। फेडरेशन की तरफ से एक कपड़े की दुकान चल रही थी। उस दुकान में अनेक गड़बड़ियां थीं। वहां के डायरेक्टर इत्यादि के खिलाफ कम्प्लेन्ट की गयी। इनक्वायरी करने वाले शाम को पहुंचे और यह पता लगा कि कल से इन्क्वायरी होगी। इनक्वायरी हो भी न पायी कि रात में दुकान के स्टोर में आग लग गयी और उसमें बढ़िया-बढ़िया साड़ियां जली बतायी गयीं। अगस्त का महीना था, बारिश हो रही थी और टेम्परेचर काफी कम आ गया था, फिर भी दुकान में आग लग गयी और अच्छी-अच्छी साड़ियां जल गयीं।

फेडरेशन की दुकान में मिट्टी का तेल था। उस तेल को ब्लैक में बेच दिया गया। कमप्लेन्ट हुयी और इनक्वायरी गयी, मगर दिखा दिया गया कि तेल के पीपे खुले थे और सब तेल बह गया।

श्रीमन्, अब मैं भट्ठों पर आता हूं। ३ साल हुये यू० पी० में सूखा पड़ा था और वर्षा कम हुयी थी। ईंटों का काफी स्टाक इस फेडरेशन के पास था। बारिश दिखा कर लाखों रुपये की ईंटें बह गयी दिखा दी गयीं। भ्रष्टाचार की हालत यहां तक पहुंच गयी कि फेडरेशन दिवालिया हो गयी और उसके भट्ठ बन्द करने पड़े।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान कोआपरेटिव बैंक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आडिट रिपोर्टस को देखने से मालूम होता है कि लाखों रुपये का गबन है। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की टीम आयी और उसने लिखा कि संचालक मण्डल ने तमाम रुपया खा लिया है और इस कारण रिजर्व बैंक ने ऋण देना बन्द कर दिया। पालिटिकल प्रेशर पड़ा। कहा जाने लगा कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक तो हमारे जिला सहकारी बैंक को ऋण दे रहा है और हमारा बैंक "सी" क्लास का बैंक है। बराबर कमप्लेन्ट करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुयी। कम्प्लेन्ट पर ७ विधायकों तथा एक एम० एल० सी० के भी दस्तखत थे, मगर आज तक कोई जांच नहीं हुयी।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और। अब मैं लखनऊ में जो सहकारिता विभाग की हालत है उस पर आ रहा हूं। बराबर चार्ज लगाया जा रहा है कि हमारे मन्त्रि मण्डल में जातिवाद का बोलबाला है। मुझे तो पता नहीं क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ा चार्ज है। यहां के भूमि प्रबन्धक बैंक में खुल्लम खुल्ला जातिवाद के आधार पर काम किया जा रहा है। वहां केवल जातिवाद से काम हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति १४ हजार वोटों से हारा, सर्व सम्मति से उसका मैनेजिंग डाइरेक्टर बना हुआ है। जो डाइरेक्टर मंडल है उसमें हमारे दल (इंडिकेट) का बहुमत है लेकिन जातिवाद का प्रभाव है कि सिंडिकेट का वह आदमी सर्व सम्मति से वहां का मैनेजिंग डाइरेक्टर चुना गया है। हालांकि ६०० आदमियों को नौकरियां देनी हैं, बैंक का एक्सटेशन हो रहा है और यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे प्रदेश में इम्पालयमेंट की कैसी बुरी स्थिति है कि कोई एम० एल० ए० १०० रुपये की नौकरी भी किसी को नहीं दिला सकता है लेकिन उन ६०० में से केवल हमारे बलिया जिले के लिये ही २०० नौकरियां रिजर्व कर दी गयी हैं। गांवों में किसानों को एग्रीकल्चरल लोन वगैरह बैंक के द्वारा दिया जायेगा। उन २०० नौकरियों में १२५ नौकरियां केवल हमारे क्षेत्र के लिये रिजर्व रखी गयी हैं ताकि अगला एलेक्शन जब हो तो वे उनके काम आ सकें और उनकी मदद कर सकें। नौकरी के लिये जो परीक्षा हुई थी उसकी कापियां तक नहीं जांची गयी हैं, और गुटबाजी के आधार पर केवल एक गुटके लोगों को इतनी संख्या में वहां रखा जा रहा है। जब कोई नौकरी के लिये जाता है तो कहा जाता है कि नौकरी के लिये यहां क्यों आते हो, इन्दिरा जी के पास जाओ, वे ही नौकरी देंगी। इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता मंत्री से अपील करता हूं कि वे दृढ़ता और साहस के साथ इस सहकारिता आन्दोलन में एकरूपता लावें और कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसमें जो जाल बट्टा चल रहा है वह खतम हो और इसका लाभ सभी किसानों को मिल सके।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नाथ कपूर ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश बहुत ही गरीब प्रदेश है। यहां के ८० प्रतिशत लोग खेतिहर हैं। आज हमारे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। छोटे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंग बहादुर यादव]

किस्म के जो किसान हैं उनको न तो अच्छा बीज मिल पाता है और न उनके पास खेती के अन्य साधन हैं। सहकारिता आन्दोलन जब चलाया गया था तो यह सोचा गया था कि इससे गरीब किसानों को राहत मिल सकेगी लेकिन आज हमारे प्रदेश में इन किसानों की लूट चल रही है।

(इस समय ३ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जो मिडिल क्लास के लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं, जो सूदखोर हैं और जिनके चंगुल में किसान फंसे हुये हैं, सोचा गया था कि इनसे किसानों को मुक्ति मिलेगी। तथा किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। साथ ही सहकारिता आन्दोलन जब जोर पकड़ेगा तो हमारे प्रदेश में क्रय-विक्रय समितियां बनेंगीं जिनके माध्यम से किसान अपनी पैदा की हुई चीजों की खरीद फरोख्त कर सकेगा और अपने अनाज को सहकारिता भंडारों में रख सकेगा। यदि किसी के पास खेती से सम्बन्धित यंत्र न होंगे तो वह दिया जायेगा, जिनके पास बैल नहीं होगा उनको उसे खरीदने के लिये कर्जा दिया जायेगा और इस प्रकार किसान की आवश्यकता की तमाम चीजें उसके माध्यम से दी जायेंगी। लेकिन देखा जाय तो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयीं, चौथी पंचवर्षीय योजना चल भी रही है। पिछली तीन योजनाओं में इस विभाग पर काफी धन व्यय किया गया है लेकिन जिस प्रकार से धन व्यय किया गया उस प्रकार से इसमें कोई प्रगति नहीं हो पायी क्योंकि यह आन्दोलन साधारण किसानों का आन्दोलन नहीं हो पाया। इसको जो जन आन्दोलन का रूप लेना चाहिये था वह नहीं ले पाया।

हमारे मंत्री की तरफ से सहकारिता आन्दोलन के लिये काफी प्रयास किया गया है लेकिन उसके अन्दर मुझे कई त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। यदि इस सहकारिता आन्दोलन का सही रूप में प्रसार हो तो इस प्रदेश को बड़ा लाभ मिल सकता है। जो कुछ त्रुटियां मुझे दिखलाई पड़ी हैं उनको आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं ताकि उन पर विचार करके वे उनको दूर करने का प्रयास कर सकें। पहली चीज जो कर्ज देने का आपने काम अपनाया है उससे सोचा गया था कि छोटे किसानों को लाभ पहुंचेगा लेकिन स्थिति यह है कि जो रुपया रिवजर्व बैंक से २ प्रतिशत सूद पर लिया जाता है वह प्रारम्भिक समितियों में जब पहुंचता है तो किसान से ९ प्रतिशत सूद लिया जाता है। तो मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को कम व्याज पर रुपया मिल सके। दूसरी चीज मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अबतक किसान जो कर्जा लेते हैं उनको महीनों दौड़ना पड़ता था और ५ या १० प्रतिशत रुपया सुपरवाइजरी स्टाफ खा जाता था। उन्होंने इस पर ध्यान दिया और चेक पद्धति रखी। इससे लाभ हुआ लेकिन आज भी जब तक किसान पैसा न दे उसको चेक नहीं मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पद्धति के अन्दर उन्होंने परिचय पत्र की बात रखी है। मैं दूसरे की बात नहीं करता लेकिन मेरे जिले में ढाई रुपया परिचय पत्र के लिये लिया जाता है जबकि ८ आने में फोटो तयार होती है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको बन्द किया जाय। इस पैसे को मैनेजिंग डायरेक्टर वसूल कर रहे हैं।

एक चीज मंत्रीजी ने अपने भाषण में बतलाई कि उन्होंने रिक्शा चालकों के लिये भी जौनपुर जिले में व्यवस्था की है कि वह रिक्शा के लिये रुपया ले सकें। रिक्शा चालक सहकारी समिति बना ले और उसको रुपया मिल सकता है जिससे वह रिक्शा खरीद सके। जब वह रुपया पैदा करके कर्ज अदा कर देगा तो वह रिक्शा उसका हो जावेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं और रिक्शेवालों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जैसे कोयला खरीदने और बिक्री करने की बात है और उनकी ओर से सहकारी भट्ठे चलाये जाते हैं। सहकारी भट्ठों में अधिकतर ठेकेदार लोग काम करते हैं जिनके कि अपने भट्टे होते हैं। तो जब कोयले की शार्टेज होती है तब वह ठेकेदार अपने निजी भट्टों में कोयला इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिये सहकारी भट्टे घाटे

में रहते हैं लेकिन जिनके अन्तर्गत वह भट्ठे चलाये जाते हैं वह मालामाल हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ठेकेदारी करने वाले जिनके कि निजी उद्योग हैं सहकारी भट्ठों में न लिये जायं और उनको रोकने का प्रयास किया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बुनकरों की समितियां बनाई हैं जैसी कि आजमगढ़ वगैरह में हैं। इन समितियों के जरिये बुनकरों को सूत दिया जाता है लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सी समितियों में यह काम नहीं हो रहा है और वह सूत ब्लैक में बेच देती हैं। तो ऐसी समितियों को समाप्त करने की कोशिश करें। इसी प्रकार जब सहकारिता का कानून बना तो सोचा गयाकि छोटे-छोटे काश्तकार सहकारी खेती करेंगे, उनको बीज मिलेगा, नये यंत्र मिलेंगे और खाद मिलेगी। लेकिन इसका परिणाम दूसरा ही हुआ। जो बड़े-बड़े काश्तकार थे, जिनकी खेती में कोई रुचि नहीं थी, जो देहात छोड़कर शहरों में रहना पसंद करते थे, जिनके पास फालतू जमीन थी उन्होंने दो चार छोटे काश्तकारों को मिलाकर सहकारी खेती की। सरकार से पैसा लिया और उसका लाभ उठाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस को इस तरह से चलायें कि छोटे-छोटे काश्तकारों को लाभ मिले। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बीज भंडार हैं वहां से किसानों को ऐसे बीज दिये जातेहैंजो उगते नहीं, सड़े और भीगे बीज होते हैं। इसलिये किसान कभी-कभी वहां से बीज लेना पसन्द नहीं करता और बाजार से खरीदता है। इसके साथ ही किसान को अगर गेहूं का बीज चाहिए तो उसको गेंहू के बीज के साथ सनही या मक्का का बीज भी दिया जाता है जिसकी उसको जरूरत नहीं होती। मेरा निवेदन है कि वही बीज दिया जाय जिसकी किसान को जरूरत हो और अच्छा बीज दिया जाय।

एक बात सुपरवाइजर की बाबत कहनी है। सहकारी बैंक का चुनाव होता है। उसमें सुपरवाइजर जो एक तरह से सरकारी कर्मचारी है सक्रिय भाग लेता है। प्रारम्भिक समितियों का चुनाव उन्हीं के माध्यम से होता है। हमारे यहां पिछली बार चुनाव हुआ। उसमें डेढ़ हजार की मिठाई आई और वोटरों को लाने के लिये गाड़ियों का प्रबन्ध किया गया। इसतरह से चुनाव का रूप ही बदल जाता है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन कर्मचारियों को चुनाव से अलग रखा जाय और उनपर रोक लगायी जाय कि वह चुनाव में सक्रिय भाग न ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, बेलनगंज में एक सोसाइटी है। पिछली दफा रिपोर्ट आयी की छीजन से ६० हजार का घाटा गेंहू में हुआ। मेवे खरीदे जिसमें की लग गये और ३० हजार का घाटा हुआ। वह सोसाइटी समाप्त जैसी हो गयी है। केवल उसमें थोड़ा सा कपड़ा रह गया है। माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हमारे यहां जो जिला सहकारी बैंक हैं उसमें कई लाख का गबन हुआ था जिसकी रिपोर्ट सन् ५४ में हुई थीलेकिनआज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और जिसके जिम्मे बाकी है उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। इसलिए ऐसे गबन के केसे को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करें। हमारे जौनपुर जिले में मछलीशहर तहसील में ढाई लाख रुपये का गबन है। समाचारपत्रों में भी यह छपा था। हमारे यहां जो प्रबन्धक हैं वह एक अध्यापक थे। कई वर्षों वह प्रबन्धक रहे। कुछ ही वर्षों में उनके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति हो गयी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच करवायें। कुछ विभागीय कर्मचारियों ने अनियमित रूप से काफी पैसा इकट्ठा कर लिया तो इसकी भी जांच करायी जाय कि उनके पास कहां से इतना धन आया। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष जी, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई)

श्री विश्वनाथ कपूर--

सरकार की तरफ से जब कोई अनुदान आये और उस पर चर्चा हो रही हो तो सरकारकी जिम्मेदारी है कि कोरम बनाये रखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐतराज सरकारी पक्ष की ओर से ही है । विरोध पक्ष इस समय अधिक है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी) ।

*श्री कन्हैया लाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही उनको बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने विभाग की तमाम गलतियों को समझने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है । किसान को रुपये के लेन देन में जो परेशानी होती थी, जब से माननीय मंत्री जी ने चैक प्रणाली को लागू किया है, वह दूर हो गयी है और इसमें जो भष्टाचार होता था वह भी बहुत हदतक दूर हो गया है। सुपरवाइजर से लेकर बैंक तक, इधर सरपंच और लेखपाल आदि तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो किसान को परेशान करते थे और उससे घूस लेते थे, आज वह बहुत कम हो गया है और जहां पर यह चैक प्रणाली की गयी है वहां पर वह समाप्त हो गया है । साथ ही जो और कमियां हैं उनकी ओर भी माननीय सहकारिता मंत्री का ध्यान है और वे दूर करने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं ।

अब मैं दो तीन कमियों की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । मैं पहले भ्रष्टाचार के संबंध में कहूंगा । हमें देखना चाहिये कि यह कैसे शुरू हुआ ? पहले यानी २०-२५ वर्ष पूर्व जो छोटी-छोटी समितियां थीं, वे ४-५ हजार का लेन देन करती थीं । २०-२५ सदस्य होते थे और वे जगह बैठ कर लोगों को रुपया देते थे और लेते थे । वे किसानों की व्यक्तिगत हैसियत से भी परिचित होते थे । अतः उस समय न कोई भ्रष्टाचार था, न कोई परेशानी थी । किन्तु जैसे-जैसे इन समितियों का रूप विस्तृत होता गया २०-२०, ४०-४० ग्रामों की एक-एक सोसाइटी बनने लगी, लेन देन की सीमा बढ़ गयी, तैसे-तैसे इनमें भ्रष्टाचार व्याप्त होता गया । आज हालत यह है कि एक-एक सोसाइटी का कार्यक्षेत्र ५० मील तक का हो गया है । अब एक गांव का रहने वाला सदस्य किसी व्यक्ति के बारे में जो २० मील दूर रहता है कैसे जान सकता है, कैसे उसकी व्यक्तिगत हैसियत का पता रख सकता है । उसको तो सुपरवाइजर तथा अन्य कर्मचारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा । सरपंच की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा । इस कारण इन लोगों को पैसा कमाने का अवसर मिल गया । आज ट्रान्सफर एन्ट्री करके, गलत एन्ट्री करके, २०० की जगह २ हजार करके, तथा अन्ध तरीकों से काफी पैसा यह लोग कमा रहे हैं और किसान परेशान हो रहा है । लाखों रुपये का घपला आज देखने में आ रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन लम्बी समितियों को खत्म करके इनकी जगह छोटी समितियां बनाई जांय । समितियां जो बनें, वे सीमित कार्यक्षेत्र की बनें, छोटी-छोट बनें, उनका कार्य क्षेत्र छोटा हो । यह कार्य क्षेत्र इनका जितना छोटा होगा, उसमें भ्रष्टाचार की उतनी कम गुंजाइश होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी बड़ी सोसाइटियां हैं, ये आपके सहकारिता आन्दोलन तथा समाजवाद की प्रतीक हैं, उनके रीढ़ की हड्डी हैं, समाजवाद के लिए हमको गरीब आदमी को ऊपर उठाना होगा। लेकिन होता यह है, होता यह रहा है कि जितना छोटा तबका है वह ज्यादा पिस रहा है। गांव में जितने बड़े मगर हैं वे मोटे होते जा रहे हैं और छोटे लोगों को पीसते जा रहे हैं, उनको खाते जा रहे हैं। छोटा आदमी दबता है, दबता चला जा रहा है, उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। जिसने रुपया नहीं लिया है, उसके नाम रुपया लिख दिया जाता है। २-४ साल बाद जब उनका आर्बिट्रेशन होता है, उसकी कुर्की होती है तो उसको मालूम होता है कि वह सोसाइटी का मेम्बर भी बन गया और उसके नाम कर्ज भी चढ़ गया है। इसलिए आवश्यक है कि सोसाइटीज की कैटेगरी---श्रेणी की जाएं। छोटे आदमी की सोसाइटियां अलग हों और बड़े आदमियों की अलग हों। इससे भ्रटाचार कम से कम होगा। जब छोटे आदमियों की अलग होगी तो वे परस्पर बेईमानी नहीं करेंगे और करेंगे तो सौ-पचास रुपये की ही करेंगे। बड़े आदमियों की जो होंगी उसमें हजारों रुपये के बेईमानी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन वह एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे, क्योंकि एक दूसरे को समझते और हैसियत जानने वाले होंगे, इसलिए वहां भी भ्रष्टाचार में कमी हो जायगी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यदि किसी प्रकार से यह प्रेक्टिकल हो तो दो प्रकार की सोसाइटियां रखें---छोटे किसानों की और बड़े किसानों की, छोटी हैसियत वालों की और बड़ी हैसियत वालों की।

एक बात और मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी की सेवा में कि सोसाइटी मैनेजर हैं और ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) होते हैं। वसूली की सारी जिम्मेदारी ए० डी० ओ० (कोआपरेटिव) के ऊपर है, क्योंकि वह इंचार्ज होता है। उसके अंडर में दो-चार लार्ज सोसाइटियां भी होती है। ए० डी० ओ० रुपया वसूलने की जिम्मेदारी रखता है, वह साहूकार एक प्रकार से होता है। लेकिन नियमों में जो हैं, वही ए०डी०ओ० (कोआपरेटिव) आर्बिट्रेशन का काम, अदालत का भी काम करता है। वही आदमी रुपया वसूल करने वाला हो, और वही आदमी अदालत तो यह चीज चलने वाली नहीं है। इसलिए यह तय करना चाहिए कि आर्बिट्रेशन के लिये, फैसला करने के लिए आपकी अलग से कोई मशीनरी हो जो इसको सुने। यह ऐक्ट में प्रविधान था, पता नहीं वह चालू है या नहीं, यदि चालू है तो कितना चालू है? इस चीज को आवश्य लागू करें जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिले।

सुपरवाइजर्स की जो सर्विस है उसको सरकार सरकारी करने की कृपा करे। उनकी स्थिति आज यह है कि आज वे राष्ट्रपति के समान हो रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति को कोई बरखास्त नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से सुपरवाइजर को न तो ए० आर०, न मैनेजिंग डाइरेक्टर, न सेक्रेटरी कोई भी अलग नहीं कर सकता है। उसकी सेवाएं यदि सरकारी हो जायेंगी तो उसपर डिपार्टमेंट का कन्ट्रोल होगा। इसलिए उनकी सेवाओं का सरकारीकरण करना बहुत आवश्यक है।

यहां पर हरिजनों की सेवाओं का भी अभाव है। १८ प्रतिशत का कोटा विभाग में सब जगह, सुपरवाइजर्स, कामदार, डी० सी० डी० एफ० में, मिल्क यूनियन में सभी जगह पूरा होना चाहिए। मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रतिशत को अवश्य देखें और जब तक सहकारिता में १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन पूरा न हो जाय तब तक इसको कम्पलसरी रखा जाय और दूसरे लोग भरती न किये जायं। सहकारिता में भरती से हरिजनों की स्थिति सुधरेगी और इसे दूसरे विभाग नहीं सुधार सकते।

सहकारिता में हाउसिंग सोसाइटीज के जरिये भी अच्छी-अच्छी कालोनीज बसाई गयी हैं लेकिन हम देखते हैं कि इधर इस विभाग का ध्यान कम है और हाउसिंग योजना एक तरह से ठप्प पड़ी हुई है। ताज्जुब की बात है कि हमने एक सोसाइटी रजिस्टर कराई और विभाग ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड को रेफर कर दिया गया है लेकिन पीछे से रजिस्टर की हुई सोसाइटीज रजिस्टर

[श्री कन्हैयालाल]

हो गयी और उनको जमीन भी दे दी गयी। इसलिये हाउसिंग स्कीम के बारे में विभाग सक्रिय रूप से कार्य करें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे सहकारिता आन्दोलन के सम्बन्ध में आपने अपने विचार व्यक्त करनें का अवसर दिया। सहकारिता जनता का आन्दोलन कहा जाता है और हमारे देश के महान नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां तक कहा था कि हमारे देश में समाजवाद अगर आयेगा तो उसके लिये एक ही रास्ता है और है सहकारिता। इस विभाग से चूंकि मेरा सम्बन्ध है, इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के सामने जो समस्यायें हैं उनके सुधारने की व्यवस्था करें। मेरा सम्बन्ध सहकारी बैंक तथा पी० सी० एफ० से रहा है। कोआपरेटिव बैंक का काम है सहकारी समितियों को ऋण देना। इस तरह का बैंकों का सम्बन्ध सहकारी समितियों से ही रहता है और सोसाइटीज बैंकों से ऋण लेकर अपने सदस्यों में वितरित करती हैं। बैंक का सदस्यों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं होता। मंत्री महोदय कोई इस तरह की व्यवस्था करायें कि सदस्यों का भी बैंक से सम्बन्ध हो ताकि अगर सोसाइटी से रुपया वसूल न हो सके तो फिर सदस्यों से बैंक रुपया वसूल कर सके। जाती (निजी) सम्पत्ति सदस्यों के पास होती है, सोसाइटीज के पास कुछ नहीं होता। लिहाजा सीधे बैंक सदस्यों से अपना ऋण वसूल कर सके, ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि ऋण देने की जिम्मेदारी बैंक पर आती है क्योंकि ऋण देने के लिये प्रस्ताव सोसाइटीज से आता है और वह प्रस्ताव सुपरवाइजर, लेखपाल, ए० डी०ओ०, ए० आर० के माध्यम से आता है। अब उसमें कोई जांच पड़ताल बैंक करता है तो यह जिम्मेदारी बैंकों पर आ जाती है कि वह ऋण नहीं देना चाहता और सहकारी आन्दोलन का विरोधी है। इसलिये जिम्मेदारी बैंकों पर लाद दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि यह जिम्मेदारी विभाग पर होनी चाहिये।

सोसाइटियों से जो लोन ऐप्लीकेशंस बन कर बैंक में आती हैं, उसके सम्बन्ध में मैं सहकारिता मंत्री का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि लेन-देन की जिम्मेदारी सोसाइटी की होती है। बैंक में सोसाइटी से एक प्रस्ताव आया अमुक नाम से, यह लेन देन होता रहेगा, २५ या ३० हजार की या जितने की लोन ऐप्लीकेशन बन कर आती है, जिसके नाम से प्रस्ताव है उस सोसाइटी की मोहर लगी है, बैंक लेन देन करता रहेगा, वह रोका नहीं जा सकता। ५० हजार रुपये वह ले जाता है, किस सदस्य को वह देता है या क्या करता है, यह जिम्मेदारी बैंक के ऊपर कहां से आती है? इस तरह की जो व्यवस्था है, जिसके नाम पर गबन की बात कही जाती है, इसमें बैंक पर कहां जिम्मेदारी आती है। माननीय मंत्री जी भविष्य के लिये कोई इस तरह का नियम बनायें जिससे बैंकों के लेनदेन में सुविधा हो सके। एक निवेदन और करूंगा। यह जो ट्रान्सफर एन्ट्री होती है उसका एक तरीका है कि सात दिन के बाद जो सोसाइटी अपना ऋण अदा कर देती है, तो वह फिर बैंक से लोन ले सकती है। मंत्री जी भी उसको जानते होंगे। सात दिन के बाद लोन ऐप्लीकेशन आती है तो आठवें दिन कर्जा देने से बंचित नहीं रख सकते हैं। इस नियम में यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि काश्तकार को जब रबी, खरीफ या किसी अन्य फसल के लिए जब ऋण की आवश्यकता हो तब उसको ऋण दिया जाय। इससे ट्रांसफर एन्ट्री में भी सुधार हो सकता है।

एक निवेदन और करूंगा। कुछ साधन सहकारी समितियों और वायबिल सोसाइटियां बनायी गयी हैं। सहकारिता जनता का आन्दोलन कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि जनता के प्रतिनिधियों का जब कोई सेमिनार हुआ है तब कहा गया है कि साधन सहकारी समितियां और वायबिल सोसाइटियां नहीं होनी चाहिये। लेकिन फिर भी लोग कभी ध्यान नहीं देते। बैंकों के ऊपर जो बोझा लादा गया है इससे बैंकों की वसूली में बड़ी दिक्कत होती है। आजमगढ़

में एक खटिक सोसाइटी है जो बैंक से स्वयं लेन देन करती थी। उसके पास १२–१८ हजार रुपये की पूंजी हो गयी थी। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है कि प्राइमरी सोसाइटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जायं। उस आधार पर इस सोसाइटी के पास १२ या १८ हजार की पूंजी हो गयी थी। लेकिन चार प्राइमरी सोसाइटियां उसमें ऐसी मिला दी गयीं जिस कारण यह सोसाइटी भी डिफाल्टर हो गयी है। न कोई उसके ट्रेक्टर आया न कुछ और हुआ बल्कि जो सोसाइटी अच्छा काम कर रही थी, उसमें चार-पांच सोसाइटीज ऐसी मिला दी गयीं जिसके कारण वसूलियाबी में दिक्कत हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो नियम आपके यहां बना हुआ है साधन और बायबिल वाला जो अच्छी काम करने वाली सोसाइटियां हैं इससे दूर होना चाहती हैं। इस पर रजिस्ट्रार साहब के यहां से कोई आदेश नहीं हो रहा है कि नोटीफिकेशन की कार्यवाही वापस ले ली जाय। इसलिए काम होने में दिक्कत है। जो यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए।

एक और निवेदन है। रजिस्ट्रार की तरफ से व्यवस्था हुई है सोसाइटियों में एकाउंटेंट रखे जायं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऐसे लोग बदनाम होते हैं किन्तु मैं नहीं समझता कि इन सहकारी बैंकों के अन्दर एकाउन्टेंट नाम का जानवर क्यों कैसे रख दिया जाता है। न मालूम कौन सी असुविधा वसूली के सम्बन्ध में इसके न रखने से हो रही थी। मान्यवर, मेरा ख्याल है कि इनमें ८०–८५ फीसदी ऐसे हैं जो कि १०, २०, २५ और ५० हजार रुपये का गबन करके बैठे हैं और कोई काम वसूली के सम्बन्ध में नहीं करते हैं। यहां तक होता है कि जिस संस्था में पैसा नहीं होता और ऋण का पैसे में से वहां पर आता है तो ये लोग महीने के अन्त में उस ऋण के पैसे को तनख्वाह के रूप में ले लेते हैं और वह भी मनमाने तरीके से सौ रुपया, सवा सौ रुपया निकाल लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था इन बैंकों के अन्दर सरकार ने की है। उस जानवर को वहां पर रख कर वसूली में व्यवधान पैदा कराना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस जानवर को समाप्त किया जाय। यदि आप वास्तव में बैंकों की प्रगति चाहते हैं तो इस एकाउंटेंट नामक जानवार को आपको समाप्त करना होगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक बड़ा पुनीत काम किया है। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जितने काम किये है, केवल एक चेक पद्धति को छोड़कर, उनमें सब इस आन्दोलन को कुचल देने का कार्य किया है। मैं उनको इस चेक पद्धति को लागू कर देने के लिये धन्यवाद देता हूं और इसलिये वे वधाई के पात्र है कि इससे हमारे बैंकों में जो लेन देन गड़बड़ी होती थी वह दूर हो जावेगी। जो सही बात है उसको अवश्य कहना चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि इससे सहकारी किसानों को पैसा मिला जा रहा है। किन्तु यह बात सोलह आने सही नहीं है क्यों कि अभी भी कुछ सुपरवाइजर्स ऐसे हैं कि उनके दस्तखत से जब पैसा बाहर जाता है तो वे उन सदस्यों से पैसा ले लेते हैं। इस पर आपको कड़ी से कड़ी निगाह रखने की व्यवस्था करनी चाहिये...।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने १२ मिनट तक बोल दिया....

श्री रामकुंवर सिंह—

मान्यवर, अभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

श्री रामकुमार दीक्षित—

मायन्रवर, ऐसा करें कि इसमें बहुत से लोगों को बोलने की रुचि है और यह ऐसा विषय है जिससे प्रत्येक गांव का आदमी सम्बन्धित है अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा-थोड़ा समय सभी सभी लोगों को बोलने के लिये दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

८–८ मिनट बोलेंगे ।

श्री रामकुंवर सिंह—

मान्यवर, मुझे थोड़ा समय और दे दें ....

एक सदस्य—

मान्यवर, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के अभी एक भी सदस्य ने नहीं कहा है अतः आप कृपया हमको बोलने का समय दें ।

श्री रामकुंवर सिंह—

मान्यवर, एक ही बार तो बोलने का समय मिलता है तो मैं निवेदन कर रहा था कि पी० सी० एफ० एक ऐसी संस्था है जिसका कार्यभार ४० करोड़ रुपये का है और पूरे प्रदेश में टाटा, बिरला और डालमिया जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों की तरह यह संस्था है । मैं भी इस संस्था में एक साल तक बोर्ड का डाइरेक्टर रह चुका हूं । इस संस्था के जो आडीटर हैं वे एक तरह से प्रहरी कहे जाते हैं । आडिटर द्वारा पिछले ६८–६९ के साल में आडिट नोट में लिखा हुआ है कि इसमें २ करोड़ २६ लाख रुपये का घाटा हुआ है और लगभग १ करोड़ रुपये के गबन की आशंका है । यह तो उस साल की बात है किन्तु अब तो एक साल और हो गया है । इस समय और घाटा उसमें होगा । तो इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दो तरफ ले जाना चाहता हूं । ७० के पहले व ७० के बाद.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामपाल सिंह.....

श्री राम कुंवर सिंह—

मान्यवर जो बैलेंस शीट ६८–६९ में कर्मचारी लोगों की तरफ से बनाई गई है उसमें ४० लाख रुपये का फायदा दिखाया गया है । जो आडिट नोट है २ करोड़, २ लाख का घाटा और १ करोड़ की गड़बड़ी की आशंका है और जो बैलेंश शीट बनायी गई है उसमें ४० लाख का फायदा दिखलाया गया है । मैं अब आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं ये गड़बड़ियां हैं १९७० के पहले की और १० लाख की गड़बड़ी है खाद में गोंडा की, और १२ लाख की मेरठ में, १३–१४ लाख की कानपुर में । ६ लाख की फैजाबाद में और ९ लाख की देवरिया में । इस तरह से ८० फीसदी जिले हैं जहां २–३–४–५ लाख से कहीं कम गड़बड़ी नहीं है । यह १९७० के पहले की बात है। कोयले में ९४ हजार की शार्टेज कानपुर में, ८० हजार की इलाहाबाद में, इसी तरह से इटावा में है । एक कर्मचारी ने अपने पद के दुरुपयोग से १० हजार रुपये की गड़बड़ी टी० ए०, डी० ए० में की है जो स्पेशल आडिट रिपोर्ट में लिखा । उनके ऊपर फौरन ऐक्शन लिया जाय । परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । आपने रामपाल सिंह को बुलाया है बोलने के लिये, क्या आपने इनको दोबारा मौका दिया है बोलने का, इस पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं । एसा होता है कि कुछ माननीय सदस्य तो हमेशा बोलते हैं और बहुत से कभी कभी बोलते हैं। आपको तो मौका मिलता ही है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इन लोगों ने भी, सिंडीकेट वालों ने भी बहुत लूटा है अपने समय में, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राम कुंवर सिंह से) अब आप समाप्त करें ।

श्री रामकुंवर सिंह—

पी० सी० एफ० का जो आलू स्टाक था, उससे कैश मिलान करने में ४० हजार रुपये की आलू की खरीद में गड़बड़ी है । ४५ हजार रुपया वहां के आवास की साज-सज्जा पर खर्च किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब लिख कर आप माननीय सहकारिता मंत्री के पास भेज दें ।

श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

मान्यवर.....

श्री रामकुंवर सिंह—

मैं सिंडीकेट में हूं, मान्यवर, इस नाम पर हमें अपने जिलों में परेशान किया जाता है । एक एक साल के अन्दर इस विभाग में हालत यह है कि ३ बार ट्रांसफर होते है और कैंसिल होते हैं....

*श्री रामपाल सिंह—

मैं अपनी ओर से कुछ सुझाव इस सदन को और शासन को देना चाहूंगा। पं० जवाहर लाल जी ने देश की समस्याओं को सहकारिता से हल करने का एक तरीका निकाला था जिसके अन्दर एक निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर के बीच का रास्ता सहकारिता का बनाया गया था । भूमि के संबंध में सहकारी बैंक, उत्पादन के सिलसिले में शुगर फैक्टरी और गेहूं वगैरह की जो बिक्री होती है इसके संबंध में सब समस्यायें इसके अन्दर आती हैं । मैं शुरू में भूमि विकास बैंक के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा । यह सहकारिता में बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है । किसानों की खेती के संबंध में विकास करने के लिये ऋण आदि मुहइया करती है और इसमें शुबहा नहीं है कि काफी मात्रा में किसानों को ऋण दिया जाता है लेकिन इसमें बहुत सुधार की जरूरत है । सहकारी बैंकों के जरिये से जो ऋण दिये जाते हैं, आमतौर से, मैं पश्चिम की बात जानता हूं, सीधे किसानों को नहीं दिये जाते बल्कि जो चेक होता है वह फर्म की मातहत दिया जाता है । आमतौर से जो जिले के अधिकारी हैं वे किसानों को सीधा चेक नहीं देते, किसी खास फर्म के नाम से देते हैं । अगर कोई पुर्जा उस फर्म में ३ हजार रूपये का मिलता है तो बाहर वही २ या ढाई हजार रुपये का मिल जाता है । कई साल से यह बात चली आ रही है । जब किसान उस चीज को लेता ही है तो उसके दुरुपयोग का सवाल ही नहीं है फिर उसको सीधा रुपया क्यों नहीं दिया जाता ।

मैं बिजनौर जिले का रहने वाला हूं अगर किर्लोस्कर पंपिंग सेट वहां से लिया जाय तो एक हजार रुपया तक ज्यादा देना पड़ेगा और अगर दिल्ली से लाया जाय तो एक हजार कम में मिल जायगा । इस प्रकार से अलग से लेने में किसान की काफी बचत हो सकती है । अब इसमें चाहे लैण्ड डवलपमेंट के मैनेजर हों, सहकारी विभाग के लोग हों अथवा उस फर्म

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामपालसिंह]

का मालिक हो। किसान को तो उससे नुकसान हो ही जाता है। इस लिये शासन को सीधा चैक किसान को देने की आज्ञा प्रदान कर देनी चाहिये। उससे बीच में होने वाला भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायगा। एक चन्द्रपाल सिंह, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपनी भूमि को बंधक रखा, पूरा खर्चा भी उठाया लेकिन चैक सीधा फर्म को दे दिया गया और उक्त फर्म का दिवाला निकल गया। न उसको रुपया मिला और न कोई सामान ही उसको मिला और बैंक ने उसके ऊपर रिकवरी जारी कर दी है। पूर्वी जिलों में इस प्रकार दिये रुपये का भले ही दुरुपयोग हो जाता हो लेकिन पश्चिमी जिलों की बात तो मैं जानता हूं वहां पर लोग अपने ट्रैक्टर और दूसरे उपकरण खरीदना चाहते हैं। इसलिये वहां ऐसा कोई अन्देशा नहीं है कि वहां पर रुपये का किसान दुरुपयोग करे। इस लिये शासन से उनको सीधा रुपया दिये जाने की आज्ञा दी जानी चाहिये।

जहां तक सहकारिता फार्मिंग की बात है। जितने भी ऐसे फार्म हैं उनको केवल सीलिंग से बचाने के लिये बना लिया है। सीलिंग में तो २०० बीघा आता है लेकिन १०-१० हजार बीघा वाले बड़े-बड़े लोगों ने बोगस कोआपरेटिव्स बना ली हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों उन्होंने यही सुझाव दिये कि सीलिंग को घटा दिया जाय, शहरी संपत्ति की सीमा को बांध दिया जाय, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि ९९ प्रतिशत जो कोआपरेटिव फार्म्स हैं वे सब फर्जी हैं और उनमें १०-१० हजार बीघा जमीन लोगों ने कर रखी है। यह सब सीलिंग से बचाने के लिये किया गया है। ऐसे लोग उनमें शामिल हैं जो विदेश में हैं, बाहर रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी वल्दियत भी नहीं है। इस प्रकार के आपके कोआपरेटिव फार्म्स हैं। इस तरफ शासन को ध्यान देना चाहिये। ऐसे फार्मों का भी आप सीलिंग के अन्दर ले लें। इस बारे में आप इंक्वायरी करायें कि ऐसे फर्जी फोर्म किन किन लोगों ने बना रखे हैं।

इसके अलावा बहुत से ऐसे भी कोआपरेटिव फार्म है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, वे या तो इनकम टैक्स से बचने के लिये या अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिये उनको बनाये हुये हैं।

हमारे यहां कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री भी कायम की गयी है। उनमें से बाजपुर आदि १-२ फैक्ट्री तो ठीक प्रकार से चल रही है बाकी ठीक नहीं चल रही हैं।

जहां तक मार्केटिंग की बात है, उनके द्वारा किसानों का गल्ला खरीदा जाता है। कोओपरेटिव फेडरेशन के द्वारा जो गल्ला खरीदा गया है उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। सहकारिता की तरफ से कोई ठीक प्रबन्ध नहीं किया गया। इस बारे में भी देख लिया जाय। गन्ने के सिलसिले में जो कोआपरेटिव्ज काम करती हैं उनमें भी काफी सुधार की गुन्जायश है। इन सब सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में कहना चाहता हूं।

सहकारिता के बारे में काफी सदस्यों ने सुझाव भी दिये और आलोचनाय भी कीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सहकारिता में अधिकारियों के रहने से सहकारी समितियां बिल्कुल काम नहीं कर पातीं। हमारे बी० के० डी० के मनिस्फेस्टो में तो लिख दिया था कि इसको बिल्कुल इडिपडेंट कर दिया जाय ताकि उसमें अधिकारी न रहने पायें। अगर अधिकारी नहीं रहेंगे तो बेईमानी कम होगी। बेईमानी खासतौर से सुपरवाइजर और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे अधिकारी कराते हैं। मेम्बरों को पता भी नहीं चलता और वे मेम्बर बन जाते है और उनके ऊपर कर्जा निकलता है। जिन पर कर्जा नहीं है उन पर भी कर्जा दिखाते हैं। किसान हर तरह से मारा जाता है। न बीज गोदाम के लिये अच्छी जगह मिलती है, न बीज ही मिलता है और पैसा भी नहीं मिलता। कोआपरेटिव को चलाने के लिये लोगों को यह कहना चाहिये था कि उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाय। पैसे का जहां तक मामला है, लाखों, करोड़ों रुपये का गोलमाल है। बहुत सी सोसायटियों का दीवाला निकल चुका है। और जिन किसानों ने पैसा नहीं लिया वे भी रो रहे हैं। जितनी भी संस्थायें बनी हैं वहां लाखों रुपये का माल आता है लेकिन पता नहीं वह कहां चला जाता है और न सोसायटी के मेम्बरों का पता लगता है। बाद में टोटा दिखा देते हैं जबकि प्राइवेट आदमी कभी टोटा नहीं दिखाता।

इसी तरह से भट्ठे की सोसायटी बनती है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सोसायटी उन लोगों की बनायी जाय जो भट्ठे का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में भट्ठे की सोसायटी दे दी जाती है जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते।

दूसरे, इन संस्थाओं में शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोई रेप्रेजेन्टेशन नहीं है। कम से कम १८ परसेंट रेप्रेजेन्टेशन तो इन लोगों का रखा जाय। जैसा कि हमारे चौधरी साहब ने भी कहा था कि मंडी समिति में दो प्रतिनिधि रख दिये हैं इसी तरह से इनमें भी रखे जायं। यह गरीबों की सोसायटी है लेकिन जितने आदमी आज इनमें हैं वे सब मालदार हैं और मालदार होते चले जा रहे हैं। गरीब बेचारा बैठा हुआ है, उसको कोई पूछता नहीं है। इसलिये कम से कम ऐसे लोगों की सोसायटी बनायें जो काम करते हों ताकि उनको लाभ हो और वास्तव में उसको चला सकें। यह नहीं पता लगता कि कौन मेम्बर है। सुपरवाइजर मेम्बरों को कहां से बनाता है और जब चुनाव होता है तो पता नहीं लगने देता। हर आदमी रुपया लेकर चला जाता है और उसमें धांधलेबाजी चलती रहती है। मैं तो बैंक के बारे में कहता हूं। अलीगढ़ के बारे में पता नहीं लगता। कम से कम इन सोसाइटियों को चलाने के पीछे शुरू से जो भावना थी कि लोगों में आपस में मेल होगा, सहकारिता के नाते हम चीजों को चलायेंगे तो आज हर आदमी सोचे कि क्या हम वाकई कुछ आगे बढ़ रहे हैं या और पीछे जा रहे हैं। आज सोसाइटियों का पूरा आन्दोलन पीछे हटता जा रहा है। अभी बिजनौर से एक चिट्ठी आई है और उसमें शिकायत की गई है कि वहां पर तमाम गड़बड़ी है लेकिन आडिट रिपोर्ट के बावजूद कोई नोटिस तक किसी को नहीं दिया गया और कोई कोशिश जो हजारों रुपये की बकाया है उस की वसूली नहीं की गई। आडिट ने सारी गड़बड़ी निकाली है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही उस रिपोर्ट पर नहीं की गई। इसका कारण यह है कि सोसाइटी के अधिकारी उनका ही पानी भरते रहते हैं जो उनको खिलाता रहता है, उसी का वह पोषण करते हैं और आडिट रिपोर्ट की अवहेलना करते हैं। हम तो सन् ५२ से देख रहे हैं माननीय पंत जी के जमाने में भी यही रोना था। कोई भी मंत्री हुआ यह चीज चलती रही। अगर मंत्री ईमानदार न हो तो यह सोसायटी कैसे चलेंगी ?

हम चाहते हैं कि इन सोसाइटियों में इस तरह से सुधार किया जाय कि लोगों में सहकारिता की भावना पैदा हो। लेकिन आज किसान को उसका कोई लाभ नहीं है और केवल थोड़े से चालाक लोग मानोपाली बनाये बैठे हैं और वही लोग सारी सोसाइटियों पर किसी न किसी तरह से हावी हैं। हालत यह है कि बीस-बीस साल बीत गये और वही डायरेक्टर मैनेजर बने हुये हैं वही कुनबापरस्ती वहां चल रही है, इस तरह से यह मूवमेंट कैसे चलेगा। हमारे मंत्री जी ने कोशिश की है वह अच्छा है लेकिन सुधार की दिशा में उन्हें ठोस कदम उठाने होंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना होगा। मंत्री जी मैं चाहता हूं कि इस भावना को लेकर चलें और सब लोगों के साथ बैठ कर और सब के सुझावों को सुन कर, सब

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

की भावनाओं को देख कर सारी त्रुटियों पर तात्कालिक एक्शन लें तो मैं समझता हूं कि यह जो खराबियां हैं वे बहुत हद तक दूर हो सकेंगी।

इसके अतिरिक्त यह जो हमारी कानूनी अड़चनें हैं और लोग कोर्ट में जाकर स्टे वगैरह ले आते हैं और कार्यवाही रुक जाती है और प्रधानों को, मैनेजरों को दंड नहीं मिल पाता उसके लिये ऐसा कानून में परिवर्तन वह करें कि यह अधिकारी और वहां के कर्णधार काबू में आ सकें। सुपरवाइजर जो गड़बड़ करते हैं उनको निकाला जाय। यह सुपरवाइजर एक-एक एन्ट्री के लिये ५-५ सौ और हजार-हजार रुपये लेते हैं और मैनेजर को हजारों रुपया देते हैं और जो बीज गोदामों में जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है इन सुपरवाइजरों ने क्या हालत कर रखी है अगर आप उन चीजों में जरा घुस कर देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। सोसाइटियों के नाम पर हर तरह से किसानों का सारा माल लुट रहा है, इन्होंने किसानों की रीढ़ को तोड़ डाला है और वह सब अब पनप नहीं सकता, वह कर्जे से लदा हुआ है उसको एक बार बीज दिया और उसको कर्जे से लाद दिया और फिर उसका छुटकारा नहीं होता, वह दे नहीं पा रहा है, इस तरह की वह एन्ट्री किये रहते हैं कि वह लदा ही रहता है। उस को १०० रुपये का माल दिया तो वह लदा ही रहता है और बराबर ब्याज देता ही रहता है। जब यह हालत है तो यह सोसाइटियां अब कैसे पनपेंगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में सब लोगों को बुला कर उनके सुझाव लें और एक ठोस प्रोग्राम इन सब चीजों को सुधारने के लिये बनायें इन सुपरवाइजरों को जिन की मानोपाली है उनका ट्रांसफर किया जा सके, उनको निकाला जा सके, उनको हटाया भी जा सके और कई-कई साल तक वह एक जगह न रह सकें इस तरह का संशोधन नियामों में हो तो यह चीजें कम हो सकती हैं। अच्छे लोगों के न आने से कितनी ही सोसाइटी फेल हो गई। लोग चाहते हैं और इनका उद्देश्य ही यह था कि सहकारिता की भावना और आपस की मोहब्बत बढ़े लेकिन आज हालत यह है कि भाई-भाई में द्वेष भाव पनप रहा है, कोई आपस में मेल नहीं रह गया है इस तरह से सोसाइटी नहीं चल सकतीं। इन चीजों पर मैं चाहता हूं कि मंत्री जी विशेष ध्यान दें। आपके नोटिस में है कि बेईमान लोग अपनी मानोपाली बनाये बैठे हैं। वह सब आप के नोटिस में है और मैं जानता हूं कि आपने इन चीजों का अध्ययन भी किया है और आपके पास यह महकमा पहले भी रहा है और अब फिर आया है तो आप इन चीजों को मजबूती के साथ चेक करें और त्रुटियों को दूर करें। आप क्यों नहीं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेते हैं? मैं यह भी कहूंगा कि राजनीति और पालिटिक्स की बिना पर नामिनेशन न किये जायं और सिर्फ जो ईमानदार लोग हैं उन्हीं को इस मूवमेंट में आने दें। इस तरह से अगर राजनैतिक नामिनेशन होंगे तो उससे करप्शन और बढ़ेगा, वह रुकने वाला नहीं है, यह बहुत गलत चीज होगी और इससे सहकारिता की भावना का भी हनन होगा।

मैं चाहता हूं कि हमारी सोसाइटीज अधिकारियों के हाथ से निकल कर इनडिपेंडेंटली काम करें। इस तरह से जो तमाम धांधली और गड़बड़ी चल रही हैं वे रुक सकती हैं। आज हालत यह है कि एक-एक ने जिस की कोई हैसियत ५ पैसे की भी नहीं है बीस-बीस हजार का लोन ले रखा है। यह वसूल कैसे होगा और अगर वसूली की ऐसी व्यवस्था न होगी, वसूली के साधन उचित न होंगे तो सारी रकम मारी जायगी और यह लूटपाट चलती रहेगी। इसके लिये सख्ती से इस नियम का पालन किया जाय कि जितनी हैसियत का आदमी हो उस को उसी के अन्दर लोन दिया जाय। मैं चाहता हूं कि बड़ी हैसियत के लोग और छोटी हैसियत के लोगों की अलग-अलग संस्थायें हों।

मेरा एक सुझाव है कि इन सोसाइटीज को चलाने के लिये इन्हें कानून से बांधिये ताकि लोग पकड़े जा सकें, कानून के शिकंजे में आ सकें। आज डायरेक्टर वगैरह लाखों रुपया बनाकर बैठे हैं, आप इसे कैसे रोकेंगे? सब मंत्री लोग, जो भी आये, यहां पर कहते हैं कि सोसाइटीज चलें

लेकिन जब तक कानून में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक सोसाइटीज नहीं पनपेंगी। पंत जी के जमाने में, माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में और माननीय गुप्ता जी के जमाने में सबने कहा कि सोसाइटीज चलेंगीं लेकिन देखा जाता है कि बड़े-बड़े लोग जमीनें ले लेते हैं, कालोनी बना लेते हैं और फिर सोसायटीज के नाम पर लाखों रुपया कमाते हैं। मैं आपसे अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को रोकें तभी ये सोसाइटीज चल पायेंगी।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल के बाद आपने मुझे इस सहकारिता विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं इस बात के लिये भी आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं।

आज इस अनुदान के बारे में जो बहस हो रही है, इसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, उनमें सहकारिता विभाग में सबसे ज्यादा भ्रटाचार है। इस विभाग में सबसे बड़ी लूट है और ऐसा लगता है कि इस विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे लूटेरों के गिरोह की तरह से काम करते हैं। इस विभाग का जनता से कोई वास्ता नहीं है लेकिन निश्चित रूप से सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर, बड़े अधिकारी और विभाग के सहकारिता मंत्री में एक दूसरे से आपसमें बहुत बड़ी सहकारिता है। ये एक दूसरे को बचाने के लिये, हिफाजत के लिये इन चीजों को करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में आप कुछ भी करें लेकिन इन गरीब किसानों को तो न लूटें। बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है कि सहकारिता आन्दोलन में बड़ी प्रगति हुयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कौन बड़ा तीर मार लिया। आज पूरे प्रदेश में और सहकारिता के इतिहास और समय में ४०,०५२ सोसाइटीज हैं और प्रदेश की ९ करोड़ जनता में से ७४ लाख इसके सिर्फ सदस्य हैं। ये जो ७४ लाख सदस्य हैं उसमें आधे से ज्यादा बोगस हैं। यह विभाग चक्की के २ पाटों के बीच फंस गया है। एक ओर सरकारी सुपरवाइजर्स हैं और दूसरी ओर जो चुनकर आये हुये चालू किस्म के, होशियार किस्म के भ्रष्ट कांग्रेसी आदमी हैं, जो प्रेसीडेन्ट हैं या मंत्री हैं। इस प्रकार के दोनों किस्म के आदमी इस विभाग में मिलकर गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। आज प्रदेश की कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार और गबन न हों। गबन और भ्रष्टाचार के मामले माननीय सहकारिता मन्त्री के पास आते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर गांव का किसान किसी सोसाइटी से १०० रुपया कर्जा लेता है तो फर्जी तरीके से उसके नाम १,००० रुपया लिख दिया जाता है और अगर एक मन गल्ला लेता है तो १० मन लिख दिया जाता है उसके नाम में रजिस्टरों में जाली निशानी अंगूठे लगा दिये जाते हैं। यह है इनका सहकारिता आन्दोलन जिसमें आज करोड़ों के गबन और करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश में हरित क्रांति लानें का काम सोसाइटीज ने किया है।

इनके भूमि विकास बैंक हैं। वे किसानों की सारी जमीन को गिरवी रखवा लेते हैं और उनको केवल २०० या २५० रुपया ऋण के रूप में देते हैं। मसलन अगर कोई एक बीघा जमीन गिरवी रखता है तो उसको मुश्किल से ५०० रुपया देते हैं। इन्साफ की बात तो यह है कि जितने मूल्य की भूमि गिरवी रखी जाय उतना ही पैसा उसको कर्जे का देना चाहये। बीज देते हैं खराब और सड़ा किसान को और कहते हैं कि हम हरित क्रांति कर रहे हैं और किसान को, गरीब को जब बीज देते हैं तो यह सहकारी समितियां सवाया वसूल करती हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जैसे कोई सूदखोर, जैसे पुराने जमाने में सूदखोर जमीन्दार होते थे आज वही तरीका इन सहकारी समितियों ने अपनाया है। वे सवाया २५ फीसदी बीज का सूद वसूल करते हैं। जो बड़े-बड़े अमीर हैं उनको दो या तीन परसेन्ट पर सरकारी कर्ज मिलता है और उन गरीबों और किसानों से नौ प्रतिशत सूद कर्ज लेने पर वसूल करते हैं।

[चौधरी राम पालसिंह यादव]

आज सहकारी समितियां बिल्कुल लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे हो गये हैं और मैं तो कहूंगा कि यह सोसाइटियां सूदखोरों का बहुत बड़ा गिरोह हो गया है। ये सहकारिता मंत्री जी एक भी सुपरवाइजर का ट्रान्सफर नहीं कर सकते इसलिये कि सुपरवाइजर पी०सी०एफ० के जरिये भरती होते हैं उनके मातहत है, वे मौजे मारते रहते हैं। यह मंत्री जी हल्ला मचाते रहते हैं। आज यह स्थिति हो गई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी सुपरवाइजर हैं इनको सीधे-सीधे सरकार के अन्डर में लिया जाय जिससे इन पर भी अंकुश रह सके, कार्यवाही हो सके। ऐसा अगर मंत्री जी नहीं कर सकते तो ये जो सहकारी समितियों में भ्रष्ट सुपरवाइजर लदे हैं इनको समाप्त कर दिया जाय, हटा दिया जाय, निकाल दिया जाय और इनको भूमि सेना में भरती कर दूसरा खेती का काम इनसे लिया जाय। इस प्रदेश का गरीब और किसान आदमी इन सोसाइटियों को चलायेगा। सरकार उनको पैसा दे। दो चक्की के बीच में किसान पिस रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों में जितना भ्रष्टाचार है, इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। इनके जो सहकारी पांच सुपर मार्केट हैं, नयाबाजार है उन पांच सुपर माकटों में तीन वर्ष में २५,१५,८३२ रुपये का घाटा हुआ है, जिसमें लखनऊ की सुपर मार्केट पर १५,२८,७४६ रुपये का घाटा हुआ है। एक इलाहाबाद सुपर मार्केट है जिसमें ५,०२,४०१ रुपये का घाटा हुआ है। एक मेरठ सुपर मार्केट है, जिसमें ४,३६,१६४ रुपये का घाटा हुआ है। देहरादून में ४८,०४१ रुपये का घाटा हुआ है। तो मान्यवर, इस तरीके से इन सुपर मार्केटों में इनका ३३ लाख रुपये से भी ज्यादा धन लगा हुआ है और इन पांच सुपर मार्केटों में से चार सुपर मार्केटों में लंबी रकमों का गोलमाल है। क्यों चलाते हैं। इन्हे पता नहीं कौन इनके बरतन खरीदता है, कौन-सी साड़ियां मंत्रियों के पास आती हैं। क्या जरूरत हो गई ऐसे मार्केटों की जिसमें दस-दस लाख रुपये का घाटा है? हमारे कानपुर का सुपर मार्केट जरूर मुनाफा कर रहा है। बाकी चारों मार्केट घाटे में चल रहें हैं।

आज ही देखें, अखबार में छपा है कि पीलीभीत जिले में एक गोदामकीपर हैं नूर मुहम्मद। ये कई महीनों से लापता हैं। ये पाकिस्तान भाग गये हैं और इन्होंने २,९३ हजार रुपये की खाद का गबन कर दिया है। उस गोदाम में ताला बन्द रहा। जब ताला खोला गया तो मालूम हुआ कि माल गायब हो गया है और नूर मोहम्मद के गांव का भी पता नहीं है और वे पाकितान भाग गये हैं। उनकी नियुक्ति लखनऊ से हुई थी। मैं कहना चाहता हूं जिन अधिकारी ने नूर मुहम्मद की नियुक्ति की, और जो सरकार का रुपया मारकर भाग गया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। अगर मंत्री जी कार्यवाही नहीं कर सकते तो कम से कम जिसने नियुक्ति की है ऐसे अधिकारी को भी पाकिस्तान भेज दिया जाय। ऐसे अधिकारी जो इस तरह से यहां लदे हुये हैं उनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिये। मान्यवर ऐसे लोगों को पालकर ही इस प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन में किसानों और गरीबों के पैसे को लूटा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक रूरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति है। इसमें श्री लक्ष्मीशंकर जी यादव जो सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने विधान सभा में उत्तर दिया था ८ अगस्त, १९६९ को कि इसमें १९६७–६८ की बैलेन्सशीट में ३०–६–६८ को १,२५,०४५ रु० ३८ नये पैसे का घाटा हुआ है। घाटा मुख्यतः सीधी खरीद की वस्तुओं के दाम गिरने से हुआ है। ८ अगस्त, ६९ का यह उत्तर है और सहकारिता विभाग के दूसरे मंत्री श्री धर्मसिंह जी का जो उत्तर हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त। माननीय श्री कपूर।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

उन्होंने, श्री धर्मसिंह जी से कहा कि उक्त हानि केवल सीधी खरीद की चीजों के भावों से सम्बन्धित नहीं है, उसके अन्य कारण भी हैं। तो एक मंत्री

कहते हैं सीधी खरीद के कारण है और दूसरे मंत्री कहते हैं कि अन्य कारण हैं। तो इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और कारणों का पता क्यों नहीं लगाया गया? हमारे ही क्षेत्र में झींझक क्रय-विक्रय समिति में भी ५० हजार का घाटा है। पांच-छः साल से एस० आई० एस० का जांच हो रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। विधान सभा में हमारा एक प्रश्न था। १६ जुलाई, १९७१ को कि कानपुर बिल्हौर और चौबेपुर विकास खंडों में हमने कहा था कि पांच लाख रुपये का गबन है। इन्होंने मंत्री जी ने कहा नहीं ढाई लाख का गबन है। तो भ्रष्टाचार इनके यहां इतना है कि सीमा पार कर चुका है। जो क्रय-विक्रय समितियां प्रदेश में हैं २०५, उनमें से ८० घाटे पर चल रही हैं। तो क्यों चला रहे हैं इन्हें? क्यों सरकारी पैसा उनमें फंसाकर प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं? गरीबों को लुटवा रहे हैं इन सुपरवाइजरों और मन्त्री-व्यवस्थापकों के जरिए।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया अब समाप्त करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, देवरिया में ६० हजार रुपये शेयर का रुपया है। आडिट रिपोर्ट के अनुसार १ लाख ८० हजार रुपया का गबन और घाटा है। इनका शेयर सारा डूब गया। ७५ हजार रुपया और दिया और अब ५० हजार और दे रहे हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

लिखकर भेज दीजिएगा। अब समाप्त करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

होल-सेल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव, देवरिया में ५० हजार का गबन है। सारे जिले में तेल सप्लाई का काम सुपुर्द कर दिया। बीस आने और डेढ़ रुपया बोतल का दाम बाढ़ पीड़ितों से वसूल किया जा रहा है। वहां के राम बहाल तिवारी जी मंत्री हैं। वह कहते हैं कि हम मुख्य मन्त्री कमलापति त्रिपाठी के रिश्तेदार हैं। कोई मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार है, कोई सहकारिता मन्त्री का रिश्तेदार है। सारे लोग प्रदेश को लूटने में जुटे हुए हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। दूसरे जब बोल रहे थे तो आप वहां से खड़े होकर व्यवस्था के प्रश्न पर कह रहे थे कि क्यों समय अधिक दिया जा रहा है? आप अपनी व्यवस्था का पालन स्वयं नहीं कर रहे हैं। आप कृपया बैठें। माननीय श्री कपूर।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

हमारे यहां कानपुर में मिल्क बोर्ड है। यहां के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। श्री शरन सेक्रेट्री, सहकारिता हैं। उनके भाई वहां पर मैनेजर मिल्क बोर्ड, कानपुर में हैं। जिसकी वजह से चार करोड़ रुपये का वहां पर घाटा है। कोई कार्यवाही (मैनेजर) ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर नहीं होती उनके भाई श्री शरन, सेक्रेट्री सहकारिता हैं, बचाये हुए हैं।

यह सहकारिता समाजवाद का एक अंग है। तो आप सोचें यह तो समाजवाद के पेट में छुरा भोकना है। जब तक सहकारिता आन्दोलन इस प्रदेश के आगे नहीं बढ़ेगा तब तक समाजवाद नहीं आ सकता और यह निकम्मी कांग्रेसी सरकार समाजवाद नहीं लाना चाहती है, इसलिए सहकारिता आन्दोलन से इस प्रदेश की गरीब जनता का मन हटाकर लूट कराकर पूंजीवादी प्रथा को कायम रखना चाहती है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस भ्रष्ट सहकारिता विभाग को लूटखाने के लिये एक भी पैसा न दिया जाये।

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, कटौती का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो बातें इस सदन में में आई हैं, चाहे इस पक्ष के लोगों ने कही हो या उस पक्ष के लोगों ने कही हों, उन सबसे यही आभास होता है कि सभी माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सहकारिता आन्दोलन के बारे में जो कुछ भी विचार व्यक्त किये गये हैं वे इस जन आन्दोलन के समर्थन के रूप में नहीं व्यक्त किय गये हैं बल्कि पोलिटिकल इन्टरफियरेंस और भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हैं। तो मैं अपने समस्त साथियों को, जो कि आज बोले हैं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया है।

पी० सी० एफ० के बारे में हमारे साथी राम कुंवर सिंहजी ने बताया कि उसमें २ करोड़ रुपये की हानि है और १ करोड़ रुपये से अधिक का घपला है। मैं सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता था कि उनको इस सबका पता है या नहीं? यदि पता है तो कृपया जवाब देते समय वे इन बातों की ओर प्रकाश डालें। श्री रोशन लाल, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज ने पी० सी० एफ० का मुआयना किया था और १२५ पन्ने की रिपोर्ट दी थी जिसमें बड़े भारी गोलमाल और सारी बातों का जिक्र किया गया था। मन्त्री जी उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस सदन में रख दें, तो बड़ी कृपा होगी।

मन्त्री जी, मैं आपके समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि पोलिटिकल इन्टरफियरेंस सहकारी आन्दोलन जो कि जन आन्दोलन है, में नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से जी मेरी प्रार्थना है कि जवाब देते समय मेरी दो-तीन बातों की ओर भी प्रकाश डाल दें।

असिस्टेंट रजिस्ट्रार, गाजीपुर का ट्रांसफर रायबरेली को हुआ था और वह रायबरेली में ६ महीने ही रह पाया था कि दुबारा फिर गाजीपुर पोस्ट कर दिया गया। इसी प्रकार मिर्जापुर का असिस्टेंट रजिस्ट्रार फतेहपुर ट्रांसफर कर दिया गया और ६ महीने बाद दुबारा मिर्जापुर भेज दिया गया। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि ६ महीने बाद तबादला क्यों हुआ और तबादला ही नहीं बल्कि दोनों अधिकारियों को उन्हीं जगहों पर भेज दिया गया जहां से कि वे ट्रांसफर हुए थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल रही होगी। गाजीपुर में ३ डायरेक्टर्स हैं जो कि मन्त्री जी के एक तरह से सम्बन्धित हैं। उनके नाम ६ महीने से अधिक रकम बकाया थी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनको नोटिस दी कि आप डायरेक्टर्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर ६ महीने से अधिक रुपया बकाया है। पोलिटिकल प्रेशर पड़ा और ए० आर० का तबादला हो गया और उनके जो साथी थे वे फिरसे वापस हो गये। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मगर यह निवेदन अवश्य करना चहता हूं कि यह जन आन्दोलन है और सहकारी आन्दोलन के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी लेविल पर पोलिटिकल इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिये। ये स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, आटोनोमस बाडीज हैं। इनको काम करने का मौका देना चाहिए। सहकारी विभाग का काम तो केवल रजिस्ट्रेशन, इन्सपेक्शन और लिक्वीडशन होना चाहिए। Friend, philosopher & guide का सिद्धान्त अपनाना चाहिए और निर्देश देने और पोलिटिकल इनटरफियरेंस की बात नहीं होनी चाहिए। अगर पोलिटिकल इन्टरफियरेंस चलता रहेगा यह मूवमेंट चलने वाला नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान उस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि 'सहकारिता रिपोर्ट' में दी गई है कि गोरेखपुर में मिल्क यूनियन चल रही है और वहां पर १६०० लिटर दूध होता है। गोरखपुर के विधान सभा के सदस्य भी हैं जोकि डेरी की बाबत जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखते होंगे, मगर मेरी जानकारी यह है कि यह डेरी ३ महीने से बन्द पड़ी है, मशीनें खराब हो गई हैं और दूध की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जब दूध गोरखपुर के निवासियों को सप्लाई नहीं हो रहा है तब वह किसको सप्लाई हो रहा है ? क्या वे विभाग के लोगों को दूध दे रहे हैं या सम्बन्धित दल के साथियों को दे रहे हैं ? इस चीज को जरा देख लें, मन्त्री जी। उस डेरी में गबन है, मशीनें खराब हैं, दूध सप्लाई नहीं हो रही है और रिपोर्ट में कुछ और छाप दिया गया है।

कानपुर में सहकारी निर्माण परिषद् है। उसके अन्तर्गत ५ भट्टे चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भट्टे के बिजनेस में जो व्यापार करते हैं वे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं।

इस सहकारी निर्माण परिषद् में घाटा ही घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है ? हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस भट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर पावें। डी० सी० एफ०, कानपुर की पोजीशन यह है कि वह भी एक मन्त्री जी से सम्बन्धित है। मुझे यह सूचना है कि ए० आर० ने रिपोर्ट की कि एक लाख रुपये के घपले की बात है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अवैतनिक मन्त्री को नोटिस दिया गया तो उसने लिखा कि इसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बारे में पदाधिकारियों से पूछें। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां पी० सी० एफ० की बात थी और हमारे सभी साथियों ने बतलाया कि सीड स्टोर्स में एक-एक सुपरवाइजर १०—१० और १२—१२ साल से एक ही जगह पड़े हुए हैं। चेयरमैन एक आई० ए० एस० को सरकार ने नियुक्त कर रखा है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट कर दें कि जब यह आदेश है कि ५ साल एक स्थान पर रहने वाले जितने सुपरवाइजर हैं उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए तो क्या वे जिलों में ए० आर० से कहेंगे कि वे इस चीज को इनफोर्स करें ? यदि वे इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये कि उनको क्यों रोका गया है।

जहां तक बैंक की बात है, यह बड़े दुख की बात है कि जिला सहकारी बैंक्स ५० करोड़ रुपये कृषकों में दे रहे हैं लेकिन लोकल बाडीज डिपाजिट, अमानत का पैसा शिड्यूल बैंक या स्टेट बैंक में ही जमा कर सकते हैं। यदि कानून में यह तरमीम कर दी जाय कि अमानत का पैसा लोकल बैंक्स या सहकारिता बैंक में भी जमा हो सकता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा लाभ हो जाय और फिर रिजर्व बैंक से ऋण लेने की पुनः जरूरत नहीं पड़ेगी और काश्तकारों को अधिक से अधिक सहायता मिल सकेगी। इस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्टरी आफ कामर्स का हवाला देता हूं। उन्होंने लिखा है कि जो बैंक ए० या बी० क्लास के हैं वे इस डिपोजिट को ले सकते हैं। यह लिखाहुआ तो है लेकिन देने वाला पैसा नहीं देता है तो क्या किया जाय। क्योंकि लोकल बाडीज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि शिड्यूल्ड बैंक या स्टेट बैंक में ही डिपाजिट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे क्योंकि यह सहकारिता आन्दोलन से संबंधित बात है।

एक और निवेदन मैं करना चाहता हूं यदि आपको इसे जन आन्दोलन बनाना है। निर्देश ऊपर से जाता है नीचे को, वह नहीं होना चाहिये। पहले आन्दोलन तो नीचे से चलेगा तब ऊपर को आयेगा। जो मेम्बर चुने जाते हैं वे नीचे से चुने जाते हैं सिवा राज्य सभा और विधान परिषदों के। यदि कोई विभाग निर्देश देना चाहता है तो उसे चाहिये कि इस आन्दोलन से संबंधित तमाम सरकारी व गैर-सरकारी लोगों से विचार-विमर्श करके तब कोई निर्देश दें। वरना क्या होता है ? मंत्री जी के कमरे में आर०ओ० साहब गये, वहां उन्होंने सेक्रेटरी को बुला लिया और निर्देश भेज दिया जायेगा।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

मैंने तो यह देखा है कि एक रिक्शा सहकारी समिति की बात आयी तो यह हुआ कि उसका गठन गैर सरकारी आदमी करेंगे । उस पर आर०ओ० ने निर्देश किया ए०आर० को कि रिक्शा सहकारी समिति का पंजीकरण कर दिया जाय । प्रश्न यह होता है कि उन्होंने जिले के गैर सरकारी लोगों के पास सूचना क्यों नहीं भेजी ? जो गैर सरकारी आदमी होता है वह ज्यादा दिलचस्पी लेकर अपना काम करता है, तो सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने सुझाव आये हैं, और जितनी सूचनायें आयी हैं उनसे मालूम होता है कि किसी न किसी लेविल पर गड़बड़ी है, नियमों में, ऐक्ट में या कार्य प्रणाली में । इसलिये माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे एक आयोग का गठन करें जिसको ४-६ महीने का समय दें कि वह सदन की कार्यवाही से मोटी-मोटी बातों का रेफरेंस निकाल कर अपनी रिपोर्ट दे कि इस सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये कौन-कौन उपाय किये जा सकते हैं और इनमें कौन-कौन खामियां हैं जिनको कैसे दूर किया जा सकता है । इसमें सरकारी या गैर-सरकारी लोग जो इसके जिम्मेदार हों इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि अगर आयोग गठित किया जाय तो राजनीति के परे गठित किया जाय । इसमें न इस दल के लोग हों और न दूसरे दल के लोग हों ।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

५ मिनट और दे दें । एक बात यह कहना चाहता था कि प्राइमरी समितियां ३०, ४० हजार की संख्या में हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों की संख्या में उनके आडिट नोट पड़े हुये हैं लेकिन उनका परिपालन नहीं होता है । हर जिले में, हर ब्लाक में ए०आर० और ए०डी०ओ० वगैरह हैं लेकिन वह इतनी तकलीफ भी नहीं उठाते हैं कि सोसाइटीज का तीन या चार-चार साल में निरीक्षण कर लें । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह यह सूचना मांगें कि ए०डी०ओज० ने कहां-कहां निरीक्षण किये हैं । आखिर आडिट आपत्तियों का फायदा क्या हुआ । उसमें स्पेशल आडिट भी होता है । बैंक में आडिट इसलिये हो जाता है कि रिजर्व बैंक पैसा नहीं देती है । वहां तो मजबूरी होती है लेकिन प्राइमरी समितियों में १० प्रतिशत भी इसका पालन नहीं होता है । इसी के साथ-साथ नें एक चीज और कहूंगा कि मंत्री जी देखें कि कृषकों को १० प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है जबकि बुनकरों को साढ़े ३ प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है । तो यह भेदभाव क्यों है ? साढ़े तीन प्रतिशत में २ प्रतिशत रिजर्व बैंक रिबेट के रूप में देती है तो मैं कहूंगा कि किसानों को भी इसका प्राविधान होना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह तो रिजर्व बैंक की बात है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

रिजर्व बैंक की बात ही तो बतला रहा हूं ।

मैं एक सूचना देना चाहता हूं । टेहरी-गढ़वाल में एक यातायात साधन सहकारी समिति सुपरसीड हुई । उसमें गबन हुआ था । उसको वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं हुई है, वह होना चाहिये । अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग में सुधार की बहुत गुंजाइश है और जो गरीबी का नारा दिया गया था वह सही रूप में दूर किया जा सकता है अगर पोलीटिकल इंटरफीयरेंस न हो । हां, बड़े आदमियों की गरीबी उससे दूर नहीं होगी । इसमें सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक कठिनाइयां सामने आती हैं । इसके अतिरिक्त

छोटा काश्तकार इसमें आना नहीं चाहता है क्योंकि बीच में सुपरवाइजर और एकाउन्टेंट हैं जो उसको रोक लेते हैं । उसको अगर १० रुपया देते हैं तो ५० रुपया लिखते हैं, तो वह इससे घबड़ाता है । तो इसकी देखरेख की जरूरत है । क्रेडिट में ५४ करोड़ रुपये की अंश पूजी लगी हुई है उसमें राज्य सरकार का केवल ३ करोड़ का शेयर है जो ५ प्रतिशत ही पड़ेगा । यह बहुत कम है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा का विस्तार होना चाहिये । ३०० करोड़ रुपये की जिसकी वर्किंग हो उसमें १ प्रतिशत भी शिक्षा पर व्यय न किया जाय यह उचित नहीं है। गांव का आदमी सरपंच आदि बनता है लेकिन उसको मालूम नहीं है कि सहकारी समितियां क्या हैं । उनको हम कोई शिक्षा नहीं देते हैं । आपके ए०डी० ओ० हर ब्लाक में हैं उनके पास कोई काम नहीं है । ऋण वसूलने के लिये जिम्मेदार नहीं है, आखिर उनके पास क्या काम है ।

अगर उन विभागीय अधिकारियों को यही आदेश दे दिया जाय कि तुम गांव-गांव जाओ और मीटिंग बुलाओं और लोगों को समझाओं कि असली मालिक तुम हो समिति के न कि सुपरवाइजर तो भी बहुत काम हो जाय । यही नहीं आप देखें कि गड़बड़ी करता है सुपरवाइजर लेकिन वह नहीं फंसता । वह अध्यक्ष या सरपंच से कैश रजिस्टर पर अंगूठा लगवा लेता है और कहता है कि मैं तो पैसा छूता नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस किस्म का कोई प्राविधान भी मंत्री जी करें कि सुपरवाइजर भी नियमों की गिरफ्त में आ सकें । अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इस आन्दोलन को जन आन्दोलन और सहकारी आन्दोलन करके चलायेंगे है कि सरकारी आन्दोलन की तरह से जैसा कि अब तक चला है । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

*श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने सुझाव दिये या आलोचना की, आभारी हूं । मैं यह कह देना चाहता हूं कि इन सभी सुझावों पर कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा । मैंने पहले ही तस्लीम किया था कि भ्रष्टाचार है । लेकिन यह कह देने से कि भ्रष्टाचार है, इसलिये बुरा है, काम नहीं चलेगा । यह सभी लोग जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन का विशेष महत्व है और विशेष रूप से हिन्दुस्तान जैसे देश के लिये जहां पर किसान गरीब है, साधन विहीन है और अगर उनकी तरक्की हो सकती तो सिर्फ कृषि की पैदावार बढ़ा कर । इसलिये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सहकारी संस्थायें उनकी मदद करें । इसलिये जितने माननीय सदस्य यहां हैं या इसके बाहर हैं उन सबका पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि इसमें जो भी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करें जिससे सही मायने में यह आन्दोलन चल सके और जनता का हित हो सके । अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार इसमें रह नहीं जायेगा और यह बहुत पवित्र आन्दोलन बन सकेगा । मुझे भी इसकी जानकरी है कि कहां और किस तरह से भ्रष्टाचार होता है और अक्ल के साथ बेईमान की जाती है । उस सबकी काट करने की कोशिश कर रहा हूं । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस समय रहा कितने दिन ।

माननीय विश्वनाथ कपूर ने अधिनियमों की बात कही । उन्होंने यह भी कहा कि सन् १२ का जो अधिनियम था वह बहुत अच्छा था । लेकिन उन्हें यह भी पता होगा कि उस समय इंस्टीट्युशन के, सोसाइटी के चेयरमैन जिले का कलेक्टर हुआ करता था और अब गैर-सरकारी लोग हैं । उन्होंने मेरे बयानों को पढ़ कर भी सुनाया कि कैबिनेट की सब-कमेटी बनी जिसने ला डिपार्टमेंट को भेज दिया और वहां क्या हुआ । वह भूल गये कि सात-आठ महीने तक मैं नहीं था और उस बीच जो थे उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मीशंकर यादव]

आज भी वह सब-कमेटी के सामने है । उतने ही नियम नहीं हैं, और नियमों का भी संशोधन हुआ है और अब वह सारी चीज संशोधित होकर आयेगी जैसा कि वे चाहते हैं । साथ ही कई लोगों ने सुपरवाइजर की बाबत कहा । विश्वनाथ कपूर जी ने कहा कि पी०सी०एफ० के सेक्रेटरी हैं उन्हें आदेश दे दिये जायं कि पांच वर्ष के बाद सुपरवाइजर का ट्रांसफर कर दिया जाय । मैंने उनके आदेशों का पालन आज से महीने भर पहले ही कर दिया है और यह आदेश दे दिया है कि ५ वर्ष से ऊपर की जिन सुपरवाइजरों की सेवायें हो चुकी हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाय । जितना उनका गुणगान यहां हुआ, मैं उनसे ज्यादा कर सकता हूं । मुझे सब मालूम है । लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ट्रांसफर में मदद करें । यह कोशिश करें कि वे लोग अगर ट्रांसफर हो तो जायें, न कि उनके ट्रांसफर को रुकवाने की कोशिश करें ।

एक सदस्य--

क्या आपने अपनी ही कलम से कानपुर के ऐसे सुपरवाइजर का ट्रांसफर स्थगित किया है जो दसियों वर्षों से वहां पर काम कर रहा है और जिसके विरुद्ध तमाम भ्रष्टाचार आदि के आरोप हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इस वक्त तो मुझे उसकी जानकारी है नहीं । किन्तु मैंने यह आदेश दे दिये हैं कि ५ वर्ष से ज्यादा कोई सुपरवाइजर एक जगह न रहे । अब इसे कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश की जायेगी । मेरा विश्वास है कि यह हो जायेगा ।

दूसरी बात यह कही गयी कि सुपरवाइजर्स किसी के कंट्रोल में नहीं रहते । विभाग इस प्रश्न पर भी विचार कर रहा है कि उनको सरकारी कर दिया जाय । इस संबंध में हमनें रिजर्व बैंक के अधिकारियों से बुलाकर बातें भी की हैं और मौखिक रूप से उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है ।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

मैं मंत्री जी की इसलिये सराहना करता हूं कि वे भ्रष्टाचार दूर करने के लिये उतारू है, प्रयत्नशील हैं, किन्तु क्या उन सुपरवाइजरों को भी लेंगे जो पी०सी०एफ० में चले गये हैं या दूसरों जगह पर काम कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मैं महीलाल जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं । जब सुपरवाइजर को सरकारी किया जायेगा तो सारे सुपरवाइजरों के प्रश्न पर विचार किया जायेगा वे चाहें कहीं भी हो । इसमें यह भी नहीं होगा कि सभी को ले ही लिया जाय। जो अच्छे होंगे उनको लिया जायेगा, बाहर के लोगों को भी लिया जा सकता है । सरकारीकरण होने के मानी यह नहीं होंगे कि सभी को ले ही लिया जाय । जिनका कार्य अच्छा नहीं होगा उनको नहीं लिया जायेगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी केन कोआपरेटिव सोसाइटियों के सुपरवाइजर्स के बारे में भी यही चीज लागू करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मेरा उससे संबंध नहीं है । तो मैं यह कह रहा था कि सरकारीकरण करने का प्रश्न विचाराधीन है और जब हम सारी रूपरेखा उसकी तैयार कर लेंगे तो उसको रिजर्व बैंक के पास भेजेंगे, वैसे मौखिक स्वीकृति उनकी मिल चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

उत्तर प्रदेश की सहकारिता, १९७१ की पुस्तिका में ऋण देने के नियमों में लिखा है कि भूमिधरी के लगान का ५३३ गुना और सीरदार भूमि के लगान का २५० गुना ऋण पा सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तर क्यों है, क्या आप इसको खत्म करने की कृपा करेंगे क्योंकि गरीब ही लोग सीरदार हैं। उनको कर्ज कम मिलने से वे नलकूप तथा पम्पिंग सेट आदि की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मैंने सबेरे भूमिधरों के बारे में कहा था, सीरदारों के बारे में नहीं कहा था, इसलिए माननीय सदस्य को पूछने की जरूरत पड़ी। उनको मालूम होना चाहिए कि भूमिधरी में भूमि की लगान का ५३३ गुना का ५० प्रतिशत और सीरदारी में भूमि के लगान का २५० गुना का ४० प्रतिशत रखा गया है। इसमें हम ने ७५ फीसदी तक की गारन्टी दे रखी है, जिसके माने हैं कि भूमिधरी में ५० फीसदी है और २५ फीसदी की गारन्टी दे रही है, और सीरदारी के मामले में ३५ फीसदी की दे सकते हैं। इससे छोटे किसान को लाभ हो जायगा। इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के लिए वह पैसा लेता है, उसकी भी कीमत लगाकर ५० फीसदी तक यदि ३ हजार रुपये से ज्यादा न हो, वह उनको मिल सकेगा। यह छोटे किसानों के हित में रखा गया है।

समय की कमी के कारण मैं कुछ अधिक न कह कर इतना ही और कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सारे सुझावों पर चलने की कोशिश करूंगा। एक बात और कह देना चाहता हूं यहां पर हरित-क्रांति की चर्चा आई। उसके सिलसिले में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं--वह हुई यद्यपि उसमें सबसे बड़ा हाथ विज्ञान का है, लेकिन सहकारिता आन्दोलन का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज २९ लाख एकड़ भूमि, में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ३१ दिसम्बर, ७० तक ७८,७६२ नलकूप, २४,००० रहट, ५१,४४६ पम्पिंग सेट्स तथा ८९,५१५ कुएं बनाये जा चुके हैं, जिनसे लगभग २९ लाख एकड़ भूमि की सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। इसको देखते हुए यह कहना कि हरित क्रांति में सहकारिता आन्दोलन का कोई हाथ नहीं है। उचित नहीं है। नगदी कर्ज, खाद बीज वगैरह के लिए भी दिया जा सकता है।

त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा, डी० सी० डी० एफ० के बारे में कहा था कि सरकार का हिस्सा किसी भी संस्था में ६० फीसदी हो तो उसमें दो सदस्य सरकार की तरफ से नामजद होते हैं--एक सरकारी व्यक्ति का होता है और एक गैर-सरकारी। ६० फीसदी से ज्यादा होता है तो उसकी ज्यादा की दूसरी व्यवस्था है। १९ सितम्बर, ७० को पी० सी० एफ० में सरकार ने नामीनेशन किया, उस वक्त में हिस्सा ३५.२ लाख रहा है--२० लाख सरकार का और शेष संस्था का अपना था। तो यह तो ६० फीसदी से ज्यादा था। सरकार ने नामनेशन किया। उसके बाद नामिनेशन सरकार ने कब किया। मैं ही तब था, जबकि हमारी और बी० के० डी० की संयुक्त सरकार थी, उस समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री की राय से यह किया गया था। उसकी हाईकोर्ट में रिट दायर हुई। हाईकोर्ट में भी माना कि वह सही था। फिर भी साथी ने हमारे कहा कि हिस्सा था नहीं लेकिन नामिनेशन कर दिया गया। बीच की सरकार ने उसे बदल किया, किन्तु हमने फिर नामिनेशन किया।

साथ ही उन्होंने कहा कि नामिनेशन हरिजनों का नहीं होता। उस वक्त जो दस डाइरेक्टर नामिनेट हुए थे कृपा करके उस वक्त की लिस्ट देख लें। उसमें दो हरिजन थे। उसी तरह जो इस वक्त बोर्ड नामिनेटेड हुआ, दस डाइरेक्टर नामिनेट हुए हैं। दसों सरकारी हैं। आज यह कहा जा रहा है कि कोई कोआपरेटर नहीं मिला गैर सरकारी। अगर कोआपरेटर बना दिया गया तब यह कहा जाता कि पार्टी के लोगों को बना दिया गया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

पी० सी० एफ० में भ्रष्टाचार, गोलमाल, बकाया और गड़बड़ी है, कहा जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को वहां पर बनाया जो तमाम चीजों को देख सकेंगे और देख कर सही रास्ते पर ला सकगे। ऐसा प्रयास है और मोटे तौर पर हमारा यह प्रयास है कि जितनी कमियां और गड़बड़ियां हैं वह दूर हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्य इस अनुदान को पास करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६५,२४,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनसंघ के जिला संगठन मंत्री को चारबाग स्टेशन पर पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना को स्वीकार करने की मांग---अस्वीकृत

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। जरा आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर यह श्रीमन्, हमारे पुलिस विभाग के मत्थे के ऊपर कलंक का दाग है। मैंने नियम ५१ का प्रश्न दिया था। जनसंघ के जिला संगठन मन्त्री चारबाग स्टेशन पर गये। वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा था। उसको रोकने के लिए उन्होंने बीच में आने की कोशिश की। पुलिस ने उनको इतना पीटा है कि उनका सारा शरीर लहूलहान हो गया, उनकी सारी धोती खून से सन गई। (रक्त के धब्बों से युक्त कपड़ा दिखाया गया) इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-सा होगा। जिसको आप स्वीकार करेंगे? सारे प्रदेश के अन्दर सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है वह यह है कि उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। उनके प्रति सरकार इतना दुर्लक्ष्य कर रही है। फिर उस कार्यकर्ता को, जो नेता हैं, उनको कोतवाली में पकड़ कर ले गये, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आपने उसे नियम ५१ के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया। यह इतना खेदजनक है, सारे प्रदेश के अन्दर सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं में असन्तोष और रोष है। मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय पर अवश्य चर्चा दें। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि और बलपूर्वक करेंगे कि आप इस विषय को स्वीकार करें। आप ऐसे विषयों पर, एक लड़की चली गई किसी के साथ, अपनी मर्जी से गई कैसे गई उस पर नियम ५१ हो गया। मैं आप को दिखा रहा हूं, सार्वजनिक कार्यकर्ता, जिला स्तर का संगठन मन्त्री है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। आप इसके अन्दर कोई व्यवस्था दें। ऐसा अत्याचार हो रहा है। सब लोगों का जीवन असुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने अस्वीकार किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन के अन्दर हम लोग कैसे रह पायेंगे? कसे सार्वजनिक जीवन चल पायेगा? आप इस सरकार से इतना पूछ लें उस राजनीतिक कार्यकर्ता को क्यों पीटा गया, उसको पीट पीट कर लहूलहान कर दिया। जमीन पर गिरा दिया, घसीट कर कोतवाली ले गये। आखिर क्या अन्याय किया था? आखिर इस विषय के अन्दर हमारी भावनाओं का आप विचार नहीं करेंगे? सब लोगों की तरफ से गया और आपने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

नित्यानन्द जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्व का है। उसे आप नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार करें। जो हमारी पार्टी की तरफ से आये हैं प्रश्न उनको हम प्रेस नहीं करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मेरा प्रश्न नित्यानन्द जी के प्रश्न से भी गंभीर है। मुजफ्फरनगर के जाटों द्वारा २६-२७ जुलाई को हरिजनों के घरों को जलाया गया और उनको मारा पीटा गया तथा पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

नित्यानन्द जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह आप कह सकते थे कि पुलिस का अनुदान आये तो कह लीजियेगा लेकिन वह अनुदान समाप्त हो चुका है। उसके बाद यह घटना हुई है। इसलिये उनको उस पर कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसको आप ५१ के अन्तर्गत स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से सदन में कपड़े या कुछ दिखा कर कैसे काम चलेगा? यह मुझसे कह सकते थे। इससे भी ज्यादा महत्व के प्रश्न आये हैं तीन-तीन हत्याओं के एक दिन में। हमको एक स्टैन्डर्ड लेकर चलना पड़ेगा। किसी राजनीतिक कार्यकर्त्ता के बारे में यह घटना हुई है। ऐसे ही अगर सब मार पीट तथा हत्याओं के बारे में होने लगे तो आखिर किस-किस को स्वीकार किया जायगा?

श्री बंशीधर पांडेय---

वह राजनीतिक पार्टी का एक कनवीनर कार्यकर्त्ता है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी भेज दूंगा कि वह इस पर कार्यवाही करें। लेकिन जितने भी कत्ल हों और कोई मामूली व्यक्ति हो तो उनका भी अपना महत्व है। उनको न लिया जाय और इसको ले लिया जाय तो दो स्टैन्डर्ड हो जायंगे। मेरे सामने एक मार पीट का आया है, एक हत्या का आया है तो किसी एक मामूली आदमी का मामला, जो किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है, भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह शख्स पोलिटिक्स पार्टी का सेक्रेटरी है और कल दूसरी पार्टी का भी सेक्रेटरी हो सकता है जो आज ताकत में है। ऐसी परिस्थिति में मेरा अपना खयाल है कि यह आप स्वीकार कर लें

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री के पास इसे भेज दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस प्रकार आप श्रीमन्, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं जबकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

जनता को अगर यह मालूम हो कि कुछ कपड़े दिखा कर एक व्यक्ति का सवाल स्वीकृत किया गया तो यह कहां तक उचित होगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह कपड़े दिखाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि इस प्रदेश की पुलिस कितनी जालिम और बरबर हो चुकी है। यह उसके लिये एक उदाहरण मात्र है। फिर आपने अभी बताया कि इससे भी संगीन प्रश्न आपके पास आये हैं। तीन-तीन कत्ल हुए दिन में। यह सब तब है जब पुलिस की ग्रान्ट पर सारे सदस्यों ने अपने विचार अभी दो दिन ही हुए, व्यक्त किये हैं। उसके बाद यह स्थिति आती है। मेरा इसीलिये निवेदन है कि पुलिस विभाग तथा गृह मंत्रालय को चेतावनी देने के लिये तथा पुलिस को जन सेवक बनाने के लिये आप इस प्रश्न को नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार करें। आपको पूरी क्षमता है कि आप इसे नियम ५२ के अन्तर्गत दो-ढाई घन्टे की चर्चा इसमें करा दें और मान्यवर, सबसे बेहतर रास्ता यही है।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी लोग नियम ५२ पर नोटिस देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं आपकी यह मजबूरी समझ रहा हूं किन्तु यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की पुलिस जालिमाना और जंगलीपन का बर्ताव कर रही है.... (व्यवधान) मान्यवर, इसमें माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने, माननीय बंशीधर जी ने और मैंने निवेदन किया है उसे आप अस्वीकार कर लें और जो नोटिस माननीय नित्यानन्द जी स्वामी ने दिया है उसको स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि इस सदन में ४२६ समाननीय सदस्य हैं और रोजबरोज सभी लोग नियम ५२ के अन्तर्गत विवाद करेंगे तो कैसे होगा ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने जब उसे अस्वीकार कर लिया है तो अब आप इसको ले लें....

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, अभी आपने ४२६ सदस्यों वाली बात कही उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि जो सरकार यहां पर १९६२-६७ में थी जिस समय कि माननीय स्वर्गीय श्री मदन मोहन वर्मा जी स्पीकर थे, उस समय इलाहाबाद के एक पी०एस०पी०वर्कर के ऊपर शालिगराम जायसवाल के सम्बन्ध में एक घटना हुई थी। उस समय हरगोविन्द सिंह मंत्री थे और मैं उनका पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था। तो उन्होंने इस प्रश्न पर इजाजत दे दी थी। मान्यवर, हमको कोई शौक नहीं है कि किसी घटना पर यों ही चर्चा का समय मांगें। यह पुलिस का मामला है और बड़ा अहम प्रश्न है .....इस घटना का अब एक पोलिटिकल टर्न हो गया है और चाहे वह न हो, किन्तु जब तक वह अदहवाइज प्रूफ न हो, इसको अवश्य लिया जाना चाहिये। सात-आठ साल में यह घटना घटी है .....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह पुलिस से संबंधित मामला है...

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही घाटे में रहता है और उसकी कोई नहीं सुनता है.....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप माननीय महीलाल जी को न सुनें। आप इस प्रश्न पर संतोषपूर्वक उत्तर दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर सरकार की तरफ से अन्याय हो रहा है तो आपकी तरफ से अन्याय नहीं होना चाहिये। माननीय बंशीधर जी ने, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने और कई अन्य माननीय सदस्यों ने आप से निवेदन किया कि जब आपने इसे नियम ५१ में अस्वीकार कर दिया है तो नियम ५२ के लिये इसे स्वीकार कर लें। यह एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर जन जीवन का प्रश्न है। हम इस विषय को भूल जायं, यह कैसे सम्भव हो सकता है ...

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी दृष्टि से.....(व्यवधान) अब आप उत्तेजित न हों।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कब से खड़ा हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया शांति से बैठ जांय। प्रश्न सिर्फ यह है कि मुझे फिर से देखना पड़ेगा कि जितने भी इस प्रकार के सवाल हैं उन सभी को स्वीकार करूं। एक स्टैन्डर्ड से सदन को चलना चाहिये। इस पर विचार करेंगे। भिन्न-भिन्न स्टैन्डर्ड से सदन नहीं चलना चाहिये। अब हम आगे चलते हैं। अल्प सूचित प्रश्न कर लिये जायं....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आप सिर्फ इतना तो कह दें कि आप इस प्रश्न को कल या परसों के लिये रखते हैं। आप कोई आश्वासन तो दे दें .....

श्री उपाध्यक्ष—

अपोजीशन के माननीय सदस्य कहते हैं हमारी बात पूरी नहीं हुई..... (व्यवधान) तो मुझे आत्मिक संतोष मिलना चाहिये.....मुझे प्रतिपक्ष के नेताओं की राय में अविश्वास नहीं है.....किन्तु उसमें एक निर्णय होगा.....

(घोर व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मैं आपका ध्यान बराबर खींच रहा हूं...

(व्यवधान)

आतंकित करने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके दिमाग में यह बात घुस गयी कि एक व्यक्ति विशेष ने मारा। उसका खून भी है और इस निश्चित बात को....

(व्यवधान)

श्री नित्यनन्द स्वामी—

(शोर में सुनाई नहीं दिया, श्री शंकर प्रसाद जायसवाल भी बोलते रहे) इस सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

विष्णु प्रताप शुगर मिल लिमिटेड, खड्डा, जिला देवरिया पर मजदूरों का बकाया तथा प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने के मूल्य के रूप में करोड़ों रुपया बकाया होने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

[नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर ३०-६-१९७१ को गन्ना मूल्य के बकाये का स्थिति निम्न प्रकार थी :

गन्ना मूल्य बकाया		लाख रुपया
(क) सीजन १९७०-७१ से पूर्व सीजनों का ..	..	२६२.३२
(ख) सीजन १९७०-७१ का ..	..	१३६४.०१
	योग ..	१६२६.३३

२—जो बकाया १९७०-७१ के पूर्व सीजनों का बकाया गया है उसमें से १.६७ करोड़ रुपया वर्ष १९६९-७० के सीजन के गन्ना मूल्य का बकाया है तथा शेष धनराशि १९६९-७० के पूर्व सीजन की है। वर्ष १९६९-७० में चीनी मिलों ने लगभग १२८ करोड़ रु० का गन्ना किसानों से खरीदा था जिसमें ३०-६-७१ को केवल १.६७ करोड़ रुपया देना रह गया था। यह उल्लेखनीय है कि ३०-६-७० को १९६९-७० के गन्ना मूल्य का लगभग १४ करोड़ ८ लाख रुपया बकाया था जिसमें से अधिकांश बकाया का भुगतान हो चुका

[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

है। वर्ष १९७०–७१ के सीजन में चीनी मिलों ने लगभग १०० करोड़ २० लाख रुपया का गन्ना खरीदा था जिसमें से ३०–६–७१ तक लगभग ८६ करोड़ ५६ लाख रुपया भुगतान किया जा चुका था। १५–७–७१ तक की प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य की तरफ अतिरिक्त एक करोड़ सात लाख रुपया का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार वर्ष १९७०–७१ का अब केवल १२ प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

३—प्रदेश की चीनी मिलों पर सीजन १९५८–५९ से १९६१–६२ तक के सीजनों का १०३.४४ लाख रुपया अतिरिक्त गन्ना मूल्य की ओर बकाया है जिसमें से ७३.८८ लाख रुपया न्यायालय द्वारा जारी किये गये रोधनादेशों के अन्तर्गत है। शेष धनराशि के विरुद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। यह उल्लखनीय है कि इस अतिरिक्त गन्ना मूल्य का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से वर्ष १९६८–६९ में ही किया गया था।

४—राज्य सरकार चीनी मिलों से कृषकों को शीघ्रातिशीघ्र गन्ने के मूल्य का भुगतान कराने के लिये सदैव जागरूक रही है और इसी के फलस्वरुप अधिकांश गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। गन्ना मूल्य के बकाये के शीघ्र भुगतान हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर जो कार्यवाहियां की हैं उनका संक्षिप्त वर्णन मैं कर देना चाहता हूं। सीजन के आरम्भ में ही राज्य सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये थे कि वह चीनी मिलों से गन्ना मूल्य को भुगतान कराने के विषय को प्राथमिकता दें जिलाधिकारियों ने जहां आवश्यक हुआ मिल मालिकों से यू० पी० शुगर केन (रेगुलेशन आफ सप्लाई एंड परचेज) रूल्स १९५४ के नियम ४८ (ए) के अन्तर्गत औपचारिक व्यवस्था की जिसके अनुसार बैंकों से मिलने वाली अग्रिम धनराशि का निर्धारित अंश गन्ना मूल्य के भुगतान की ओर देय हुआ। जहां यह अनुभव किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही अपर्याप्त होगी वहां रिकवरी प्रमाणपत्र जारी कर दिय गये हैं जिससे चीनी मिलों के विरुद्ध अग्रिम उत्पीड़क कार्यवाही सम्भव हो सके। अभी तक ४७ चीनी मिलों के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं। कलेक्टरों द्वारा जगह-जगह मिलों की सम्पत्ति की कुर्की की गई और चीनी के बोरों या उन पर उपलब्ध मारजिन मनी को कुर्क कर लिया गया ताकि बोरे बिकने पर जो रुपया उपलब्ध हो वे गन्ना मूल्य, श्रमिकों का वेतन और अन्य आवश्यक मदों पर ही व्यय हो। सदन की बात है कि जिलाधिकारियों द्वारा मार्च, १९७० में १८ चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त किये गये थे जिनमें से सात मिलों ने बकाया तुरन्त अदा कर दिया था और सात मिलों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर दी थीं और न्यायालय के अन्तरिम आदेशों द्वारा काये के भुगतान की किश्तें बांध कर रिसीवरों को काम करने से रोक दिया था। १९७०–७१ के सीजन में दीवाला चीनी मिल में जिलाधिकारी द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की गई थी और उच्च न्यायालय ने खडडा मिल में रिसीवर को पुनः स्थापित कर दिया। इस प्रकार इस मौसम में ८ मिलों में रिसीवर काम करते रहे। २ मिलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आथराइज्ड कन्ट्रोलर कार्य कर रहे थे। वर्ष १९७०–७१ सीजन में गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु कुछ ऐसी कार्यवाही की गई जो इससे पूर्व कभी नहीं की गई थी। जिलाधिकारियों द्वारा ६ चीनी मिलों, बुलन्दशहर, बाराबंकी, रामकोला (खेतान), अमरोहा, बुढ़वल तथा भटनी के विरुद्ध नीलामी के लिये विज्ञप्ति जारी की गई परन्तु इन चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय में मुकदमें दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। एक चीनी मिल के मालिक को राजस्व नियमों के अन्तर्गत बंदी बनाया गया परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उनको रिहा करना पड़ा।

५—जिन मिलों ने कुप्रवन्ध या निरन्तर गन्ना मूल्य का बकाया छोड़न के कारण इन क्षेत्रों में जहां वे स्थापित हैं एक गम्भीर समस्या पैदा कर दी थी इसको सुधारन के लिये केवल सरकार

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

को इन्हें अधिग्रहण का ही रास्ता रह गया था। इस प्रकार १२ मिलों का अर्जन अध्यादेश द्वारा किया गया। इससे आइन्दा गन्ना मूल्य और मजदूरों का वेतन दिलवाने में सुविधा होगी।

यह सही नहीं है कि मुआवजे के मामले में गन्ना मूल्य को सबसे नीचे रखा गया हो परन्तु इसमें और क्या परिवर्तन हो सकता है इस पर सरकार विचार कर रही है।

६—उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जायगा कि गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान के लिये हर संभव कार्यवाही समय-समय पर की गई है। राज्य सरकार इस सदन को यह आश्वासन देना चाहती है कि गन्ना उत्पादकों के बकायों को दिलवाने के लिये भविष्य में भी हर सम्भव कार्यवाही की जायगी।

७—वर्ष १९६९–७० में चीनी उद्योग में जो असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बारे में सदन को ज्ञात ही है। उस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों ने न केवल अधिकतम गन्ना पेरा तथा देर तक पेराई की बल्कि अधिकतम चीनी का उत्पादन भी किया। चीनी के उत्पादन का एक बड़ा अंश इस वर्ष चीनी मिलों द्वारा कैरी ओवर किया गया जिसके उठने की धीमी गति के कारण चीनी मिलों को काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि चीनी का एक बफर स्टाक बना लिया जाय और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो एक रिजर्व स्टाक बनाया जाय जिसके जरिये चीनी के स्टाक पर मिलने वाला मारजिन मिलों को प्राप्त हो जाय और गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सके। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। बैंकों से पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट मिलने में भी चीनी मिलों को कठिनाई हुई है। यह कठिनाई बैंकों द्वारा प्रति बोरा अग्रिम दिये जाने की मात्रा में कमी होने से और भी बढ़ गई। इन कारणों से गन्ना मूल्य देने में कुछ मिलों को अधिक कठिनाई हुई है। अभी हाल ही में २५–५–७१ को भारत सरकार ने चीनी के मूल्य पर से कंट्रोल हटा लिया, आशा है कि इससे कुछ मदद मिलेगी।

८—चर्चा की मांग के नोटिसों में माननीय सदस्यों ने कुछ मिलों के बारे में विशेष बातें उठाई हैं उनको भी संक्षिप्त में स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

[बरेली चीनी मिल द्वारा पर्चियों पर गन्ने की कीमत अंकित न किये जाने के बारे में वर्ष १९७०–७१ मौसम में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।]

इस मिल में मार्च, १९७० में एक रिसीवर की नियुक्ति हुई थी परन्तु मई, १९७० में उच्च न्यायालय ने कुछ किस्तें बांध कर रिसीवर को कार्य करने से रोक दिया। मिल किस्तें अदा करती रही परन्तु मई, १९७१ के अन्त में मिल द्वारा दिये गये कुछ चेक डिसआनर हो गये। मिल ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर ३-६-१९७१ तक देय किस्त के लिये एक महीने का समय ले लिया और मई व जून में हुई देरी को माफ कर दिया। अक्टूबर १९७१ तक चीनी मिल को एक लाख रुपया और फिर ५ लाख रु० प्रति माह जमा करने के आदेश न्यायालय ने दिये। शाहजहांपुर में स्थित तिलहर क्रय केन्द्र वर्ष १९७०–७१ में रोजा चीनी मिल के लिये सुरक्षित था। इस चीनी मिल ने उच्च न्यायालय की शरण ले ली है और किश्तें बंधवा लीं। मीरनपुर-कटरा क्रय केन्द्र बरेली मिल को सुरक्षित और इस मिल ने भी उच्च न्यायालय की शरण ले ली।

९—माननीय सदस्यगण श्री गोविन्द सिंह नेगी और श्री शिवकैलाश ने बुढ़वल चीनी मिल के बारे में विशेष रूप से कुछ बातें उठाई हैं। इस मिल के ऊपर १९६८–६९ का ११.६७ लाख रुपया, १९६९–७० का १८.६२ लाख रुपया और १९७०–७१ का १७.७८ लाख रुपया बाकी है। इस मिल की तकनीकी हालत भी सोचनीय है और पिछले कई वर्षों से उचित रखरखाव और मरम्मत नहीं हुई जिसके कारण चीनी की रिकवरी कम होती आई है।

१०—रिसीवर ने मिल की हालत सुधारने के लिये हर प्रकार प्रयत्न किया। सरकार ने अपनी गारन्टी देकर १४ लाख रुपया मिल को विशेष मरम्मत के लिये पिछले वर्ष दिलवाया जिसके कारण मिल के कार्य में कुछ सुधार आया जब कि ३० अप्रैल तक १९६८–६९ में चीनी के लासेज ३.३०% थे और १९७०–७१ में केवल २.८६ रह गये। चीनी की रिकवरी अच्छी रही परन्तु यह कहना अभी कठिन है कि १९७०–७१ में मिल को लाभ होगा या नहीं। १–७–१९७१ तक मिल ने ६४.२९ लाख रुपया का गन्ना खरीदा था जिसमें से ४६.५१ लाख रुपया का भुगतान कर दिया तथा मिल के पास ६२,२०० बोरे चीनी बनी पड़ी थी जिस पर लगभग १८ लाख रुपया मार्जिन का उपलब्ध था।

११—मिल का पिछले वर्ष पूरा रुपया गन्ना मूल्य का न देने का केवल एक कारण यह था कि मिल मालिकों के पुराने खाते में लाखों रुपये की कमी थी और बैंक ने रिसीवर को रुपया देने से पहले इस बात पर बाध्य किया कि वे ७ रुपया प्रति बोरा कटौती करके बैंक का डेफिसिट पूरा करेंगे। इस प्रकार रिसीवर ने २० लाख रुपया मिल मालिकों के पुराने खाते की कमी को पूरा करने में दिया। जो रुपया सरकार ने मरम्मत के लिये दिलवाया था उसमें से ८ लाख मिल द्वारा बैंक को वापस करना पड़ा। यदि यह धनराशि देनी होती तो गन्ना मूल्य का अधिकांश भाग दे दिया जाता।

१२—माननीय सदस्य सर्वश्री वासुदेव सिंह वैश्य, पारसनाथ सिंह और राम सिंह ने नरवल चीनी मिल के ऊपर गन्ना मूल्य के बकाया के बारे में कुछ बातें उठाई हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ३०–६–७१ को इस मिल पर कुल ६९.३८ लाख रुपया गन्ना मूल्य, कमीशन व ब्याज के रूप में बकाया था। इसमें से लगभग २२ लाख १९७०–७१ सीजन का है और बाकी उससे पूर्व सीजनों का बकाया है।

१३—सदन को मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस मिल पर चढ़े बकाया के भुगतान के लिये सरकार ने फैक्टरी के मालिकों से १९६४ से समय-समय पर समझौता किया है। इस समझौते के अन्तर्गत सरकार द्वारा नामांकित एक वरिष्ठ अधिकारी फैक्टरी के जनरल मैनेजर के पद पर कार्य करता है। कम्पनी ने पुरानी बकाया के भुगतान का उत्तरदायित्व लेते हुये यह स्वीकार किया है कि चीनी के बोरों पर मिलने वाले एडवान्स और मार्जिन में से एक निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त सारी धनराशि गन्ना मूल्य व क्रय कर के भुगतान के लिये इस्तेमाल की जायेगी। इस प्रकार सरकार ने यह बात निश्चित रूप से तय करने का प्रयत्न किया है कि जितना अग्रिम धन बैंक से मिल को प्राप्त हो या जो भी मार्जिन मिले उसका दुरुपयोग न हो। मिल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में स्थापित होने के कारण केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया गया कि चीनी के कुल बोरों को बिक्री के लिये छोड़ दिया जावे और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से आदेश भी प्राप्त हो गये हैं। आशा है कि इससे अब गन्ना मूल्य शीघ्र अदा करने में सुविधा मिलेगी। इस मिल का दीर्घकाल समाधान यही है कि इसका पुनर्वासन और नवीनीकरण किया जाये। इस उद्देश्य से ३–७–७१ को मिल का अर्जन भी सरकार ने किया था परन्तु वह उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

१४—माननीय सदस्य सर्वश्री रामधारी शास्त्री, बांकेलाल और हरिवंश सहाय ने खड्डा चीनी मिल के मजदूरों और गन्ना उत्पादकों के बकाया के संबंध में कुछ बातें उठाई हैं। इस मिल पर बकाया की वसूली के लिये मार्च, १९७० में जिलाधिकारी द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था, किन्तु मई १९७० को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बकाया की किश्तें बांध दी गई और रिसीवर को कार्य करने से रोक दिया गया। मिल ने कुछ किश्तें अदा करने के बाद ढील डाली और किश्तें मुल्तवी करवाने या कम करवाने का प्रयत्न करने लगे। दिसम्बर, १९७० तक मिल के चलने के आसार न होने के कारण इस क्षेत्र का गन्ना इधर-उधर बांटना पड़ा और उपरोक्त परिस्थिति में मिल मालिकों से कहा गया कि वह इस बात का आश्वासन दें कि चालू

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

मौसम का गन्ना मूल्य समय से देंगे और इस सिलसिले में बैंक से ऐसा प्रबन्ध करेंगे जो पूरे पेराई मौसम भर बना रहेगा। मिल मालिक ऐसी गारन्टी नहीं दे सके, और उच्च न्यायालय में इस मांग के विरुद्ध रिट दायर कर दी। न्यायालय ने १९-२-१९७१ को यह आदेश दिया कि मिल के लिये गन्ना आरक्षित कर दिया जाय और मिल खरीदें गन्ने का भुगतान हर आठवें दिन करेगी। फरवरी के अन्त में मिल इस प्रकार चली परन्तु अप्रैल में आकर फिर रुक गई और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोबारा रिसीवर को कार्य करने की आज्ञा प्रदान की गई। २०-४-१९७१ को रिसीवर ने कार्यभार संभाला। ३-७-७१ को इस मिल को अधिग्रहण कर लिया गया और यह स्टेट सुगर कारपोरेशन में निहित हो गई।

१५--इस मिल में लगभग १,०२७ श्रमिक पेराई मौसम में तथा २७० श्रमिक गैर पेराई मौसम में रहते हैं। श्रमिकों को अक्टूबर, १९७० से मिल मालिकों ने वेतन का भुगतान नहीं किया है जिस अवधि में उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा मिल उनको चलाने के लिये वापिस कर दी गई थी। इस अवधि का देय वेतन ७.६६ लाख रुपया होता है और मई व जून, १९७१ का देय भुगतान केवल १.८० लाख रुपया है। अक्टूबर, १९७० से मार्च, १९७१ की अवधि का भगतान न करने के कारण वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 'डायरेक्शन' के मुकदमे परगनाधिकारी, हाटा के न्यायालय में दायर किये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त श्रमिकों को द्वितीय चीनी वेतन मंडल की अनुशंसाओं के अनुसार न तो वेतन वृद्धि का भुगतान तथा न ही एरियर का भुगतान किया गया है और १९६९-७० का रिटेनिंग एलाउन्स इत्यादि भी बाकी है इस सिलसिले में मालिकों को कारण-दिखाओं नोटिस जारी किया जा चुका है। और संबंधित श्रमिकों को यह सुझाव भी दिया गया था कि वे संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत संगणना करवायें किन्तु किसी भी श्रमिक द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही अभी नहीं हुई है।

जहां तक सरकार द्वारा गारन्टी देने का प्रश्न है चीनी के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के बाद यह सोचा जा रहा था कि रिसीवर को चालू पूंजी किस प्रकार उपलब्ध की जाये। साथ ही साथ मिल के अर्जन का प्रस्ताव भी विचाराधीन था। अब यह मिल शुगर कारपोरेशन में निहित हो गई है इसलिये गारन्टी दी जा सकेगी। चीनी मिलों के अर्जन से संबंधित अध्यादेश के प्राविधान के अनुसार जो मुआवजा और चीनी के बेचने से मार्जिन उपलब्ध होगा उसमें से गन्ना मूल्य और श्रमिकों का बकाया दिया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।]

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

इसको पढ़ा हुआ माना जाय, श्रीमन्। अब सवाल जवाब होने लगें ?

श्री उपाध्यक्ष--

तो इसको पढ़ा हुआ माना जाय ? (कुछ देर बाद) ठीक है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, पृष्ठ १ पर आपने लिखा है कि १४ करोड़ का जो बकाया है उसमें अधिकांश भुगतान हो चुका है और १०० करोड़ में से ८६ करोड़, ५६ लाख का भुगतान किया जा चुका है, तो इस अधिकांश में से कितना अंश सरकार ने भुगतान करा दिया है, किसानों का बकाया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अब जो पोजीशन है २०-६-७१ की, इसके मातहत २,८६,५६ हजार रुपया भुगतान किया जा रहा है। और १५-७-७१ तक प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिलों ने गन्ने का १,०७ लाख रुपये का भुगतान कर दिया है .....

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने यह पूछा था कि अधिकांश में कितना अंश ५०-६०-७० कितने फीसदी उन्होंने भुगतान किया है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इस वर्ष का केवल १२ प्रतिशत रह गया है, बाकी सारा भुगतान हो चुका है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने निवेदन किया कि कितना अंश . . . अगर बता सकें तो बता दें, वरना हमको दूसरा प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें · · · · ·

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

आप देखेंगे कि इस वक्तव्य में जितना बकाया है सब लिखा हुआ है । इसमें लिखा हुआ है कि १९७०-७१ में बकाया २,६२ लाख और १३ करोड़ ६४ लाख में से १ करोड़ ७ लाख रुपया १५ जुलाई, १९७१ तक भुगतान हो चुका है । इस प्रकार कुल १२ प्रतिशत ७०-७१ का बकाया है । इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सब उसमें है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १०३ करोड़ ४४ लाख रुपया जो कि ५८-५९ का बकाया है जिसमें से ७३.८८ लाख रुपये का न्यायालय से रोकनादेश भी हो चुका है, तो यह किस-किस अदालत से आदेश मिले हैं और सरकार ने उस आदेशों पर क्या कार्यवाही की और आगे उन्होंने कहा है कि रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिये गये हैं तो क्या उसके बाद मिल मालिकों की कार वगरह कुर्क की गयी ? क्या कार्यवाही हुई, उसका विवरण देने का कष्ट मंत्री जी करें ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जैसा कि मैंने निवेदन किया इन मिलों पर १०३.४४ लाख रुपया बकाया है, इसमें से जिन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है, उनको छोड़ कर बाकी के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं । अलहदा अलहदा क्या रिकवरी हुई है उसकी सूचना इस समय नहीं है ।

श्री महीलाल---

मैंने पूछा कि मिल मालिकों के खिलाफ जो रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू किया, उसकी तामील में क्या उनकी कुर्की की गयी या गिरफ्तारी की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसकी अलग-अलग सूचना हमारे पास इस समय नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा, जिला देवरिया पर १५ लाख रुपया शेष का और ४१ लाख रुपया किसानों का बकाया है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से यह सरकार आयी है, उसने इन मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

खड्डा पर १०.८० लाख रुपया बकाया है गन्ने के मूल्य का ।

श्री रामधारी शास्त्री---

माननीय मंत्री जी इसको ठीक कर लें, ६९-७० और ७०-७१ का खड्डा मिल पर गन्ने का किसानों का दाम ४१ लाख रुपया बकाया है। मंत्री जी की सूचना गलत है। मेरा प्रश्न यह है कि उस रुपये की वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इस मिल का अधिग्रहण राज्य सरकार ने किया। फिर यह हाईकोर्ट गये, वहां से स्टे तो न ला सके।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि यह मिल भी सरकार के हाथ में हैं और ४७ लाख रुपया इस पर बकाया है। इस मिल के किसान घाघरा की बाढ़ से पीड़ित हैं। मिल के सामने भूख हड़ताल चल रही है और विधान सभा के सामने भी भूख हड़ताल कर रहे है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे सकेंगे कि इन गन्ना उत्पादकों का पैसा इस मिल से शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जायगा। क्या यह आश्वासन उन भूख-हड़तालियों को दे दिया जायगा जो बाहर पड़े हुए हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

हम किसी को कोई गलत आश्वासन नहीं देना चाहते लेकिन हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि गन्ना उत्पादक और मजदूरों का बकाया पैसा जल्दी से जल्दी दिला दिया जाय।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ७०-७१ का एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली पर कितना रुपया बकाया है और उनके द्वारा कुल कितना गन्ना क्रय किया गया ? और क्या यह भी सही है कि उसके पेमेन्ट में फैक्ट्री के मैनेजर ने जो चेक कलेक्टर को दिया था वह बैंक से डिस-आनर हो गया है और इस प्रकार से किसानों को और कलक्टर को धोखा दिया गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली पर ३०-६-७१ तक १९.६९ लाख रुपया बकाया था। यह सही है कि उन्होंने कुछ चेक दिये थे जो बैंक से डिसआनर हो गये थे। उसके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था कि हम क्या कार्यवाही करें तब तक वह हाईकोर्ट में चले गये और अब हाई कोर्ट में मामला है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी की घोषणा करेगी कि जो रुपया प्रदेश भर में किसानों और मजदूरों का मिल मालिकान की तरफ बकाया है उसको खुद मय सूद के एक निश्चित समय के अन्दर अदा कर देंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र दिलान के लिय प्रयत्नशील हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

उनके पैरा ३ से संबंधित जो यह अतिरिक्त धन मिल मालिकों पर बकाया है, आपने लिखा है कि शेष धनराशि की वसूली के लिये प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं और १९६८-६९ में केन्द्रीय सरकार निर्णय ले चुकी तो १९६८-६९ को भी तो तीन वर्ष से अधिक हो चुके ह, तो इस बीच में जो प्रमाण-पत्र जारी किये हैं उन पर किस हिसाब से काश्तकारों को सूद दिया जायगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मिल मालिकों के साथ कोई रियायत नहीं की जायगी। उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी हो चुके हैं और कोई भी रियायत नहीं की जायगी।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

विष्णु प्रताप शुगर फैक्टरी, खड्डा के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह रिसीवर के अन्डर हैं यह बिल्कुल गलत है। यह मिल जो अब शुगर कारपोरेशन बना है उसके अन्डर है।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

पहले यह रिसीवर के अन्डर थी। बाद को अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण के बाद वह कोर्ट में चले गये थे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

कोर्ट में नहीं गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रामचन्द्र शुगर मिल, बाराबंकी और बुढ़वल शुगर मिल्स, बाराबंकी पर अलग-अलग किसानों का गन्ने का कितना मूल्य बाकी है और अधिग्रहण होने पर जो प्रतिकर देंगे उसमें जो मार्जिन चीनी पर मिलेगा उसकी धनराशि क्या होगी?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

बाराबंकी के सम्बन्ध में वर्तमान सीजन का २.७० लाख रुपया बकाया है और इससे पहले का ३१.४७ लाख रुपया बकाया है...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मेरा निश्चित सवाल है निश्चित जवाब दिलवा दें।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जरा फिर से सवाल कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

रामचन्द्र शुगर मिल्स, बाराबंकी और बुढ़वल शुगर मिल्स, बाराबंकी पर अलग-अलग अब तक का किसानों का कुल कितना बकाया है और मिल के प्रतिकर के रूप में जो मार्जिन मनी आप अदा करेंगे वह कितना है?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा कि मैंने निवेदन किया बाराबंकी पर २.७० लाख रुपया वर्तमान सीजन का और ३१.४२ लाख रुपया पिछले सीजनों का है और जो आपने अगला प्रश्न किया कि कितना मार्जिन मिलेगा, इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था चाहता हूं। जो साहित्य बांट दिया है वह हमने पढ़ लिया है। सवाल कुछ किया जाता है और जवाब कुछ आ रहा है। माननीय चन्द्र प्रताप नारायण सिंह ने सवाल किया, माननीय जायसवाल जी ने सवाल किया और मंत्री जी पढ़ कर बता रहे हैं। वह तो हमने पढ़ ही लिया है लेकिन उत्तर ठीक नहीं आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल उसके संबंध में होंगे तो उत्तर भी उसी पर आधारित होंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शुगर मिल बरेली ने जो मार्च, अप्रैल, मई में इस साल गन्ना खरीदा और जो उसकी पर्चियां किसानों को दी गई हैं उनमें किसानों के गन्ने का कोई मूल्य नहीं डाला गया? और वह क्यों नहीं डाला गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसका कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध चौधरी साहब की सरकार ने आदेश दिये थे कि बिना भाव गन्ना खरीदा जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं तो श्रीमन्, केवल इतना पूछ रहा हूं कि मार्च, अप्रैल और मई में इसी साल जो गन्ने की खरीद की पर्चियां किसानों को दी गईं उनमें गन्ने का मूल्य क्यों नहीं डाला गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी कोई सूचना शासन के पास नहीं है, वह निश्चित सूचना देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि गन्ने के मूल्य की बकाया के आधार पर जिन चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया उनके प्रतिकर से जो देय लायबिलिटीज का सीक्वेंस बनाया गया है उसमें किसानों के गन्ने के मूल्य की अदायगी को अन्तिम प्रायर्टी में रखा गया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसा नहीं है कि उसको अन्तिम स्थान पर रखा गया है बल्कि अभी यह प्रायर्टीज शासन के विचाराधीन हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

जुलाई, सन् ७० में जो एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ने बिना भाव के गन्ना खरीदा है क्या सरकार उसका भाव जल्द तय करके किसानों को उसका मूल्य दिलायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस संबंध में शीघ्र ही सरकार आदेश प्रसारित करेगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

विष्णु प्रताप शुगर मिल, खड्डा पर किसानों का ४१ लाख रुपया बकाया है और मजदूरों का १५ लाख बकाया है और प्रतिकर इतना नहीं है तो किसानों और मजदूरों का पैसा जो रह जायगा वह कहां से दिया जायगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

खड्डा के संबंध में सारी सूचना दे दी गई है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

जब इस मिल का जो खड्डा की है निश्चित मूल्य ८ लाख तय हो चुका है तो यह मजदूरों की बकाया जो १५ लाख की है और जो यह ४१ लाख रुपया किसानों के गन्ने की बकाया है उसको सरकार राइट आफ करायेगी या किसी तरह से वसूल करायेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जितनी भी बकाया धनराशि है चाहे वह किसानों की हो या मजदूरों की हो उस सबको दिलाने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी की जो शुगर की पालिसी है उसके सम्बन्ध में मैं अभी सब बातें सुन रहा था और मैं समझता हूं कि इन सारी बीमारियों की जड़ को दूर करने के लिये क्या मंत्री जी सोचेंगे और इसका एक मात्र उपाय यह है कि इन का नेशनेलाइजेशन फौरन कराया जाय लेकिन यह सरकार उसे कर करने से बराबर मुकर रही है।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

माननीय सदस्य की बात तथ्यहीन है, यह सरकार निजी स्वामित्व को समाप्त करने के लिये पूर्णतः कटिबद्ध है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं आप से ज्यादा हिन्दी बोली के इलाके का हूं, 'तथ्यहीन' शब्द का इस्तेमाल करने से पहले आप इस शब्द की परिभाषा समझ लें। तथ्यहीन उस जगह प्रयोग में आता है जहां पर कोई चीज आपने न कही हो और मैं कह रहा हूं। इस सरकार ने बराबर यह कहा है कि नेशनलाइजेशन करेंगे। बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में और मुजफ्फरनगर में आपने कहा। साझे की गवर्नमेंट में जब आप शामिल थे, उसमें कहा है तो फिर यह शब्द टेक ओवर कहां से आ गया है। इसमें और नेशनलाइजेशन शब्द में बहुत फर्क है। आप टेक ओवर को नेशनलाइजेशन के स्थान पर क्यों ला रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

आप इन्तजार कीजिए, दवा दी जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो प्रतिकर मिलों को मिल रहा है और जो मार्जिन मनी है, उसमें से किस प्रायोरिटी में भुगतान होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रायोरिटी का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री शिव राज सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि खड्डा मिल पर किसानों का ४१ लाख रुपया बकाया है और १५ लाख रुपया मजदूरों का बकाया है और मुआविजा ८ लाख रुपया तय हुआ है तो क्या सरकार शेष ४८ लाख रुपये की धनराशि को कन्सोलिडेटेड फंड से दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सरकार इसके प्रति जागरूक है और पूरा प्रयत्न कर रही है कि बकाया दिया जा सके।

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

श्रीमन्, इन चीनी मिलों की वजह से जनता जितनी परेशान है, वह आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री जी केवल ८ लाख रुपये का मुआविजा दे रहे हैं तो किस प्रकार से भुगतान हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

दो बार आप प्रश्न पूछ चुके हैं। अन्य भी माननीय सदस्य हैं। क्या उनको मौका न दिया जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की बकाया कीमत, सेस का बकाया, सोसाइटी का कमीशन यह प्रति वर्ष करोड़ों रुपया मिलों के ऊपर बकाया रह जाता है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, यदि वह गोपनीय न हो, कि वह क्या व्यवस्था है कि जिससे बकाया का रुपया न रहे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

हम इस सारी समस्या पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। कई वर्षों से इस प्रकार की बकाया आ रही है। पर इसको बताना जनहित में न होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे कि जो प्रतिकर में धन पड़ा होगा उसमें मजदूरों के वेतन की अदायगी और गन्ना उत्पादकों को मूल्य होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो माननीय सदस्य के सुझाव हैं, उस पर भी गम्भीरता से विचार किया जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया मिल मालिकों पर बकाया है उसकी अदायगी के लिए उन्हें कोई ऋण दिया है या केन्द्रीय सरकार से दिलाने की कोशिश की है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, अब ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि किसी को ऋण दिया है। अगर माननीय सदस्य निश्चित सूचना चाहेंगे तो मंगा कर बतला देंगे।

श्री राम पाल सिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, बिजनौर शुगर मिल पर २३ लाख रुपये बकाया है और चार महीने से मजदूरों का वेतन बकाया है। क्या सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, बिजनौर शुगर मिल एक बड़ी मशहूर मिल है। उसके "मालिक को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार भी किया गया था और वे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत पर छोड़े गये। सरकार इस सम्बन्ध में जो भी भरसक प्रयत्न होगा वह करेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आपने प्राविधान किया है अध्यादेश में कि पहले सरकारी टैक्स, उसके बाद सेक्योरिटी लोन्स और उसके बाद क्या और कोई पेमेन्ट होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है यह सारा प्रश्न शासन के विचाराधीन है--प्रायोरिटी के सम्बन्ध में।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि हर मिल से वे किसानों को पैसा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। बिजनौर के जो मिल मालिक बन्द किये थे वे छूट गये लिहाजा यू० पी० शुगर केन पर्चेज ऐक्ट में क्या मंत्री जी यह संशोधन करेंगे कि आकुपायर मैनेजर भी हो सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस सेक्शन में संशोधन करके यह करायेंगे कि आकुपायर मिल का सिर्फ मालिक या ओनर ही हो पायेगा। जब मालिकों के खिलाफ कार्यवाही होगी तब पैसा वसूल हो जायेगा। मैनेजर सिर्फ एम्पलाई होता है। उसको बन्द करने से वसूली नहीं होगी। पडरौना मिल पी० आई० सी० की है उसमें बहुत से शेयर एस० आई० सी० के हैं लेकिन वहां भी किसानों का बकाया है। मैं तो, इस विचार का हूं कि राष्ट्रीयकरण से किसानों और मजदूरों का वेतन मिलना बहुत मश्किल है। कुछ संशोधन जब तक ऐक्ट में नहीं करेंगे तब तक...

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

क्या मंत्री जी ऐक्ट में संशोधन करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कैबिनेट का मामला होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मिल मालिक को या आकुपायर को गिरफ्तार किया उसके ऊपर कितना बकाया था और सरदारनगर और रजा शुगर फैक्ट्री बरेली पर कितना बकाया था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, बिजनौर शुगर फैक्टरी पर २३.४० लाख रुपये गन्ना मूल्य शेष है इस सीजन का और पिछले सीजन का ३.८ लाख रुपये बकाया है। मिल के विरुद्ध प्रमाण-पत्र भी जारी किया था और यह पहले से बदनाम फैक्टरी थी। इसलिये इस फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही की गई।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आपसे निवेदन यह किया कि कोई इस बात का जवाब दिला दीजिये कि जो शुगर फैक्टरी के मिल मालिक को गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर कितना बकाया था और सरदार नगर और रजा शुगर फैक्टरी पर कितना बकाया है। इन्होंन सिर्फ आधा जवाब दिया और जवाब देकर बैठ गये। आधे पर यह कह दिया कि फिर पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अपने सवाल के बारे में आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि आधा उत्तर है। ठीक है, अब आपने प्वाइंट आउट किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस जवाब को पूरा दिलवा दीजिये।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, एक का तो मैंने पहले ही बता दिया। बरेली पर १९.६९ लाख और सरदार-नगर शुगर मिल पर ६९.०४ लाख है।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब खड्डा की चीनी मिल पर सरकार का अधिकार हो गया और करीब ६ लाख रुपया चीनी का बैंक में जमा है और मजदूरों ने आपके पास बराबर लिखा कि आप अगर बैंक को गारन्टी दे दें तो तनख्वाह के लिये रुपया रिलीज होने लगेगा, लेकिन ३ जुलाई से अब तक आप यह फैसला नहीं कर सके। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि दो-तीन दिन में बैंक को गारन्टी देंगे ताकि मजदूरों को तनख्वाह मिल सके?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है और आशा है जल्दी ही कोई न कोई हल निकल आएगा।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

जिन मिलों पर रुपया बकाया है, मिसाल के लिए अमरोहा में ३४ लाख रुपया किसानों का बाकी है और इस साल फसल भी भीग गयी और किसान को गन्ने का दाम भी नहीं मिला। तो क्या इस साल सरकारी वसूली स्थगित करने की कृपा करेंगे?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

सुझाव बहुत सुन्दर है। विचार किया जाएगा।

श्री शिवराज सिंह—

गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य, शुगर केन परचेज ऐक्ट के अनुसार, सोसायटी के माध्यम से न होकर मिलों से सीधा होता है और सरकार ने जो बाकी की रकम की धनराशि इकट्ठी की है यह शुगर मिल के हिसाब-किताब पर ही आधारित है, क्या यह सही है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

गन्ना फैक्टरी खरीदती है और वही मूल्य देती है। अब वह सोसायटी को दे दे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दे। अलग-अलग फैक्टरी का अलग-अलग तरीका है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

रिकवरी सार्टीफिकेट किस तारीख को जारी हुए हैं? जो मिलें नीलाम के लिए हैं, जिन पर कुर्की हुई है और हाईकोर्ट से अगर कोई स्थगन आदेश है तो किन शर्तों के अनुसार है और जहां ऐसा नहीं है वहां नीलामी की कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, यह तो बहुत लम्बा प्रश्न है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

यह जो शुगर मिल का विषय है यह यों ही बना रहा है। माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीयकरण के बाबत भी कोई निश्चित नीति नहीं बतायी। जब कभी पूछा गया तो कहा कि केन्द्र से पूछेंगे। इसके बाद आपने रिसीवर नियुक्त किये। उस पर लोग हाईकोर्ट में गए और रिट में गए। फिर भी आपने लिखा है कि हम कोई उपाय करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कौन-सा कदम उठा रही है क्योंकि आपने चुनाव तो इस बात पर जीत लिया लेकिन किसान को राहत नहीं दे सके। तो कौन-सा तरीका है उसको बताने की कृपा करें ताकि आप का सम्मान उत्तर प्रदेश के किसानों में फैले।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हम माननीय सदस्य के सुझाव के बहुत ही आभारी हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि हम मिलों के निजी प्रबन्ध को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर सोमवार, २ अगस्त, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, :
३० जुलाई, १९७१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०९ पर।)

पंचायत मंत्रियों की मांगों का ब्यौरा

पंचायत मंत्री संघ की मुख्य मांग यह रही है कि पंचायत मंत्रियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाय। इसके अतिरिक्त वे निम्न मांगें भी करते हैं :—

(१) पंचायत मन्त्री का वेतन कम से कम १२०–२२० रुपया हो।

(२) पंचायत मंत्रियों को योग्यता एवम् ज्येष्ठता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नत किया जाय।

(३) पंचायत मन्त्रियों को पुरानी सेवाओं का लाभ देते हुए स्थायी किया जाय।

(४) उनको सरकारी कर्मचारियों की सभी सुविधायें प्रदान की जायं।

(५) पंचायती राज विभाग को सामुदायिक विभाग से पृथक् एवम् सर्वोपरि कर दिया जाय।

अब उन्होंने कुछ पूरक मांगें की हैं :—एक तो यह कि सभी पंचायत मन्त्रियों को १–४–१९६९ से ७५–११५ का वेतन क्रम दिया जाय, दूसरे यह कि सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान देते समय जो तरीका पहले अपनाया गया था उसी के अनुसार पंचायत मन्त्रियों को भी नया वेतन मान दिया जाय और देय राशियों का भुगतान किया जाय और तीसरे उन्होंने शासकीय कोष से ५६ रुपया का मंहगाई-भत्ता देने की मांग की है। शासकीय कोष से ही वे एक अन्तरिम सहायता भी २५ रुपये की मांग रहे हैं।

प्रकाशन प्रदेश मंत्री

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर।)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ का संलग्न क–१

तहसील बांसी में २ शिकायती पत्र एक ही चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध थे जो निराधार पाये गये अन्य २ शिकायती-पत्र दूसरे चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध थे जिसमें एक निराधार पाया गया तथा दूसरे की जांच के फलस्वरूप सी० ओ० का स्थानान्तरण कर दिया गया है और एक शिकायती-पत्र तीसरे चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध था जिस पर जांच की गयी और उस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में से ५ शिकायती-पत्र जांच के बाद निराधार पाये गये। एक शिकायती-पत्र परअन्तिम रूप से कार्यवाही अभी नहीं की गयी है क्योंकि शिकायतकर्ता का मुकदमा चल रहा है।

तहसील नवगढ़ में चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में ३ से शिकायती-पत्र एक ही चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध था जिनके चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करके स्थानान्तरण कर दिया गया है। अन्य दो शिकायती-पत्रों की जांच की गयी जो निराधार पाये गये।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों में से ४ पत्र जांच के बाद निराधार पाये गये व ४ के विरुद्ध जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

सूची सीलिंग भूमि जो भूमिहीनों को पट्टे पर उठायी गयी तहसील अमरोहा

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर ।)

क्रम-सं०	नाम भूमिहीन खेतिहर मजदूर जिसको भूमि वितरित की गई	वितरित की गई भूमि का क्षेत्रफल	गाटा संख्या (प्लाट नंम्बर)	ग्राम
१	२	३	४	५
१	श्री बिहारी पुत्र खेम सिंह नि० पट्टीवाला, कांठ	०—०२	३०	कांठ
२	श्री अब्दुल रहीम उर्फ मुन्ना नि० पटटीवाया, कांठ	०—२१	२६३ मि	
		०—२३		
३	श्री भूप्पन पुत्र नत्थू सा० देह ..	०—८१	५३७१	मोहड़ी हजरतपुर
४	श्री जहूर शाह पुत्र नजर शाह, सा० घोसीपुरा कांठ	१—३०	१२/अ	,,
		१—१३	१३/४	
		२—४३	२	
५	श्री शिब्बा पुत्र टेका सा० देह ..	०—३५	१३९ मि	मल्हीवाला
६	श्री चन्द्र भान पुत्र कन्हैया, लक्ष्मी, नरायन पुत्र शंकर सा० देह	०—२५	३७८ मि	,,
७	श्री मल्हू पुत्र करीम बख्श, सा० देह ..	०—६५	१४० मि	,,
		१—११	१४२	
		१—७६	२	
८	श्री रोशन व केसरी व पूरन पुत्र नथुवा, सा० देह	०—४५	१९७ मि	

१	२	३	४	५
९—श्री छोटे पूत्र बदलू, सा० देह	..	१—८८	१४३	,,
		०—२४	१४४	
		०—१५	२१८ मि	
		०—०४	४८ मि	
		०—०६	६९ मि	
		०—१७	१९४	
		०—०४	३९०	
		०—५५	३९४	
		३—१३	८	
१०—श्री ठकरी पुत्र सरुफ, सा० देह	..	२—९९	१६० मि	
		०—२९	२५२ मि	
		३—२८	२	
११—श्री सरुफ पुत्र कल्लन, सा० देह	..	२—९९	१६०	
		०—३८	२५३	
		०—०८	२६२	
		३—४५	३	
			०.६६ गांव को अकृषक होने के कारण दिया गया।	
१२—श्री कलुवा पुत्र सरुफ, सा० मल्हीवाला	..	२—६६	१ मि चक	
		०—०८	५ मि हाफिजपुर	
		२—७४	२	
१३—श्री दीना पुत्र खुदाबख्श, सा० देह	..	०—४४	७४९	चन्देरी
		०—७९	७८६ मि	अकबरपुर
		०—१०	८०५ मि	
		०—०४	८१३ मि	
		०—३८	८१४ मि	
		०—६०	८१९ मि	
		०—२१	८२० मि	
		२—५६	७	

उत्तर प्रदेश सरकार

१	२	३	४	५
१४—श्री हरबसा पुत्र कल्लन, सा० देह ..		२—३१	८७५	
		०—०६	८८६ मि	
		२—३७	२	
१५—श्री याकूब पुत्र मजीद, सा० चन्देरी अकबरपुर		०—८५	६ मि	हीपपुर
		१—८६	३०	
		०—४९	८१	
		३—२०	३	
१६—श्री आजाद पुत्र नन्हे, सा० चन्देरी अकबरपुर		३—१५	३१६ मि	,,
१७—श्री सद्दीक पुत्र नन्हे, सा० चन्देरी अकबरपुर		३—६५	३१६ मि	
१८—राम कुमार पुत्र भगवान, सा० देह ..		०—०७	२६४ मि	,,
		०—८६	३२४	
		१—०२	३२५	
		०—५१	३५७	
		०—४६	४६२ मि	
		०—१५	४७०	
		३—०७	६	
१९—श्री बाबू व बल्देव व बाबू, ऊदल पुत्र प्रताप ओम प्रकाश पुत्र बाबू व लच्छमन पुत्र तुलशी व इमरत पुत्र चेतराम व प्रेमसिंह पुत्र नत्थू सिंह, सा० देह		०—७०	४६३ मि	,,
२०—श्री मुरारी व लाखन पुत्र नारायन, सा० देह ..		०—११	४६९ मि	,,
२१—श्री हरकेश पुत्र छिदा, सा० देह ..		०—१७	३८७ मि	हीपपुर
२२—श्री अली हुसेन व अकबर व वहित हुसेन व हशरत अली पुत्र चन्दा सा० देह		०—२२	३७५ मि	,,
		१४-७७	..	
२३—श्री उदिया पुत्र तनसुख, सा० देह ..		२—५०	१४७ मि	लम्बिया
२४—श्री हरदेवा पुत्र तनसुख, सा० देह ..		२—५१	९६ मि	लम्बिया
२५—श्री हरिया पुत्र तनसुख, सा० देह ..		२—०९	१४७ मि	,,
		०—४२	९६ मि	
		२—५१	२	
२६—श्री छबीला पुत्र सिपाही, सा० देह ..		२—०२	२८३/२	गोपालपुरा नत्था नगला उर्फ कोकर-पुर

१	२	३	४	५
२७	श्री राम बख्श पुत्र शिब्बास, सा० देह ..	३—००	२८३/२	"
२८	जागन पुत्र जालम सिंह, सा० देह ..	०—०५	१३८	मेहन्दरी सिकन्दरपुर
	कुल योग ..	५१—१७		

० ग्राम समाज को अकृषक होने के कारण दिया गया। सिहाली नरायन १५—६२

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२२ पर।)

प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में सन्दर्भित उन लोगों की सूची जिनसे वसूल की गयी धनराशि अमीन द्वारा गबन की गई

क्रमांक	नाम काश्तकार	नाम ग्राम
१	छोटे पुत्र डल्ला ..	सील्हापुर
२	बल्देव ..	सील्हापुर
३	छंगालाल ..	कुंवरपुर गड्डी
४	लल्लू पुत्र गजोधर	"
५	श्रीराम पुत्र शिवबख्श	"
६	सीताराम पुत्र ठाकुर	"
७	जिया लाल पुत्र कुन्दन	"
८	कन्हैयालाल पुत्र राम चरन	"
९	अनन्त पुत्र केवल	चितहला
१०	दीना पुत्र रिक्खी	"
११	ईश्वरी ..	कुंवरपुर
१२	हरी पुत्र बल्देव ..	गुड्डी
१३	पीतम आदि ..	"
१४	किशोरी पुत्र लल्लू	बहेरा
१५	विशेश्वर पुत्र चन्द्रशेखर	"
२६	कन्हई पुत्र पीतम	"
१७	बिन्द्रा पुत्र तनकू ..	"
१८	बिहारी पुत्र उदैत	"
२९	दुर्गा पुत्र छब्बा ..	"
२०	मुन्ना पुत्र छब्बा ..	"
२१	नोखे पुत्र मुन्नू ..	"
२२	खेमई पुत्र दयाराम	"
२३	राम लाल पुत्र डोरे	"

१	२	३
२४—किशोरी पुत्र छेदी	.. .. ..	"
२५—बालक राम ..	.. .. ..	रजुबापुर
२६—विशम्भर दयाल	.. .. ..	"
२७—दाता राम ..	.. .. ..	"
२८—श्याम मनोहर ..	.. .. ..	"
२९—नत्था पुत्र विराजी	.. .. ..	कुल्हौरा
३०—पंचम पुत्र चिन्ता	.. .. ..	"
३१—हरीश चन्द्र ..	.. .. ..	"
३२—झम्मन ..	.. .. ..	"
३३—गयादीन ..	.. .. ..	हरदासपुर
३४—पारसराम ..	.. .. ..	"
३५—पारसराम पुत्र प्रहलाद	.. .. ..	चितहला
३६—बद्री पुत्र बहादुर..	.. .. ..	हरदासपुर
३७—बल्ला पुत्र छेदी ..	.. .. ..	बड़ागांव
३८—बल्ला पुत्र छेदी	.. .. ..	हरदासपुर
३९—रघुवर पुत्र नोखें..	.. .. ..	"
४०—दुर्गा पुत्र पच्चा	.. .. ..	"
४१—छत्रपाल पुत्र केदार	.. .. ..	चौबा बेगमपुर
४२—बनवारी लाल पुत्र हीरालाल	.. .. ..	"
५३—महादेव पुत्र मातादीन	.. .. ..	"
४४—छोटकऊ पुत्र विशुनकुमार	.. .. ..	"
४५—कन्हैयालाल ..	.. .. ..	"
४६—गजोधर पुत्र झब्बू	.. .. ..	बड़ा गांव
४७—दुलारे पुत्र गोकुल	.. .. ..	"
४८—शत्रोहन सिंह ..	.. .. ..	"
४९—शिवराज सिंह ..	.. .. ..	"
५०—शत्रोहन सिंह ..	.. .. ..	"
५१—डींगुर पुत्र खैऊ ..	.. .. ..	"
५२—मु० शिवरानी ..	.. .. ..	चौवा बेगमपुर
५३—जैदयाल ..	.. .. ..	"

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३२ एल० ए०—१९७२—८४५ ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश